



वार्षिक प्रतिवेदन

2018 –19 एवं 2019–20



सूचना का अधिकार

वार्षिक प्रतिवेदन
2018-19 एवं 2019-20

300 प्रतियां

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून



वार्षिक प्रतिवेदन 2018 – 19 एवं 2019–20



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	सूचना का अधिकार आंकड़ों में	03
3	सूचना का अधिकार अधिनियम	05
4	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	13
5	आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	29
6	सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	43
7	लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	65
8	आयोग की संस्तुतियां	79
9	आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां	83
10	आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	165
11	आयोग को प्राप्त बजट	175



सूचना का
अधिकार

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 का सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

सूचना का अधिकार का सरल अर्थ है – जनसामान्य तक सरकारी सूचना की पहुंच सुलभ कराने वाला कानूनी अधिकार। इसका आशय यह है कि सरकारी संगठनों के कार्यों, निर्णयों तथा उनके निष्पादनों से संबंधित पत्रावलियों एवं दस्तावेजों तक एक औचित्यपूर्ण तथा स्वतंत्र पहुंच प्रत्येक आम नागरिक की होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सूचना का अधिकार सरकारी कार्यकलापों में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला साधन है। उत्तराखण्ड राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुये अब 15 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। विगत इतनी अवधि के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन-प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाता है, प्रशासनिक निर्णय में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित को प्रोत्साहित करता है तथा शासन-प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन को ही लक्षित किया गया है। साथ ही, ऐसे अनुपालन से जुड़े विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनसे संबंधित जानकारी को भी इस सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है।

प्रदेश में अधिनियम के लागू होने के प्रारम्भिक समय से ही आयोग का यह मत रहा है कि अधिनियम की सफलता हेतु सभी हितधारकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना आवश्यक है। इसी दिशा में अग्रेतर कार्यवाही करते हुये आयोग द्वारा आलोच्य अवधि में प्रदेश के लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए अधिनियम के प्राविधानों के सही उपयोग हेतु विकास खण्ड स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं। इसके साथ ही जनसामान्य हेतु प्रदेश के सुदूर अंचलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया गया है। ऐसे आयोजित कार्यक्रमों से संबंधित विवरण भी इस सम्मिलित प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

प्रदेश के दूरस्थ, पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किये जाने के क्रम में अब आयोग द्वारा प्रदेश के तीन और जनपदों, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार के लिए भी यह सुविधा प्रारंभ की गयी है।

पूर्व प्रतिवेदनों की भांति इस सम्मिलित प्रतिवेदन में भी आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां प्रस्तुत की गयी हैं। मेरा विश्वास है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जायेगा।

इस अवसर पर मैं उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रति उनके द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग को समय-समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

इस सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों की जो सारगर्भित भूमिका रही है, उसके लिये मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ।

जे. पी. ममगाई
प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार आंकड़ों में वर्ष 2018 – 19

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या				96,140
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या				87,730
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या				8,769
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या				7,832
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	गृह	राजस्व	विद्यालयी शिक्षा	वन	वित्त
	16916	16084	11214	6721	4789
6	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील				
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई			कुल निस्तारण	
	3128			2452	
7	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत				
	कुल शिकायतों पर सुनवाई			कुल निस्तारण	
	675			553	
8	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या				96 शास्ति आरोपित 01क्षतिपूर्ति आरोपित
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)				16,84,000
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु.)				5,000
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				03
12	आयोग के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश				03

* (प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार आंकड़ों में वर्ष 2019 – 20

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या				94,323
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या				89,213
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या				10,477
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या				9,647
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	राजस्व	गृह	वन	विद्यालयी शिक्षा	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण
	20520	14746	7999	7721	3632
6	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील				
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई		कुल निस्तारण		
	3243		3060		
7	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत				
	कुल शिकायतों पर सुनवाई		कुल निस्तारण		
	653		583		
8	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या				220 शास्ति आरोपित 11 क्षतिपूर्ति आरोपित
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)				29,47,875
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु.)				75,528
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				15
12	आयोग के आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश				01

*(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया गया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है। इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है।

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहाँ सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहाँ ऐसा अधिनियम बनाया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है।

“लोक प्राधिकारी” की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त-पोषित हैं।

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। **नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है।** इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार प्रदान करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

इतनी अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच में अधिकारों के सन्तुलन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

“प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम”.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है।
- भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है।
- किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है।
- सूचना प्राप्त करने हेतु दस रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण, आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है। इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए पांच रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।

- अभिलेख की ए-3 या ए-4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रूपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी. सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है।
- वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है।
- निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना होता है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है।
- यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग को शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है।

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषाओं) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है।

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

- (i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,
- (ii) शासन के समस्त निदेशालयों,
- (iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,
- (iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,
- (ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,
- (x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा
- (xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05)।

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं।

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं। उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें। लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने में किये गये विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक

होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हंकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है।

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा। यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग-अलग नामित किये जाने हैं। लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा।

ऐसी गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे।

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा।

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके लिए निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके।

अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएँ

धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके। प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं।

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुँच को सहज बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है।

धारा 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है। इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है।

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तरित करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा।

धारा 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो आवेदन प्राप्त होने के 07 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस

दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी। जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिया जाना प्राविधानित है।

धारा 8

अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रकट किये जाने से छूट दी गयी है —

- (i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,
- (ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,
- (iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,
- (iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,
- (v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,
- (vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,
- (vii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पड़ेगी,
- (viii) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं है या जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो।

उपरोक्त में से (iv), (v) एवं (viii) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो।

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है। ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं।

धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है। प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है। प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है। इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं। द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है।

धारा 20 (शास्ति)

- (1) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
- (2) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिये सिफारिश करेगा।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली

(उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में दी गयी व्यवस्था):

- 11—(क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।
- (ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तों में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना

अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

- (ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।
- (घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।
- (ङ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील पत्रावली में रखी जायेगी।
- (च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

**उत्तराखण्ड
सूचना आयोग**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री विनोद नौटियाल का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 15/12/2014 को पूर्ण हुआ।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17/10/2010 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/2010 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933/XXX(13)G/2009-52(5)207). दिनांक 19/10/2010 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934/XXX(13)G/2009-52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935/XXX(13)G/2009-52(5)207)।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/2013 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा./2013)।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/2014 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी। (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा./2013)।

श्री एन.एस. नपलच्याल के दिनांक 01/04/2015 को सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 330/xxxi(13)G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

दिनांक 18/10/2015 को श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल के सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 2562/xxxi(13)G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 1342 (i)/xxxi (15)G-02/2016 दिनांक 08/11/2016 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा श्री शत्रुघ्न सिंह को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा दिनांक 19/11/2016 को मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/08/2018 को श्री जे.पी. ममगाँई (अधिसूचना सं 635/xxxi(15)G-09/(रा०मु०सू०आ०)/2015-18) तथा श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल (अधिसूचना सं 640/xxxi(15)G-09 रा० मु० सू० आ०)/2015-18) को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी।

इस प्रकार वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री शत्रुघ्न सिंह, राज्य सूचना आयुक्त, श्री जे.पी. ममगाँई तथा राज्य सूचना आयुक्त श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल द्वारा की गयी।

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाएँ

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.
- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त

किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो। इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये। उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिये। इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये।

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुसार होंगे।
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है।

आयोग की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है। ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना।
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मांगना।
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना।
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है। प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है।
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना।
- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्ठीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना।
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना।
- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना।

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनमें मुख्यतः

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है।

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।
- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट / प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं। अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है।



सूचना का
अधिकार

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—19

REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—19



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2019/ श्रावण 10, 1941 (शक)
No. 43] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/SHRAVANA 10, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 1st August, 2019/Shravana 10, 1941 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 1st August, 2019, and is hereby published for general information:—

THE RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) ACT, 2019

No. 24 OF 2019

[1st August, 2019.]

An Act to amend the Right to Information Act, 2005.

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Right to Information (Amendment) Act, 2019.

Short title and
commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

22 of 2005.

2. In the Right to Information Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 13,—

Amendment
of section 13.

(a) in sub-section (1), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government:

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner or the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force."

Amendment
of section 16.

3. In section 16 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government:

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force."

Amendment
of section 27.

4. In section 27 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ca) the term of office of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners under sub-sections (1) and (2) of section 13 and the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners under sub-sections (1) and (2) of section 16;

(cb) the salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners under sub-section (5) of section 13 and the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners under sub-section (5) of section 16;"

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941

No. 635]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 810(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (गक) और खंड (गख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय II

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;

(ग) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में उसका है;

(घ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ठ) में उसका है;

(ड) "राज्य सूचना आयोग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय III

केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

3. पदावधि- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

4. नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत्त होना- यथास्थिति, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा।

5. वेतन — (1) मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपए) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(3) यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

(4) यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा।

6. मंहगाई भत्ता — यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. छुट्टी - (1) यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त उतनी छुट्टी के अधिकारों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला कोई पदधारण करने वाले किसी अधिकारी के लिए स्वीकृत हैं।

(2) मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे और सूचना आयुक्तों की दशा में मुख्य सूचना आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।

8. अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय- यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, पदावधि पूरी होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण का हकदार होगा:

परंतु, यथास्थिति, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के लिए, जो यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया था, ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए वह अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समय-समय पर यथापुनरीक्षित समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथास्वीकृत अधिकतम अवधि के अधीन होगी।

9. चिकित्सा सुविधा- यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे और ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम, 1944 में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा।

10. आवास सुविधा —(1) यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, उपलब्धता के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दरों पर लाइसेंस फीस के संदाय पर केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रकार के साधारण पूल आवास सुविधा से शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा।

(2) जहां मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है वहां उसे केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

11. छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता- यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पदधारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को यथाशक्य लागू हकदार होगा।

अध्याय IV

राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

12. पदावधि-यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

13. नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत्त होना- यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा।

14. वेतन- (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(3) यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

(4) यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा।

15. मंहगाई भत्ता - यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

16. छुट्टी - (1) यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त उतनी छुट्टी के अधिकारों का हकदार होगा जो राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पदधारण करने वाले किसी अधिकारी के लिए स्वीकृत हैं।

(2) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस राज्य का राज्यपाल होगा और राज्य सूचना आयुक्तों की दशा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।

17. अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय- यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, पदावधि पूरी होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण का हकदार होगा:

परंतु, यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के लिए, जो यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया था, ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए वह अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समय-समय पर यथापुनरीक्षित समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथास्वीकृत अधिकतम अवधि के अधीन होगी।

18. चिकित्सा सुविधा- यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे और ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम, 1944 में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा।

19. आवास सुविधा – (1) यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, उपलब्धता के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दरों पर लाइसेंस फीस के संदाय पर राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रकार के साधारण पूल आवास सुविधा से शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा।

(2) जहां, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है वहां उसे राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

20. छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता- यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सरकार में समान वेतन वाला पदधारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को यथाशक्य लागू हकदार होगा।

अध्याय V

21. अवशिष्ट उपबंध- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों की ऐसी सेवा शर्तों, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की जाएगी और इस पर केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पर, राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त पर आवद्धकर होंगे।

22. शिथिल करने की शक्ति- केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग में व्यक्तियों के संबंध में शिथिल करने की शक्ति होगी।

23. निर्वचन—यदि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 1/5/2019-आईआर]

लोक रंजन, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2019

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ca) and (cb) of sub-section (2) of section 27 of Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER II

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

(b) “Central Information Commission” shall have the same meaning assigned to it under clause (b) of section 2 of the Act ;

- (c) “Chief Information Commissioner” and “Information Commissioner” shall have the same meaning assigned to it under clause (d) of section 2 of the Act;
- (d) “State Chief Information Commissioner” and “State Information Commissioner” shall have the same meaning assigned to it under clause (l) of section 2 of the Act;
- (e) “State Information Commission” shall have the same meaning assigned to it under clause (k) of section 2 of the Act.
- (2) The words and expressions used and not defined under these rules, but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER III

TERM OF OFFICE, SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND INFORMATION COMMISSIONER IN THE CENTRAL INFORMATION COMMISSION

3. Term of office.—The Chief Information Commissioner, or Information Commissioners, as the case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office.

4. Retirement from parent service on appointment.—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, who on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Chief Information Commissioner or an Information Commissioner in the Central Information Commission.

5. Pay.—(1) The Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,50,000 (Rupees two lakh and fifty thousand)(fixed) per mensem.

(2) An Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.

(3) In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment is, in receipt of any pension, the pay of such Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity;

(4) In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his pay in respect of the service as the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits.

6. Dearness Allowance.—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to draw dearness allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government, as revised from time to time.

7. Leave.—(1) The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to rights of leave as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government, as revised from time to time.

(2) In case the Chief Information Commissioner, the competent authority to sanction the leave shall be the President of India and in case of the Information Commissioners, the Chief Information Commissioner shall be the competent authority.

8. Cash Payment in lieu of unutilised Earned Leave.—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned leave to his credit at the time of completion of tenure:

Provided that for a Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, as the case may be, who had retired from the service of the Central or a State Government prior to appointment as a Chief Information Commissioner and Information Commissioner, as the case may be, the aggregate period for which the encashment of unutilised earned leave shall be entitled shall be subject to a maximum period as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government or the State Government, as the case may be, as revised from time to time.

9. Medical Facilities.—The Chief Information Commissioner and Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the Chief Information Commissioner and Information Commissioner shall be entitled to medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

10. Accommodation.—(1) The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be eligible subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government on the payment of the license fee at the rates prescribed by Central Government from time to time.

(2) Where Chief Information Commissioner or an Information Commissioner is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid House Rent Allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government.

11. Leave Travel Concession, Travelling Allowance, Daily Allowance.—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to leave travel concession, travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government as far as may be, apply to the Chief Information Commissioner and Information Commissioner, as the case may be.

CHAPTER IV

TERM OF OFFICE, SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND STATE INFORMATION COMMISSIONERS IN THE STATE INFORMATION COMMISSION

12. Term of office.—The State Chief Information Commissioner, or State Information Commissioners, as the case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office.

13. Retirement from parent service on appointment.—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, who on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in the State Information Commission.

14. Pay.—(1) The State Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.

(2) The State Information Commissioners shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.

(3) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment is, in receipt of any pension, the pay of such State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity.

(4) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits.

15. Dearness Allowance.—The State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to draw dearness allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

16. Leave.—(1) The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to rights of leave as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

(2) In case of the State Chief Information Commissioner, the competent authority to sanction the leave shall be the Governor of the State and in case of the State Information Commissioners, the State Chief Information Commissioner shall be the competent authority.

17. Cash Payment in lieu of unutilized Earned Leave.—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned leave to his credit at the time of completion of tenure:

Provided that a State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, who had retired from the service of the Central or a State Government prior to appointment as a State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners respectively, the aggregate period for which the encashment of unutilised earned leave shall be entitled shall be subject to a maximum period as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government or the State Government, as the case may be, as revised from time to time.

18. Medical Facilities.—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944 or such medical facilities provided by the State Government to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

19. Accommodation.—(1) The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be eligible subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government on the payment of the license fee at the rates prescribed by State Government from time to time.

(2) Where State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid House Rent Allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government.

20. Leave Travel Concession, Travelling Allowance, Daily Allowance.—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to leave travel concession, travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government as far as may be, apply to the State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners.

CHAPTER V

21. Residuary Provision.—The conditions of service of the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners for which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decisions and the decisions of the Central Government thereon shall be binding on the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner of the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner of the State Information Commission.

22. Power to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

23. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

[F. No. 1/5/2019-IR]

LOK RANJAN, Addl. Secy.



उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या— /xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18
देहरादून दिनांक: 09 अगस्त, 2018

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री जे0पी0 ममगाई को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री जे0पी0 ममगाई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री जे0पी0 ममगाई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

4. राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-635/xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. श्री जे0पी0 ममगाई नि0-402 ताज अपार्टमेंट्स, 02 फैक्ट्री रोड, निकट सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली-110029।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(चन्द्रेश कुमार) 01/08/18
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18
देहरादून दिनांक: 01 अगस्त, 2018



अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री चन्द्र सिंह नपल्ल्याल को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री चन्द्र सिंह नपल्ल्याल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप श्री चन्द्र सिंह नपल्ल्याल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

4. राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 640-xxxi(15)/G-09(रा0मु0सू0आ0)/2015-18 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. श्री चन्द्र सिंह नपल्ल्याल, नि0-ए0-7, टिहरी हाउस, राजपुर, देहरादून।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(चन्द्रेश कुमार) 01/08/18
अपर सचिव।

**आयोग की संस्तुतियों पर
राज्य सरकार द्वारा
की गयी कार्यवाही**

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी संस्तुतियाँ की जाती हैं जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को सकारात्मक एवं व्यापक रूप में क्रियान्वित किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसी संस्तुतियाँ सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती हैं।

इसी क्रम में आयोग द्वारा वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 के

सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन में 02 संस्तुतियाँ राज्य सरकार को की गयी थीं।

राज्य सरकार द्वारा आयोग की वर्ष 2014—15, वर्ष 2015—16, वर्ष 2016—17 एवं वर्ष 2017—18 में की गई संस्तुतियों के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये कार्यवाहियों के विवरण (ATR) इस अध्याय में दिये गये हैं।

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 — 06	03	03
2006 — 07	20	12
2007 — 08	08	04
2008 — 09	09	04
2009 — 10	04	04
2010 — 11	05	05
2011 — 12	03	02
2012 — 13	03	02
2013 — 14	05	02
2014 — 15	05	05
2015 — 16	13	13
2016 — 17 एवं 2017 — 18	02	02

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिए आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा कृत कार्यवाहियों का विवरण (ATR) बिन्दुवार निम्नलिखित हैं-

क्र० स०	आयोग की संस्तुतिया	शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
1.	<p>संस्तुति: 01</p> <p>सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के द्वारा राज्य सूचना आयोग को अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व प्रदत्त है, इसी क्रम में आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण के दौरान अनेकों वादों में आयोग द्वारा सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, तथा ऐसे लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अनुपालन की कार्यवाही पूर्ण कर आयोग को भी अवगत करायें।</p> <p>विगत वर्षों में आयोग स्तर से उक्त धारा 25(5) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों को प्रेषित निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि अधिकतर प्रकरणों में लोक प्राधिकारियों के द्वारा आयोग के निर्देशों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपनी अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की जा रही है।</p> <p>धारा 25(5) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रत्येक ऐसे प्रकरण को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर एक अनुश्रवण पंजिका में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें नीचे दिये गये 8 स्तम्भ बनाये जाने आवश्यक होंगे।</p> <p>आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से सभी लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें। तालिका प्रारूप पत्रावली पर पृथक से प/क पर रखा गया है।</p>	<p>शासन द्वारा शासनादेश संख्या-197/XXXI(15) G/21-48(सा0)/2017, दिनांक 03 मार्च, 2021 निर्गत किया गया है।</p>
02	<p>संस्तुति: 02</p> <p>प्रायः प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा या तो प्रथम अपील की प्राप्ति पर आवेदक और लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का नोटिस प्रेषित नहीं किया जाता है अथवा नोटिस समय से प्रेषित नहीं किया</p>	<p>शासन द्वारा शासनादेश संख्या-201/XXXI(15) G/21-48(सा0)/2017, दिनांक 03 मार्च, 2021 निर्गत किया गया है।</p>

	<p>जाता है, या नियमानुसार प्रथम अपील की एक तिथि नियत कर दोनों पक्षों के जाने बिना सीधे लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने हेतु आदेशित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सही नहीं है।</p> <p>प्रथम अपील की प्राप्ति पर समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सुनवाई हेतु तिथि नियत किया जाना चाहिए। इसके उपरान्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना डाक/ई-मेल के माध्यम से अपीलकर्ता एवं सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को दी जानी चाहिए। समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्षों को प्रथम अपील की सुनवाई तिथि की सूचना दोनों पक्षों को ससमय उपलब्ध करा दी गई है।</p> <p>अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें।</p>	
03	<p>संस्तुति: 03</p> <p>आयोग द्वारा विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की मांग आवेदक से किए जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के दौरान अपीलकर्ता को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराए जाने के आदेश निर्गत कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया सही नहीं है।</p> <p>सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-7 की उप धारा-6 के अन्तर्गत यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं तब प्रथम अपील की सुनवाई /निस्तारण के दौरान अनुरोधकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए, परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए आवेदक को यदि नोटिस निर्गत कर यथोचित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए अनुरोध किया गया हो और आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया हो, तब उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स-शुल्क सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए।</p>	<p>शासन द्वारा शासनादेश संख्या-200/XXXI(15) G/21-48(सा0)/2017, दिनांक 03 मार्च, 2021 निर्गत किया गया है।</p>

	<p>अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती हैं कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें।</p>	
04	<p>संस्तुति : 4</p> <p>विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई के दौरान आयोग के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई का नोटिस निर्गत किये जाने के उपरान्त प्रथम अपील की सुनवाई की नियत तिथि पर अपीलकर्ता के उपस्थित न होने पर दो या दो से अधिक तिथि मात्र इसी कारण से दे दी जाती हैं कि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं है, जोकि उचित नहीं है।</p> <p>अपीलकर्ता को प्रथम अपील की सुनवाई की तिथि की सूचना दे देने के उपरान्त भी अपीलकर्ता के उपस्थित न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अन्य अवसर चाहने की स्थिति को छोड़कर, प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील की सुनवाई की जानी चाहिए, सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावली की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को प्रत्येक अनुमन्य/उचित सूचना/अभिलेख सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रदान करते हुए सूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धाराओं के प्राविधानों के अधीन निस्तारण कर दिया गया है। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से इतर अपनी को सहमति/असहमति को लिखित रूप में, कि किन बिन्दुओं पर असहमति है, कारण बताते हुए इंगित किया जाना चाहिए।</p> <p>अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती हैं कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें।</p>	<p>उक्त संस्तुति अस्वीकृत की जाती है।</p>
05	<p>संस्तुति : 5</p> <p>सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय/विभाग द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है। इसी</p>	<p>शासन द्वारा शासनादेश संख्या-202/XXXI(15) G/21-48(सा0)/2017, दिनांक 03 मार्च, 2021 निर्गत किया गया है।</p>

<p>कम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्तर पर भी लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है. आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य सामने आया है कि वन विभाग में विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है जबकि अनुरोधकर्ताओं को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को संबंधित वन प्रभाग अथवा कार्यालय के उच्च स्तरों से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा उच्च स्तर से धारित सूचना लेने हेतु अनुमोदन लेना होता है. इससे जहां एक ओर इस प्रक्रिया में समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयांतर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है।</p> <p>अतः आयोग की संस्तुति है कि शासन द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों/विभागों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक विभाग के द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी ऐसे विभागीय स्तर के अधिकारी हों जिनकी विभागीय अभिलेखों तक सरलता से पहुंच हो तथा जो आवेदनकर्ताओं को न्यूनतम समय के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध करा सकें।</p>	
---	--

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

6

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिए आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा कृत कार्यवाहियों का विवरण (ATR) बिन्दुवार निम्नलिखित हैं—

क्र० स०	आयोग की संस्तुतिया	शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
1.	<p>सूचना संस्तुति-01</p> <p>आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। परन्तु जन-सामान्य द्वारा आयोग को प्रेषित विभिन्न शिकायतों से यह परिलक्षित हुआ है कि अनेक विभागों/लोक प्राधिकारियों के द्वारा आयोग एवं शासन के उक्त निर्देशों का पूर्ण-रूपेण अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे नागरिकों को सहजता से जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।</p> <p>अतः आयोग की संस्तुति है कि इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासन स्तर से एक व्यापक अनुश्रवण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचनायें अपनी-अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायी गयी हैं तथा उनका नियत समयावधि के अन्तर्गत अद्यावधिकरण भी किया जा रहा है।</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति पर शासनादेश संख्या- 142/XXXI(15)G/21-49(सा0)/2020, दिनांक 15 फरवरी, 2021 निर्गत किया गया है।</p>

<p>2.</p>	<p>संस्तुति-02</p> <p>अधिनियम के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा आयोग को प्रेषित आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य निरन्तर प्रकाश में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को अधिनियम के सम्बन्ध में समुचित जानकारी की कमी के कारण उनके द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है जिस कारण उन्हें समयान्तर्गत वांछित सूचना सुलभता से प्राप्त करने में कठिनाई भी होती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।</p> <p>अतः आयोग की संस्तुति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार के स्तर पर एक व्यापक एवं प्रभावी कार्य योजना बनायी जाये तथा अधिनियम के उपयोग के सम्बन्ध में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति पर शासनादेश संख्या- 148/XXXI(15)G/21-49(सा0)/2017, दिनांक 15 फरवरी, 2021 निर्गत किया गया है।</p>
<p>3.</p>	<p>संस्तुति: 03</p> <p>उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2013' के नियम 2(ग) में आयोग को परिभाषित किया गया है जिसमें लिखा है कि आयोग से उत्तराखण्ड सूचना आयोग अभिप्रेत है।</p> <p>आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त नियमावली में यह परिभाषा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की तरह निम्नानुसार होना चाहिए- "आयोग का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड सूचना आयोग से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किसी शिकायत या अपील की सुनवाई का</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति पर न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार नियमावली 2013 के नियम 2 (ग) में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है।</p>

	संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त भी है।"	
4.	<p>संस्तुति: 04</p> <p>आयोग की संस्तुति है कि 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2013' के नियम 5(क) के अन्त में यह जोड़ा जाना चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत अनुरोध पत्र में पांच सौ से अधिक शब्द नहीं होने चाहिये।</p>	आयोग की उक्त संस्तुति अस्वीकृत की जाती हैं।
5.	<p>संस्तुति: 05</p> <p>ग्राम प्रधान निर्वाचित पदाधिकारी हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी प्रधान नामित हैं। उनके अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी नामित हैं। धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होगा। निर्वाचित प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना और खण्ड विकास अधिकारी को उसका अपीलीय अधिकारी बनाना विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। निर्वाचित पदाधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित करने की अपेक्षा अधिनियम में नहीं है। आयोग की संस्तुति है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाये तथा खण्ड विकास अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाये।</p>	आयोग की उक्त संस्तुति के क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा शासनादेश संख्या- 12/xii(1) -2019-84 (01)/2006 दिनांक 03 जनवरी, 2019 निर्गत किया है।
6.	<p>संस्तुति: 06</p> <p>राज्य सरकार के सचिवालय में एक ही विभाग के अनुभागों के लिए अलग-अलग लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। यह विधि के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं है। आयोग की संस्तुति है कि पूरे विभाग के लिए लोक सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही राज्य सरकार के सचिवालय में की जानी चाहिए।</p>	आयोग की उक्त संस्तुति अस्वीकृत की जाती हैं।
7.	संस्तुति: 07	

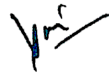
	<p>धारा 4(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में लोक प्राधिकारी की अधिक से अधिक सूचना वैबसाइट पर प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। दिनांक 8.12.2011 को सुराज भ्रष्टाचार निवारण एवं जनसेवा विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत कर निर्माण के ठेकों, सामग्री की आपूर्ति के ठेकों, विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक की कार्यवाहियों, भूमि के पट्टों आदि दस प्रकृति की सूचनाओं को वैबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया था। इसका क्रियान्वयन अभी तक सरकार द्वारा नहीं कराया गया है। आयोग की संस्तुति है कि इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से कराया जाना चाहिए।</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति के कम में शासनादेश संख्या- 149/XXXI(15)G/21-49(सा0)/2017, दिनांक 15 फरवरी, 2021 निर्गत किया गया हैं।</p>
8.	<p>संस्तुति: 08</p> <p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) में लोक प्राधिकारी के कार्यालयों में अभिलेखों के कैटलाग तथा इन्डेक्स बनाये जाने का प्राविधान है जिसका पालन लोक प्राधिकारी के कार्यालयों में नहीं हो रहा है। इसके लिए आयोग की संस्तुति है कि सरकार की ओर से सम्यक कड़े निर्देश सभी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों को दिये जाने चाहिए और उसका अनुश्रवण करके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति पर शासनादेश संख्या- 146/XXXI(15)G/21-49(सा0)/2020, दिनांक 15 फरवरी, 2021 निर्गत किया गया हैं।</p>
9.	<p>संस्तुति: 09</p> <p>सूचना आयोग का स्तर राज्य सरकार के सचिवालय, लोक सेवा आयोग एवं मा0 उच्च न्यायालय के कार्यालयों समकक्ष है परन्तु आयोग में समकक्ष पदों के वेतनमान कम रखे गये हैं। आयोग की संस्तुति है कि आयोग में समकक्ष पदों के वेतनमानों को सचिवालय के समकक्ष पदों के वेतनमान के समान करने की कार्यवाही होनी चाहिए।</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति अस्वीकृत की जाती हैं।</p>
10.	<p>संस्तुति: 10</p> <p>आयोग के गठन पर राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से पांच व्यक्ति आयोग में कार्य संचालन हेतु बुलाये गये थे जो अभी कार्यरत हैं।</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण अस्वीकृत की जाती हैं।</p>

	उनके संविलियन की कार्यवाही लम्बे समय से विचाराधीन है। आयोग की संस्तुति है कि सरकार को इसको शीघ्र पूरा करना चाहिए।	
11.	<p>संस्तुति: 11</p> <p>आयोग के सेवा निवृत्त राज्य सूचना आयुक्तों को पेंशन व अन्य सेवा निवृत्तक लाभ निर्गत करने की कार्यवाही सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गयी है। एक सूचना आयुक्त को सेवा निवृत्त हुए ढाई वर्ष से अधिक का समय हो रहा है। आयोग की संस्तुति है कि आयोग की गरिमा बनाये रखने के लिए सरकार को इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।</p>	आयोग की उक्त संस्तुति आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण अस्वीकृत की जाती हैं।
12.	<p>संस्तुति: 12</p> <p>सरकार के पेयजल विभाग के अन्तर्गत एकल ग्राम योजना के लिए पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति द्वारा योजनाओं की स्थापना एवं संचालन किया जाता है। उनको लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं किया गया है जिससे सूचना के अनुरोध पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। आयोग की संस्तुति है कि पेयजल विभाग में लोक सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए।</p>	आयोग की उक्त संस्तुति के क्रम में पेयजल विभाग को शासनादेश संख्या- 150/XXXI(15)G/21-49(सा0)/2017, दिनांक 15 फरवरी, 2021 निर्गत किया गया हैं।
13.	<p>संस्तुति: 13</p> <p>सरकार में लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करने की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर कर ली गयी है। लोक सूचना अधिकारी अथवा विभागीय अपीलीय अधिकारी राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यालयों प्रशासनिक इकाईयों के लिए नामित करने की कार्यवाही करनी चाहिए। आयोग की संस्तुति है कि शासन स्तर पर इसकी समीक्षा करके आवश्यक व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है।</p>	आयोग की उक्त संस्तुति के क्रम में शासनादेश संख्या- 147/XXXI(15)G/21-49(सा0)/2020, दिनांक 15 फरवरी, 2021 निर्गत किया गया हैं।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिये आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा कृत कार्यवाहियों का विवरण (ATR) बिन्दुवार निम्नलिखित हैं:-

क्र० सं०	आयोग की संस्तुतियां	शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
1.	<p>सूचना संस्तुति-01</p> <p>आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए आयोजित करायी गयी विभिन्न कार्यशालाओं एवं बैठकों में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रथम अपीलीय अधिकारी सबसे कमजोर कड़ी है।</p> <p>आयोग को यह सुझाव भी प्राप्त हुये हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने का जिस प्रकार से अधिकार आयोग को प्राप्त है उसी प्रकार से प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप सूचना आवेदन पत्रों का निस्तारण न करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित कर सके। ऐसा नियम होने से लोक सूचना अधिकारी कर्तव्यनिष्ठापूर्वक अनुरोधकर्ता को ससमय सूचना उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>आयोग का यह भी मत है कि जिस प्रकार लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाती है इसी प्रकार प्रथम अपील का समयांतर्गत निस्तारण न किये जाने अथवा जानबूझकर अपीलार्थी की सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी पर भी शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए।</p> <p>अतः आयोग की संस्तुति है कि:-</p> <p>(अ) प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भी कुछ शक्तियाँ होनी चाहिए जिससे कि अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी पर नियंत्रण रख सकें।</p> <p>(ब) आयोग के पास भी यह अधिकार होना चाहिए कि यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति अस्वीकृत की जाती है।</p>

	<p>का निस्तारण समय से या प्रक्रिया अनुसार नहीं करते हैं या निस्तारण प्रक्रिया अनुसार नहीं करते हैं तो आयोग उनको भी दण्डित कर सके।</p>	
	<p>संस्तुति: 2</p> <p>उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 2(ग) में 'आयोग' को परिभाषित किया गया है जिसमें लिखा है कि 'आयोग' से उत्तराखण्ड सूचना आयोग अभिप्रेत है, इसमें उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की तरह यह होना चाहिए—आयोग का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड सूचना आयोग से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किसी शिकायत या अपील की सुनवाई का संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त भी हैं।</p>	<p>आयोग की उक्त संस्तुति पर नियमावली में संशोधन की कार्यवाही गतिमान हैं।</p>


 (डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
 सचिव (प्रभारी)।६

**सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों
का
संख्यात्मक विवरण**

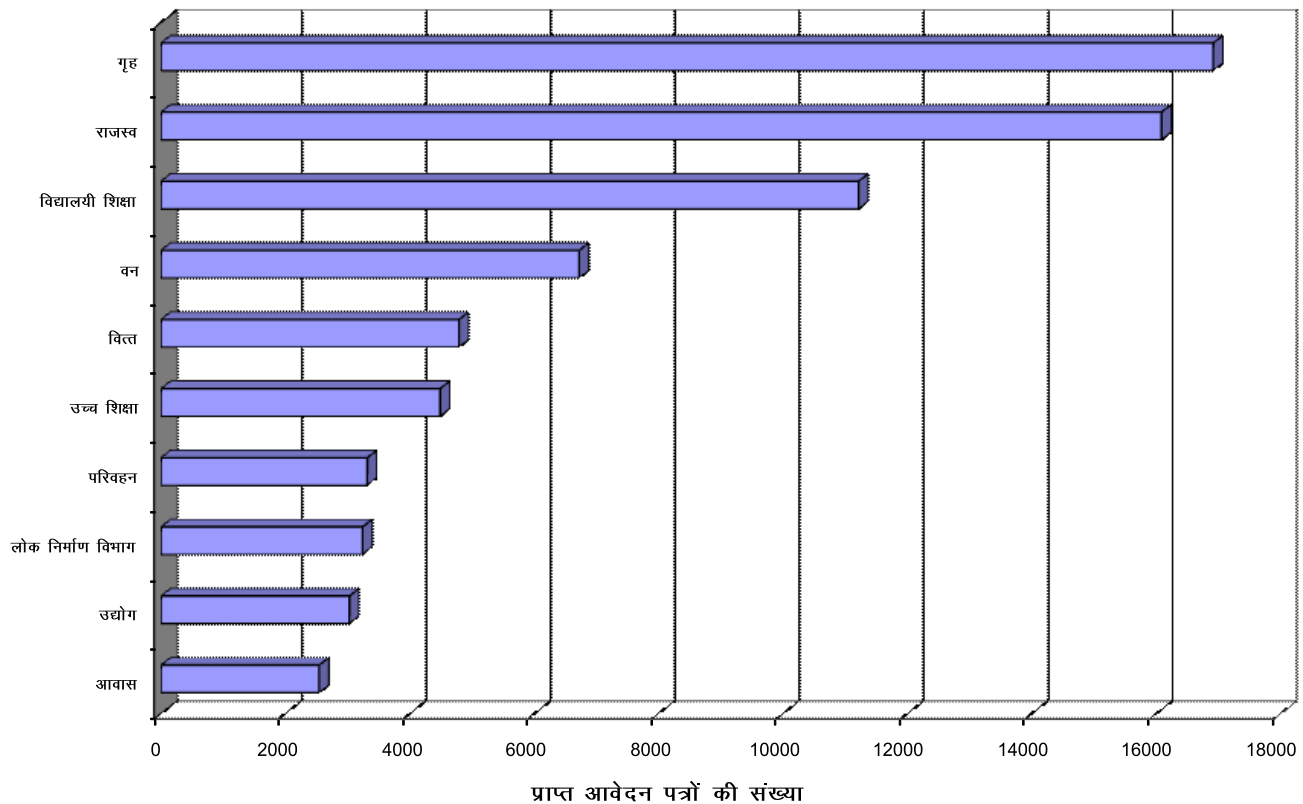
सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

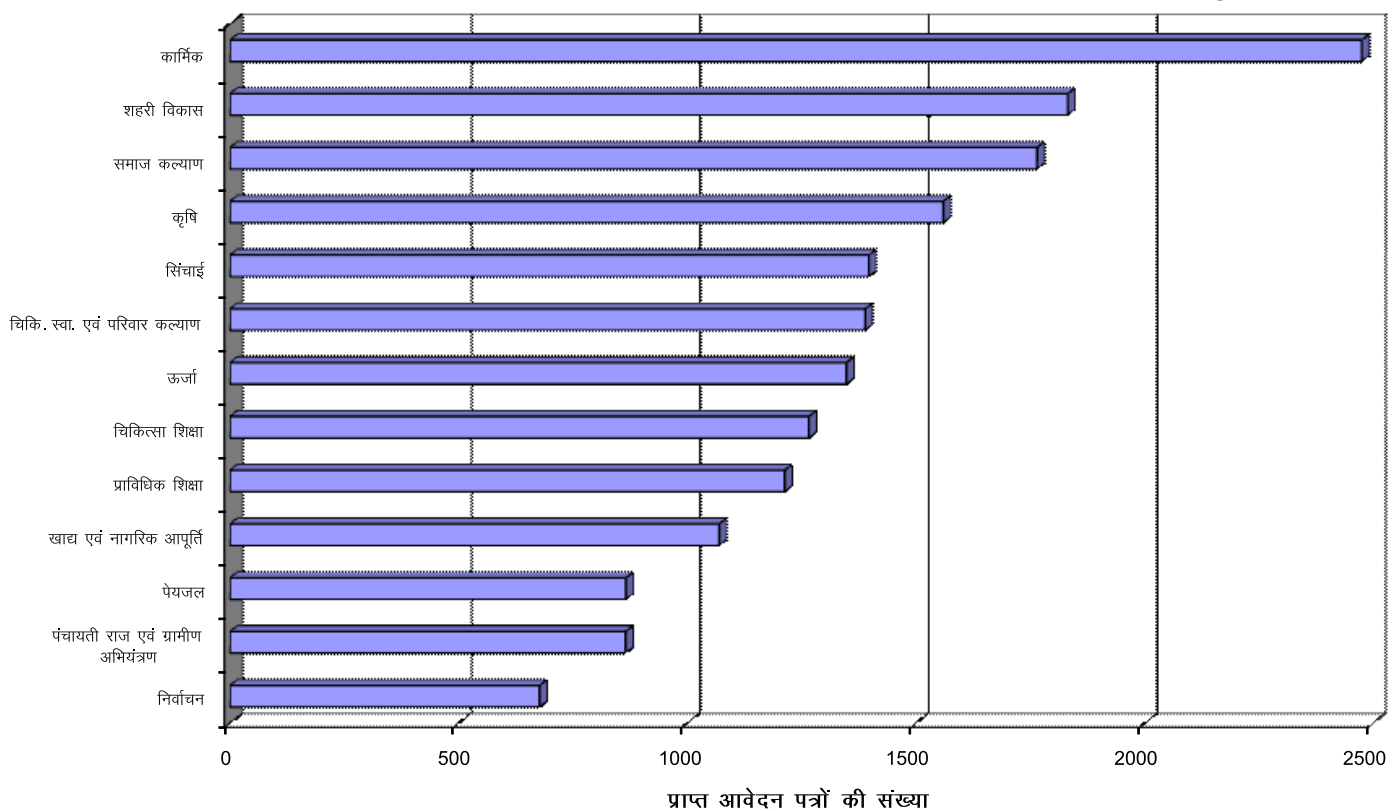
- 4.1 लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (वर्ष 2018—19)
- 4.2 लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (वर्ष 2019—20)
- 4.3 लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित सूचना आवेदन पत्रों को तुलनात्मक विवरण
- 4.4 लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (वर्ष 2018—19)
- 4.5 लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (वर्ष 2019—20)
- 4.6— 4.7 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का निस्तारण
- 4.8 जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या, प्रतिशत में (वर्ष 2018—19)
- 4.9 जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या, प्रतिशत में (वर्ष 2019—20)
- 4.10 द्वितीय अपीलों का महिला — पुरुष अनुपात (वर्ष 2018—19)
- 4.11 द्वितीय अपीलों का महिला — पुरुष अनुपात (वर्ष 2019—20)
- 4.12 द्वितीय अपीलों का ग्रामीण — शहरी क्षेत्र का अनुपात (वर्ष 2018—19)
- 4.13 द्वितीय अपीलों का ग्रामीण — शहरी क्षेत्र का अनुपात (वर्ष 2019—20)
- 4.14 जनपदवार प्राप्त शिकायतों प्रतिशत (वर्ष 2018—19)
- 4.15 जनपदवार प्राप्त शिकायतों प्रतिशत (वर्ष 2019—20)
- 4.16 प्राप्त शिकायतों में महिला — पुरुष अनुपात (वर्ष 2018—19)
- 4.17 प्राप्त शिकायतों में महिला — पुरुष अनुपात (वर्ष 2019—20)
- 4.18 प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण — शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2018—19)
- 4.19 प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण — शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2019—20)
- 4.20 लोक प्राधिकारीवार प्रगति विवरण (वर्ष 2018—19)
- 4.21 लोक प्राधिकारीवार प्रगति विवरण (वर्ष 2019—20)

लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2018-19)

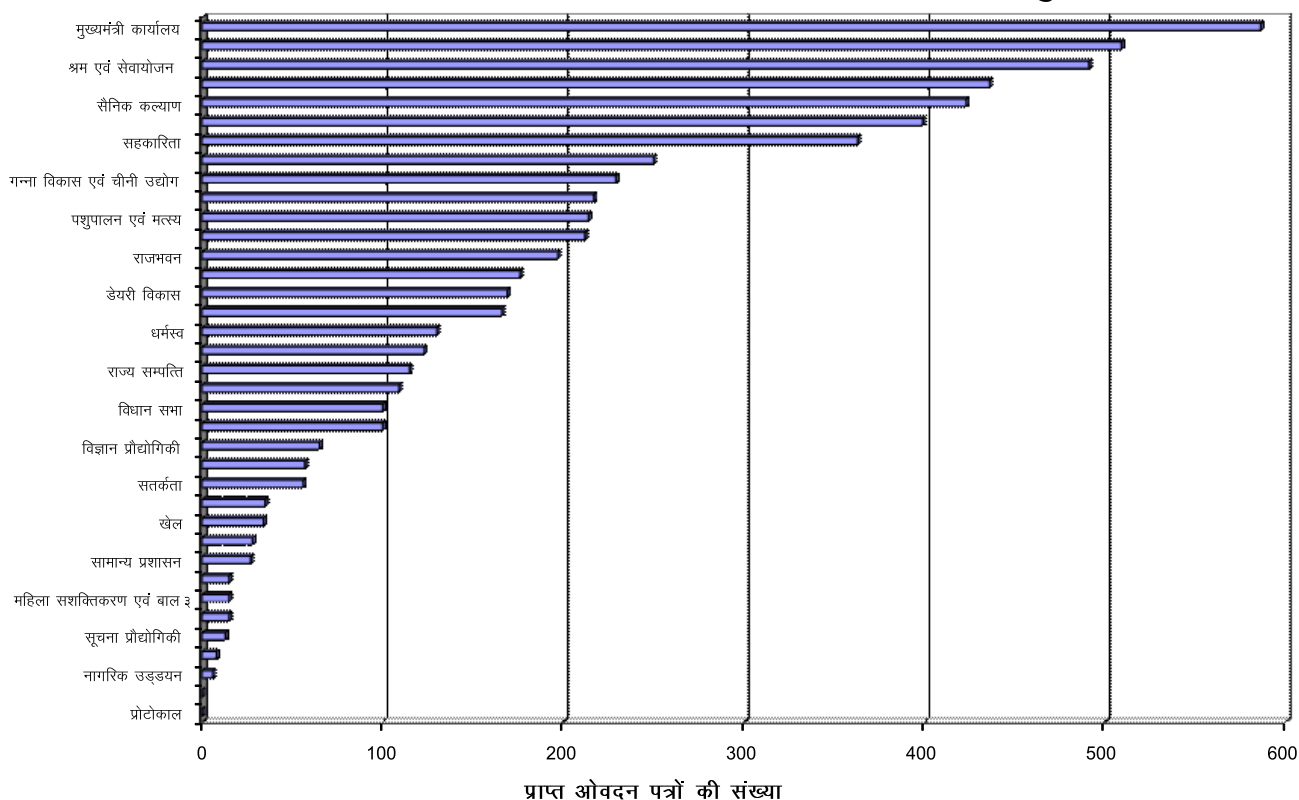
श्रेणी – क (ऐसे विभाग जहां 2500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जहां 600 से 2500 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

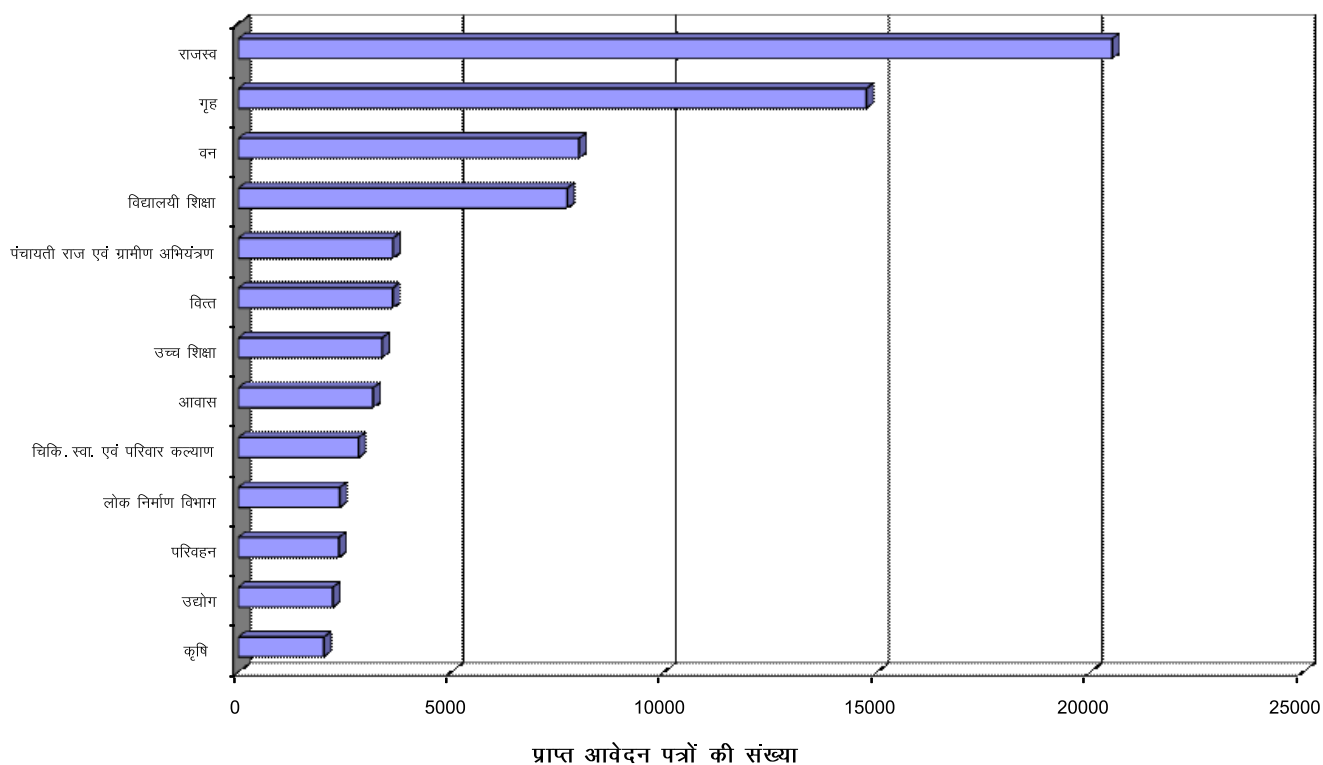


श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जहां 0 से 599 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

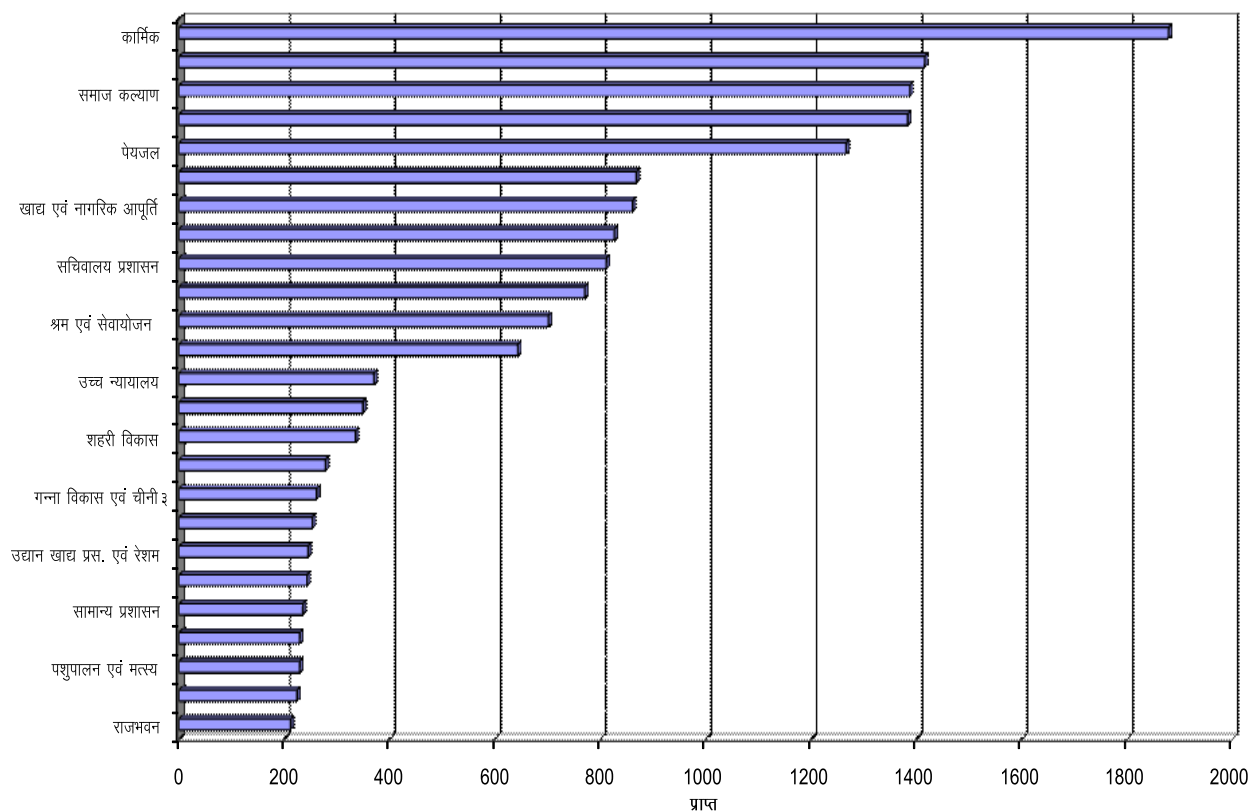


लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2019 – 20)

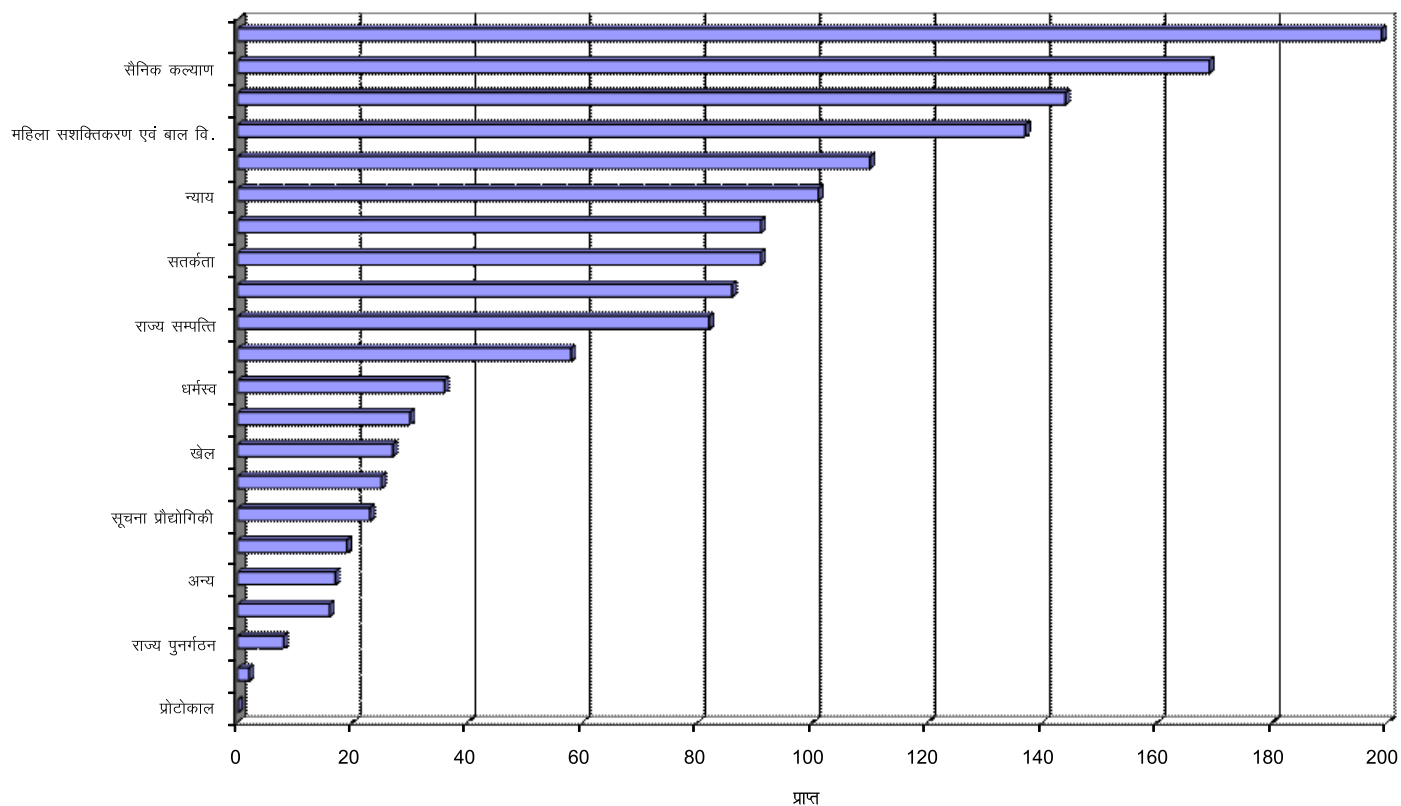
श्रेणी – क (ऐसे विभाग जिन्हें 200 से 21000 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

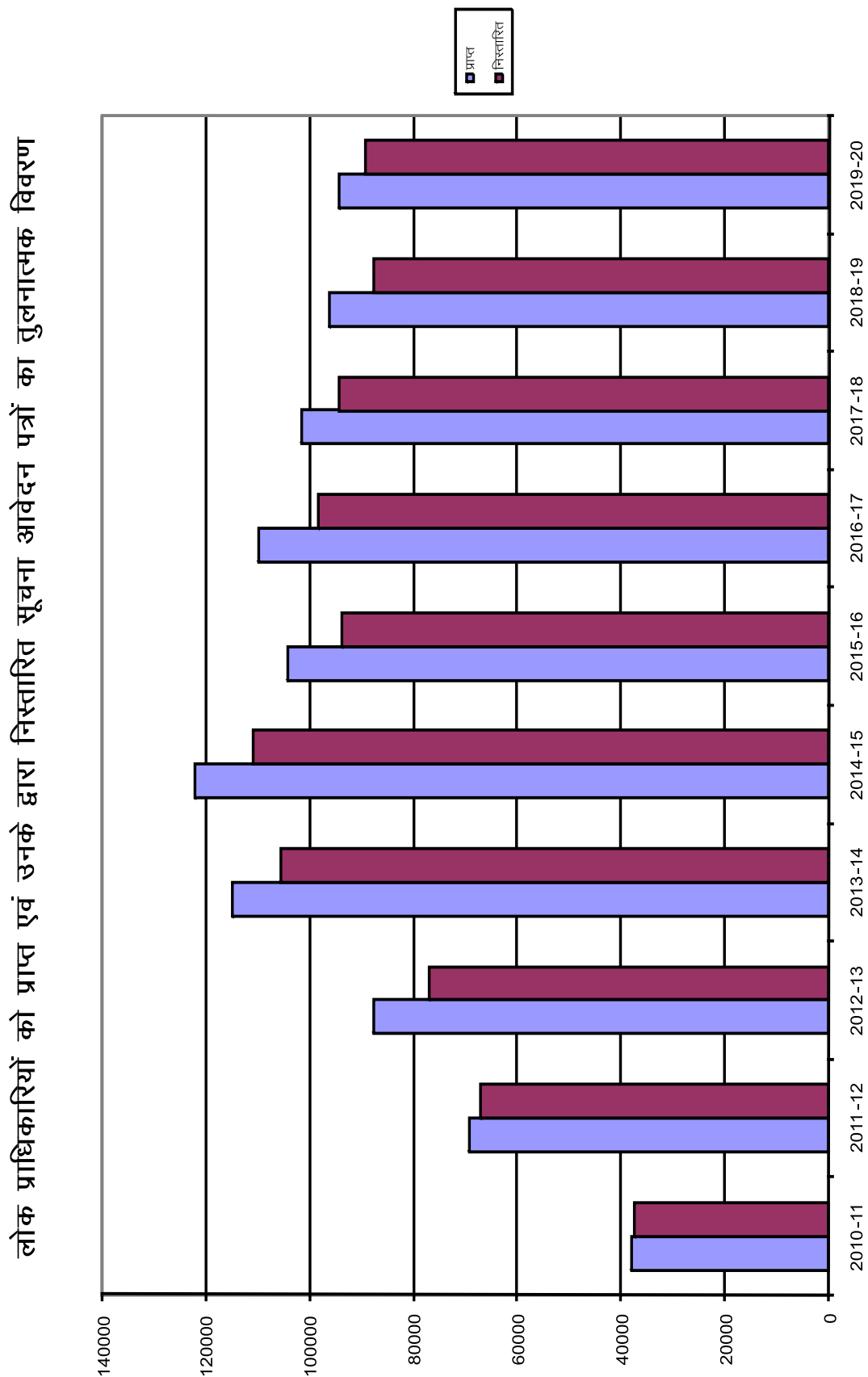


श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जिन्हें 211 से 1900 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



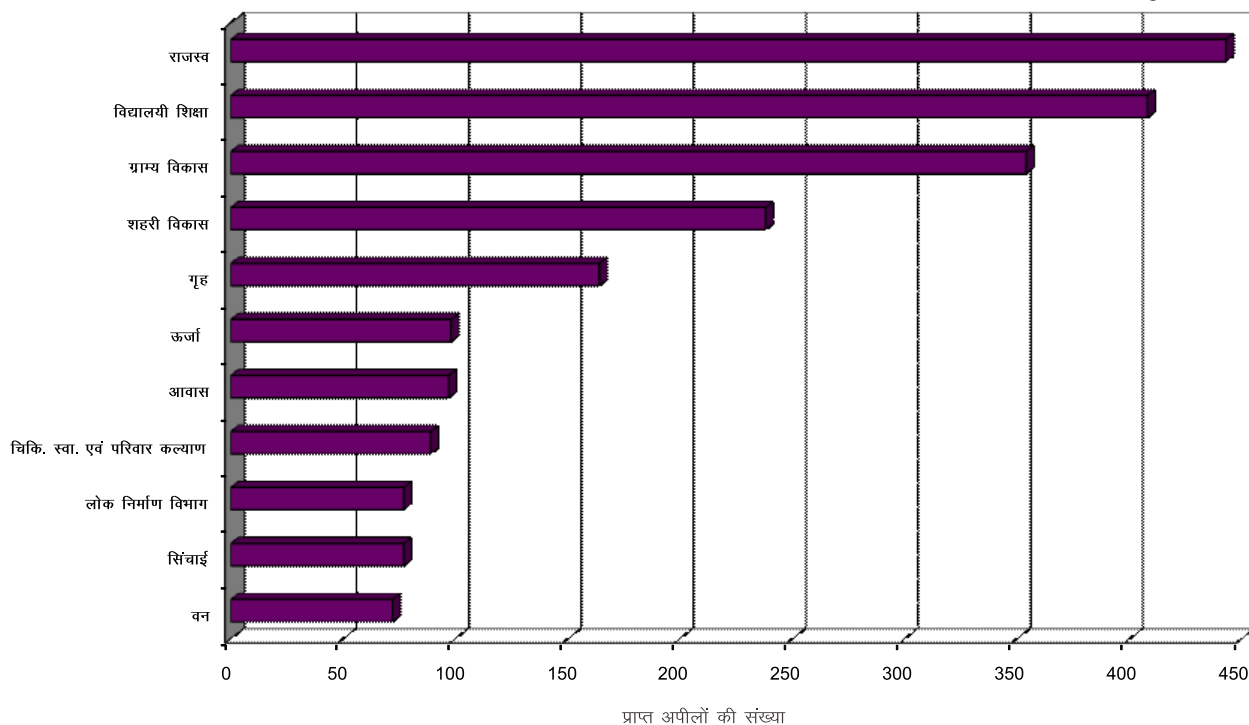
श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जिन्हें 0 से 199 आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



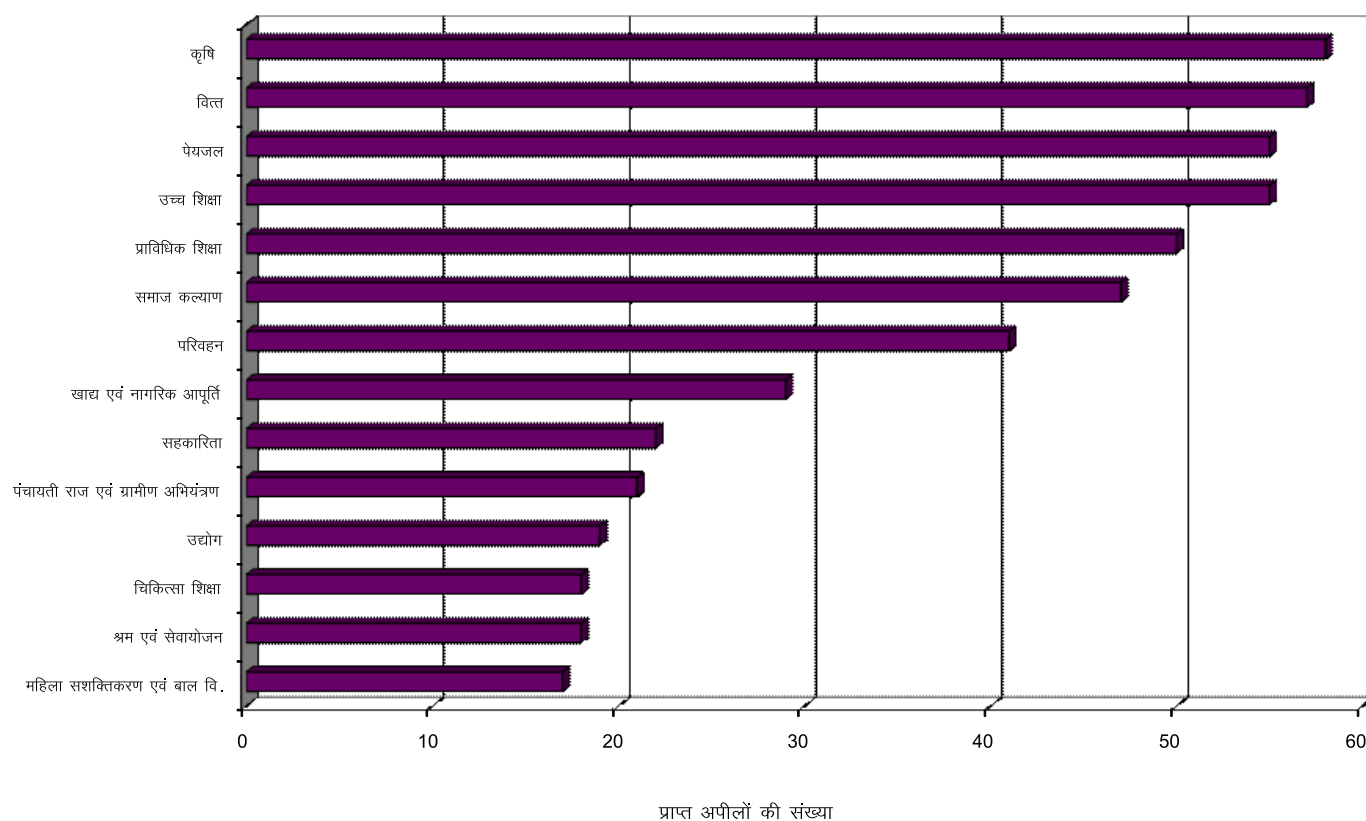


लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (2018-19)

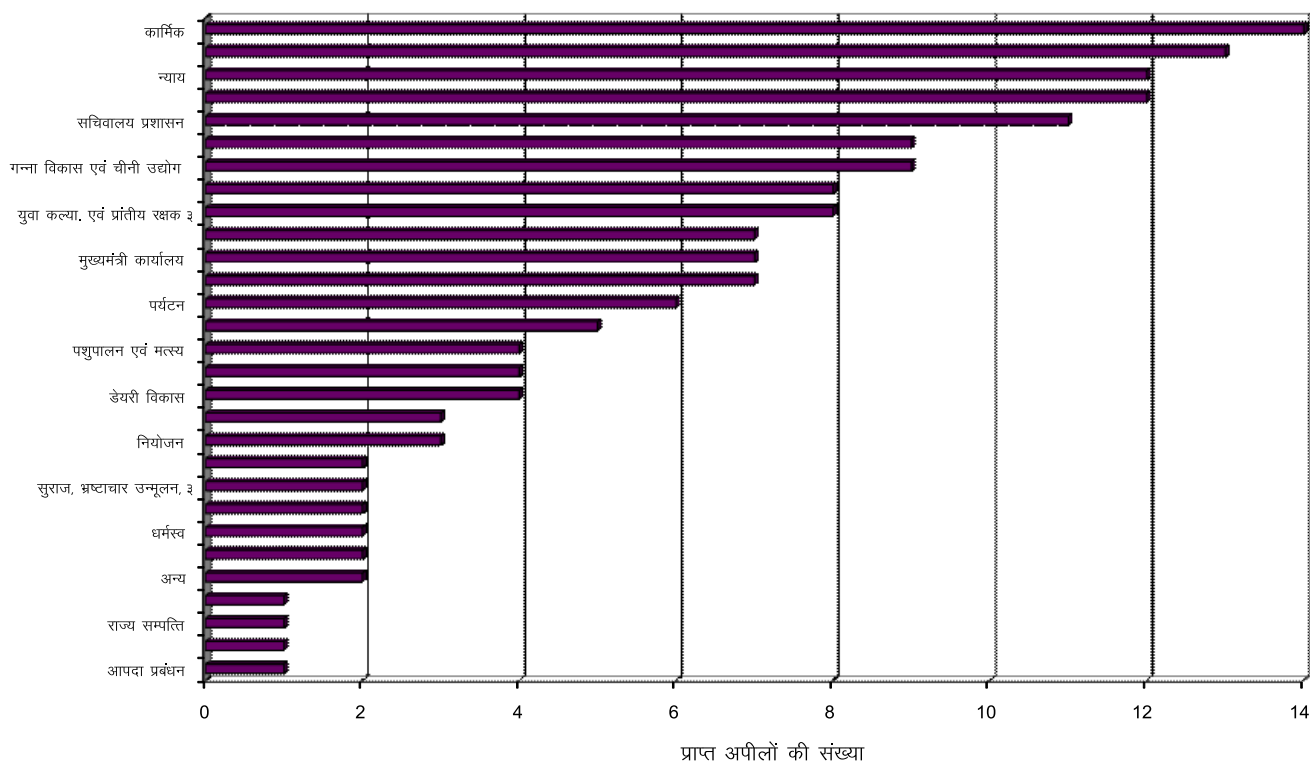
श्रेणी – क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में अधिक संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)



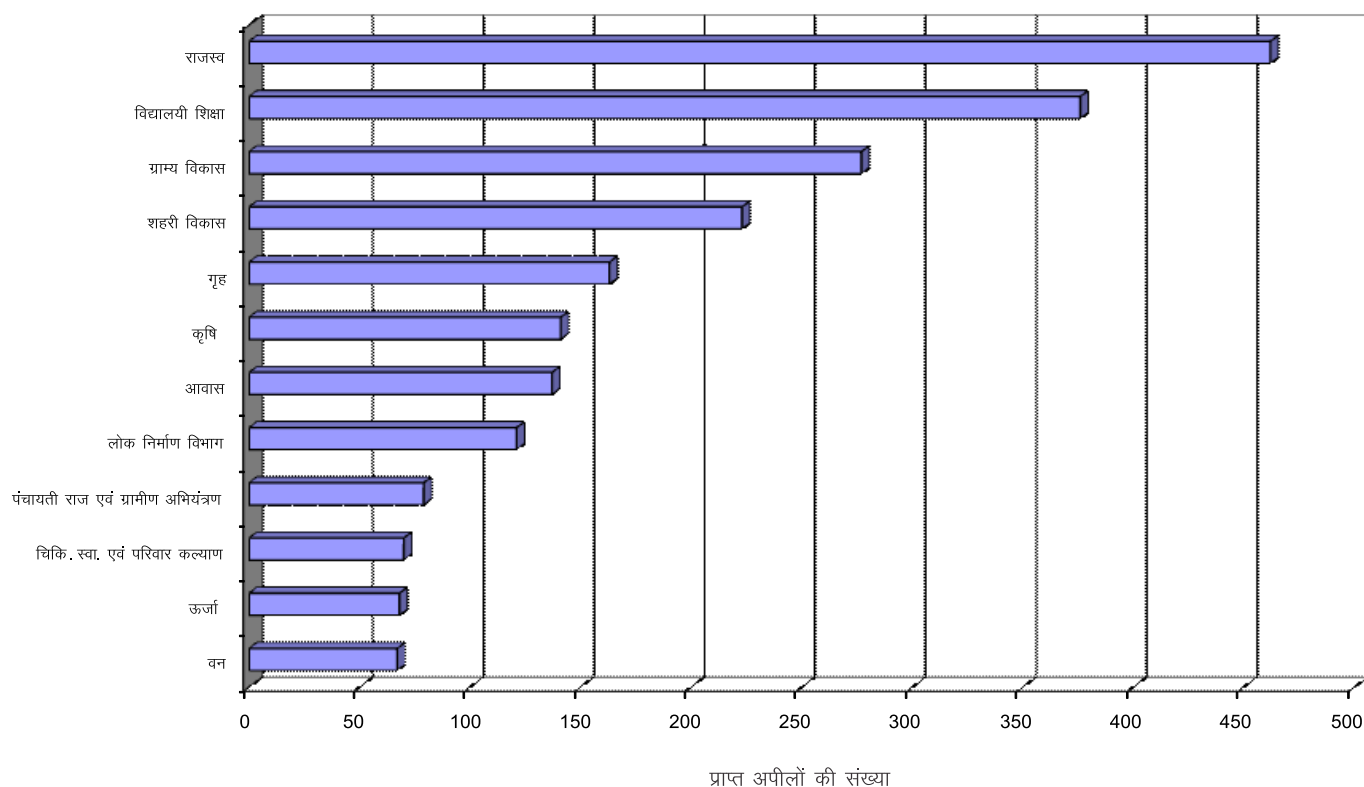
श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में सामान्य संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)



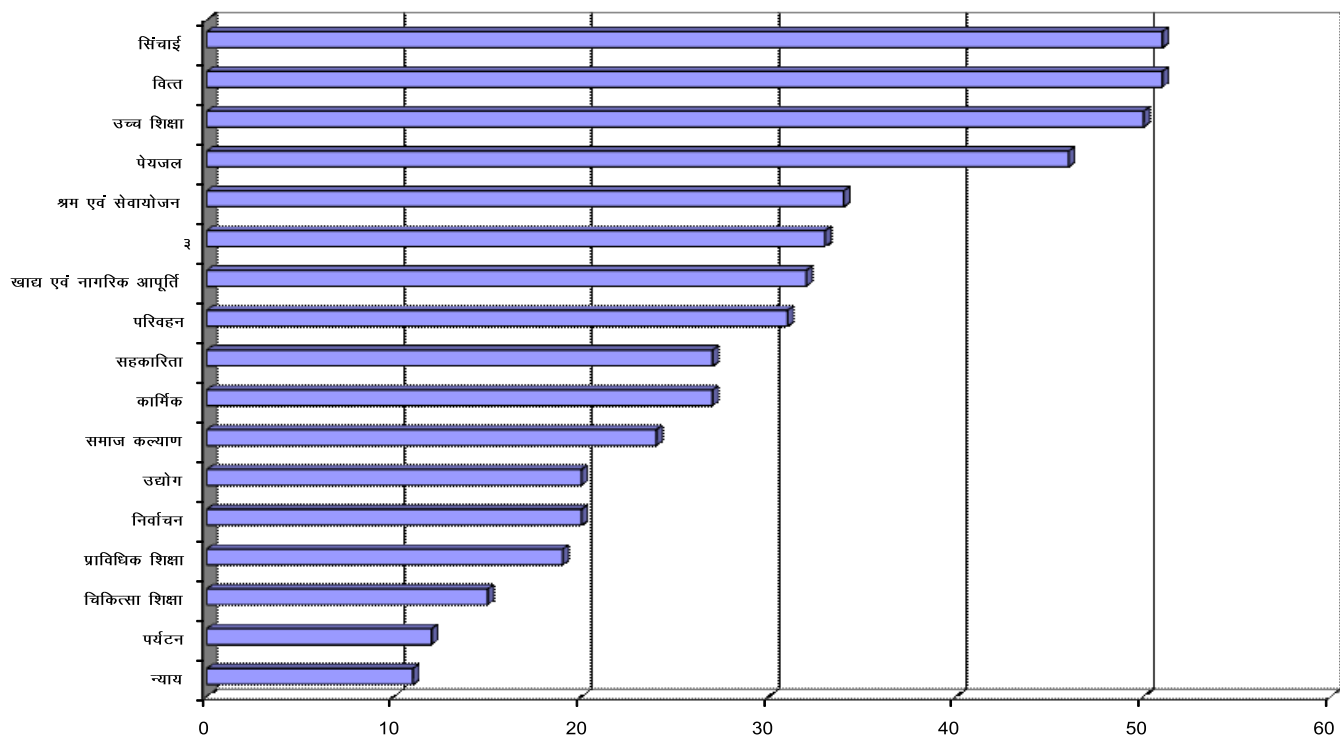
श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में कम संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)



लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (2019-20) श्रेणी – क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में अधिक संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)

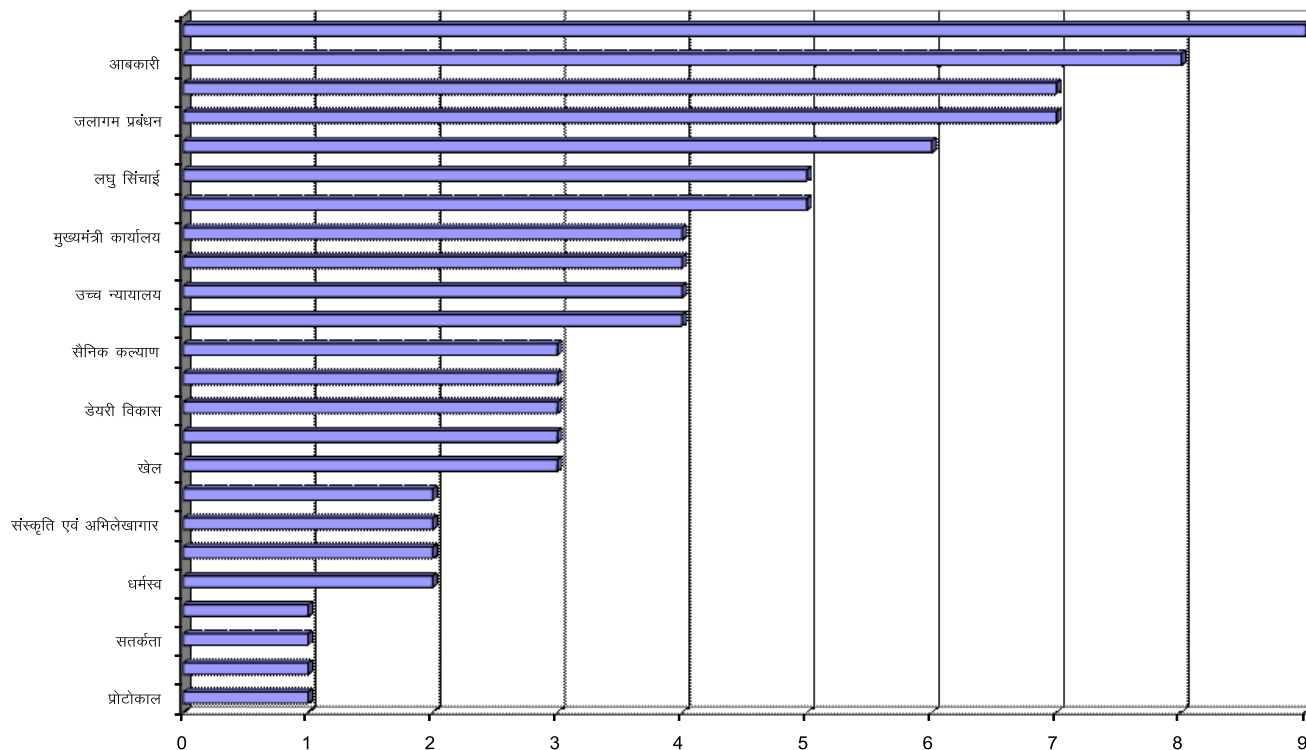


श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में सामान्य संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)



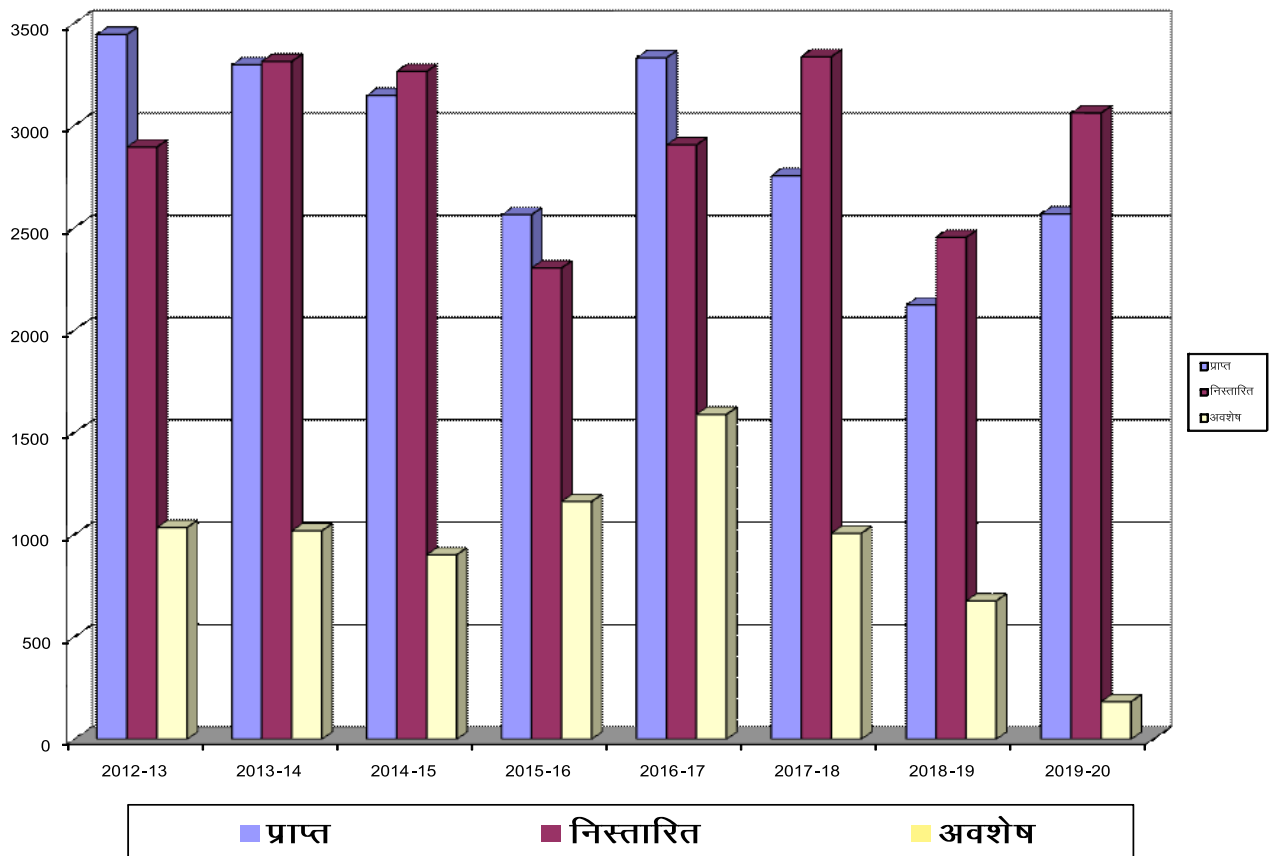
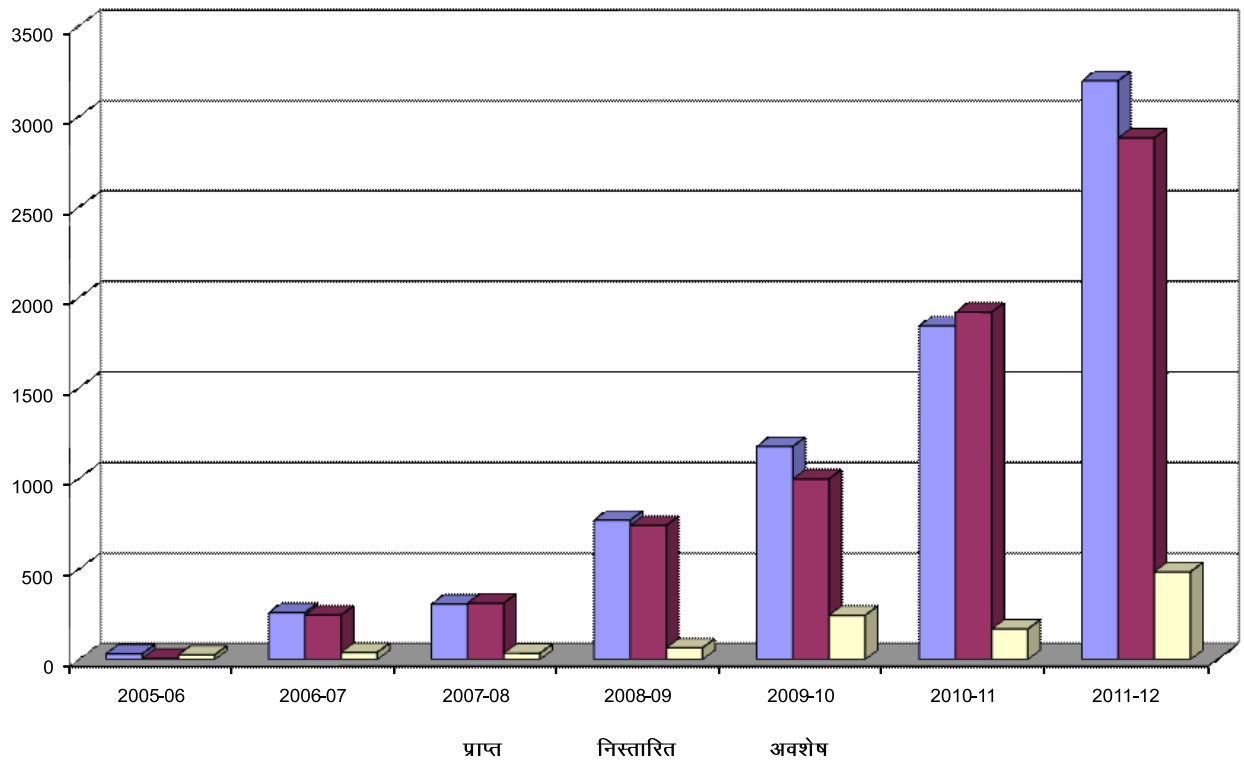
प्राप्त अपीलों की संख्या

श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में कम संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं)

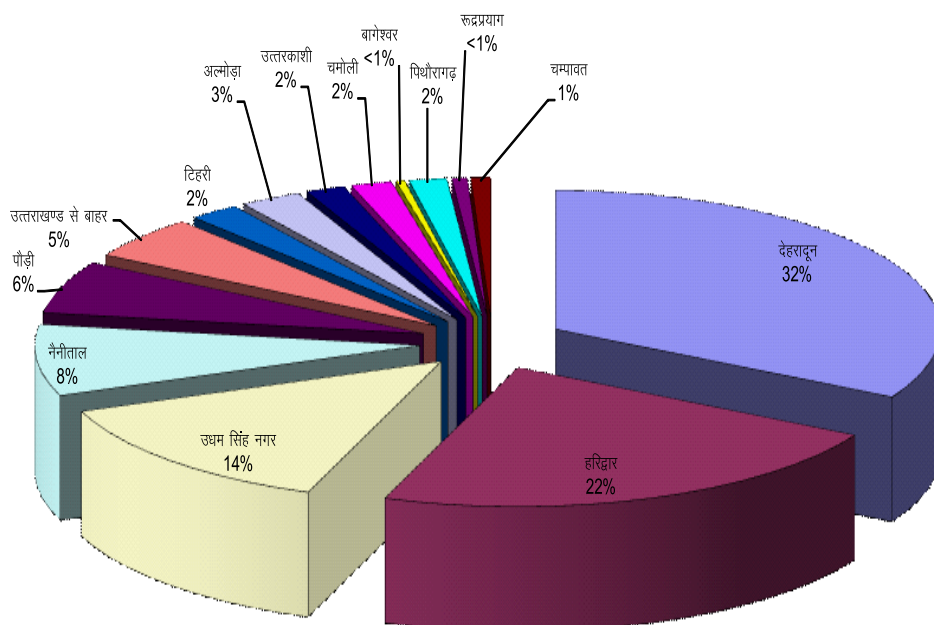


प्राप्त अपीलों की संख्या

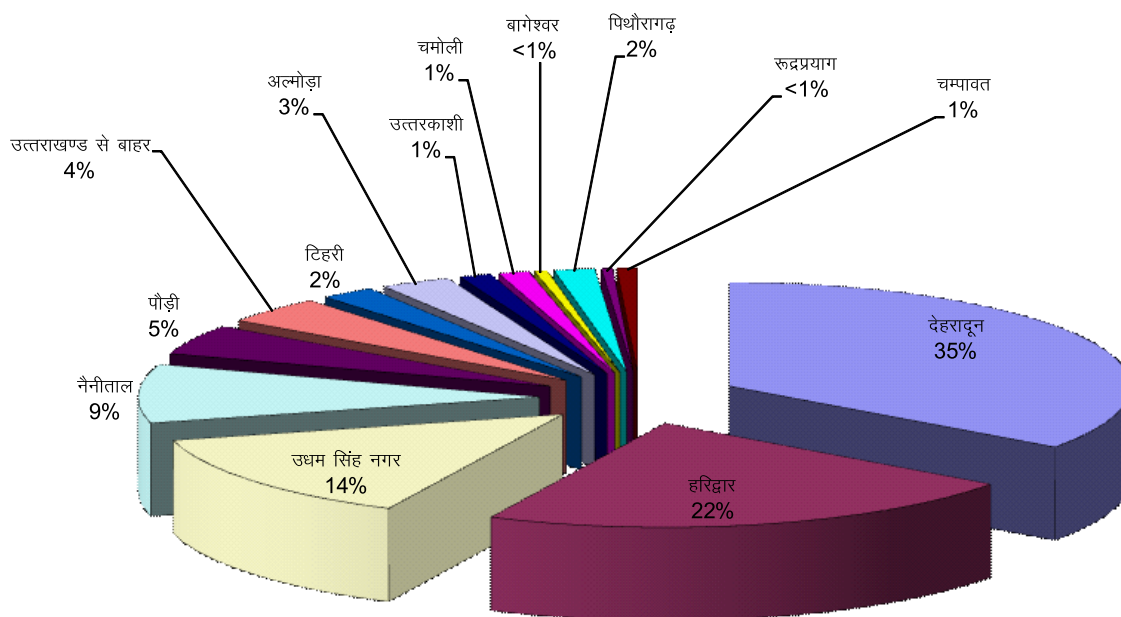
आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का निस्तारण



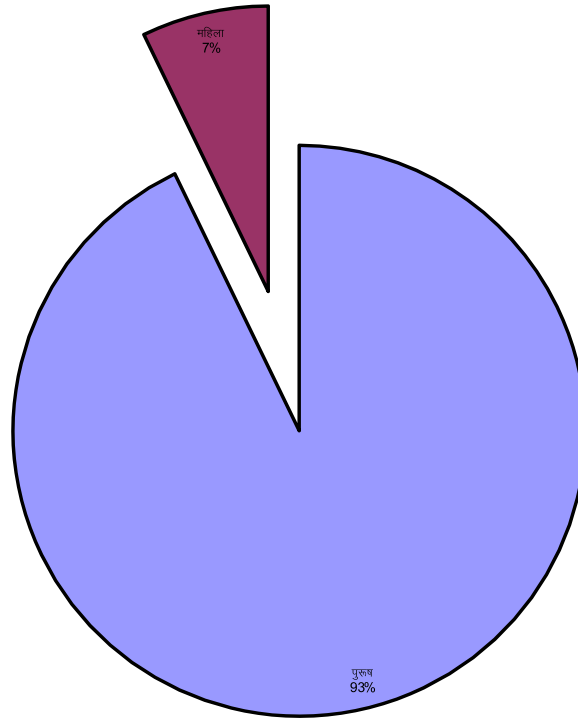
जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलें (प्रतिशत में) 2018 – 19



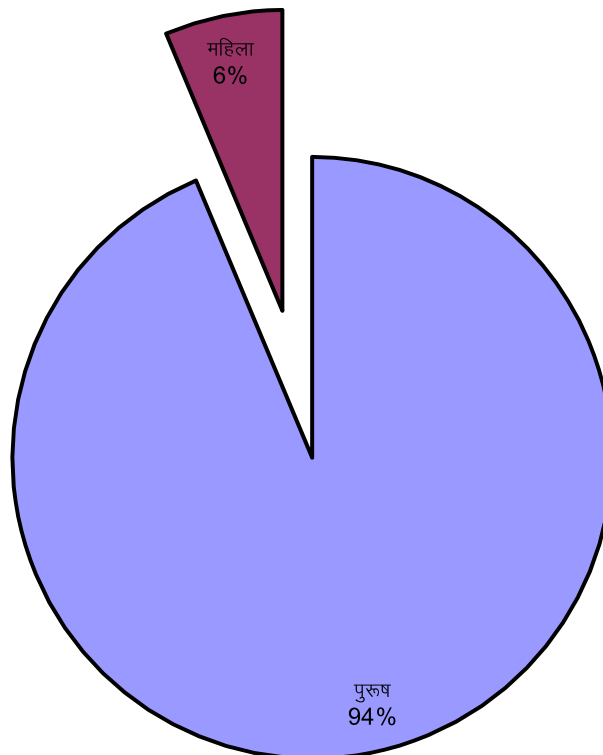
जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (प्रतिशत में), 2019 – 20



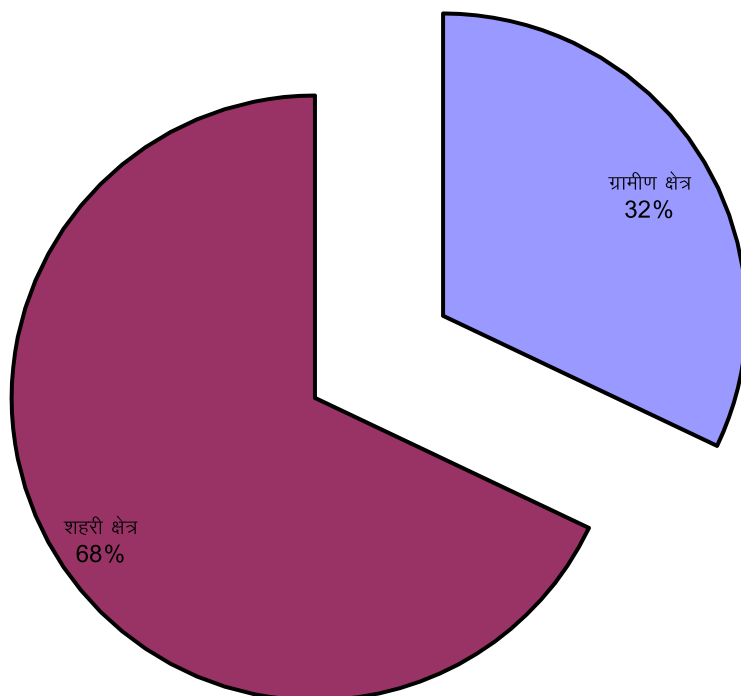
द्वितीय अपीलों का महिला-पुरुष अनुपात (वर्ष 2018-19)



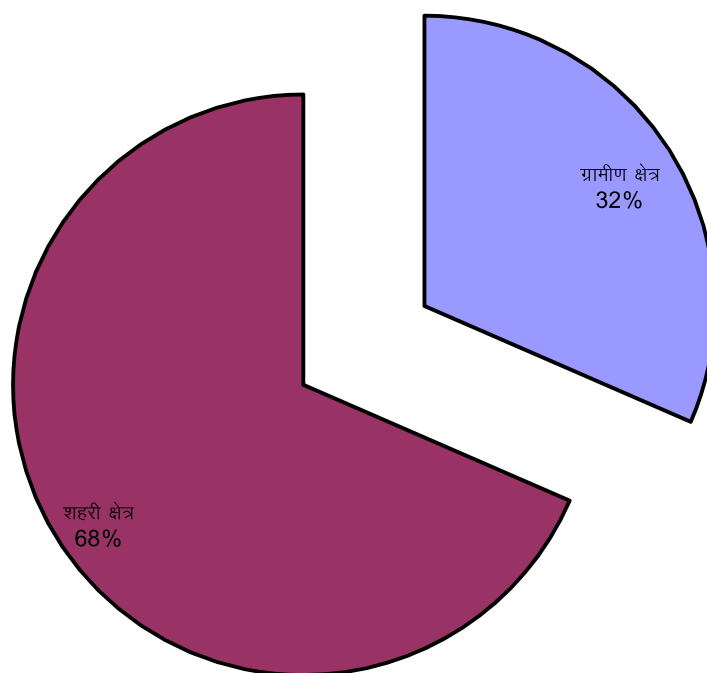
द्वितीय अपीलों का महिला-पुरुष अनुपात (वर्ष 2019-20)



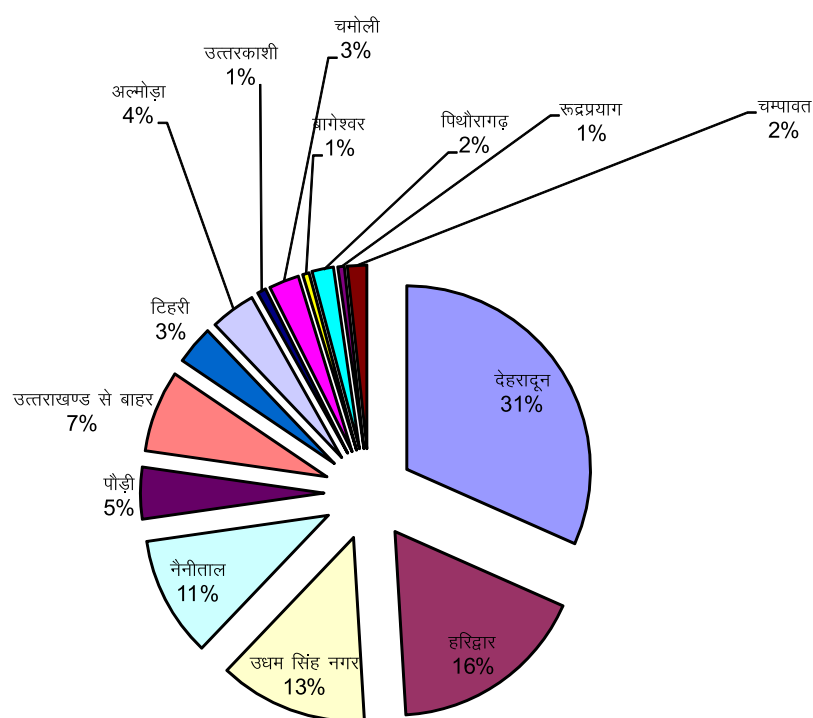
द्वितीय अपीलों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2018-19)



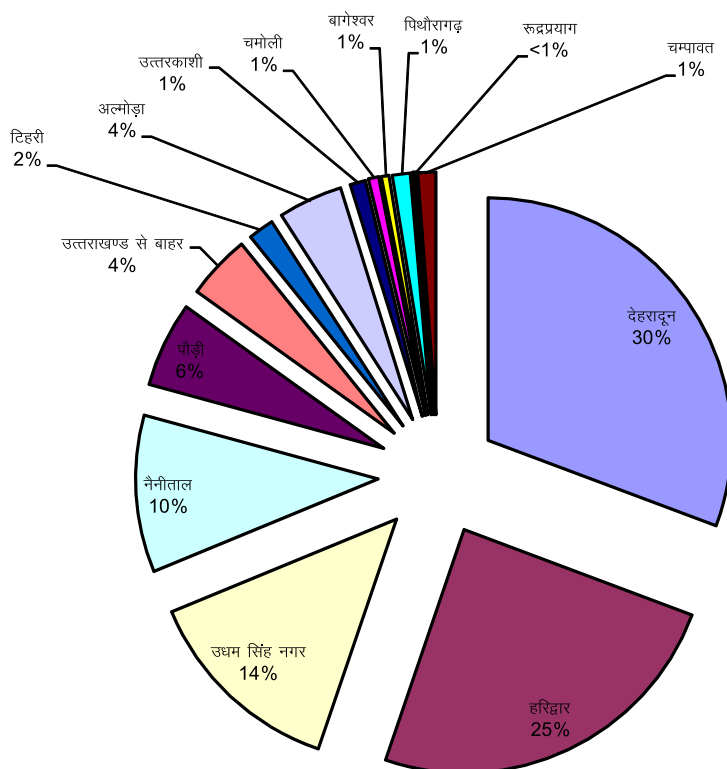
द्वितीय अपीलों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2019-20)



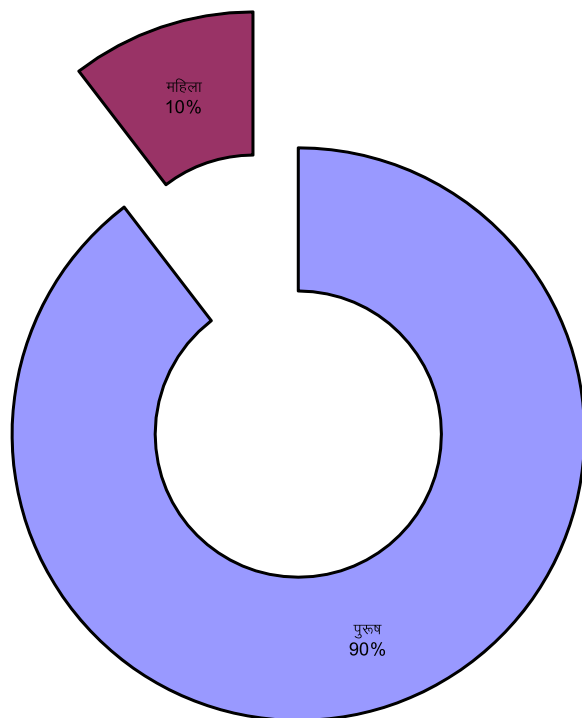
जनपदवार प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत (वर्ष 2018-19)



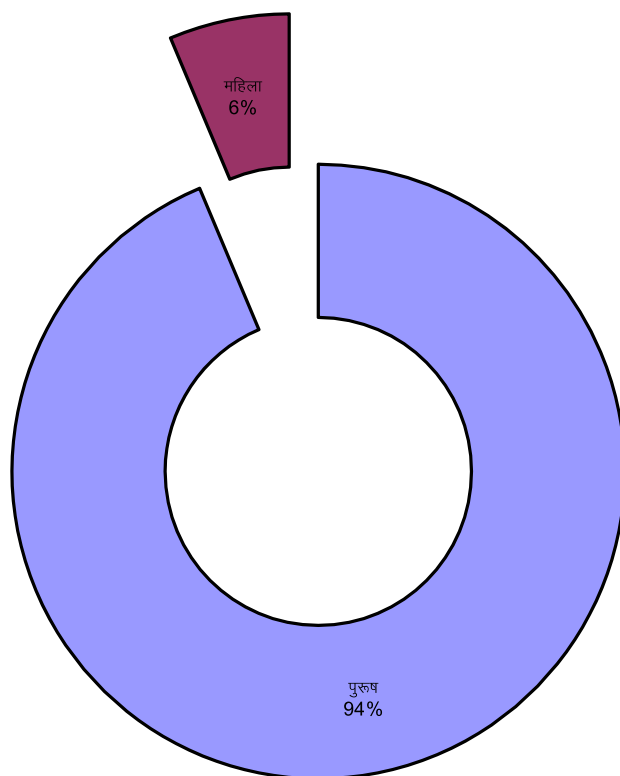
जनपदवार प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत (वर्ष 2019-20)



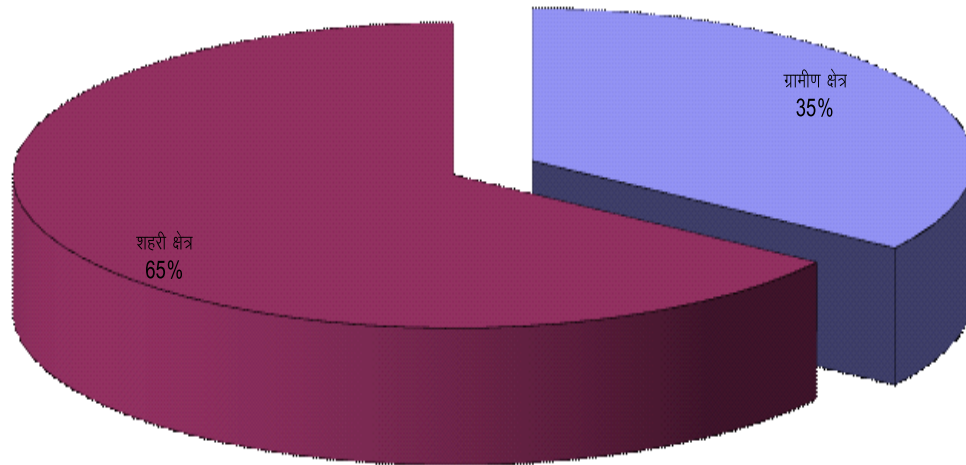
प्राप्त शिकायतों में महिला-पुरुष अनुपात (वर्ष 2018-19)



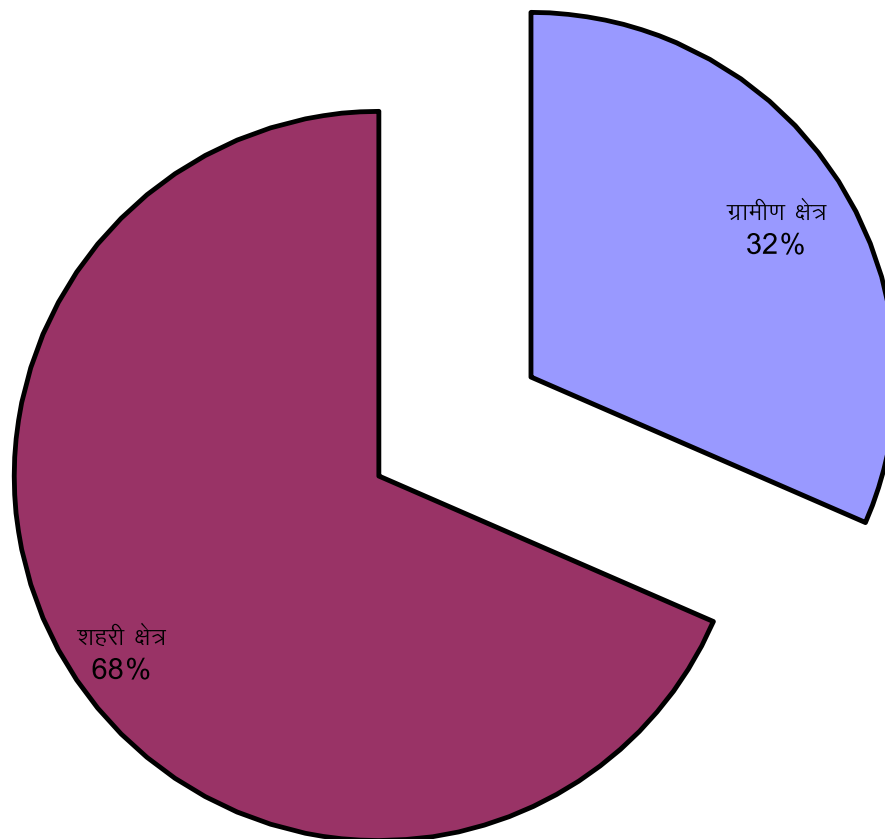
प्राप्त शिकायतों में महिला-पुरुष अनुपात (वर्ष 2019-20)



प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2018-19)



प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2019-20)



लोक प्राधिकारी / विभागवार प्रगति विवरण

वर्ष : 2018 - 19

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया													
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धाराएँ													
									धारा 8 (1)													
									(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	कृषि	1560	1361	11	169	133	1	33335														
2	पशुपालन एवं मत्स्य	214	213	0	9	9	0	3758			1											
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	586	586	0	33	31	1	6526														
4	नागरिक उड्डयन	6	6	0	1	1	0	20														
5	गोपन	35	35	0	5	5	0	564														
6	सहकारिता	363	349	3	39	39	0	6877														
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	28	28	0	9	9	0	160														
8	डेयरी विकास	169	132	0	19	20	0	5250														
9	आपदा प्रबंधन	15	15	0	4	4	0	240														
10	पेयजल	866	748	4	142	123	0	10964														
11	उच्च शिक्षा	4486	4105	8	105	108	5	54343														
12	विद्यालयी शिक्षा	11214	11125	34	1766	1748	14	110198														
13	प्राविधिक शिक्षा	1213	947	2	156	147	10	30612														
14	निर्वाचन	677	617	0	14	12	0	16842														
15	ऊर्जा	1348	1126	4	149	127	0	25667					1			1						
16	राज्य सम्पत्ति	115	114	4	9	6	3	1686														
17	सैनिक कल्याण	423	423	0	17	17	0	3736														
18	आबकारी	123	123	0	19	19	0	3320														
19	वित्त	4789	4522	33	275	238	1	92996														
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1070	1070	0	127	127	0	14941														
21	वन	6721	6033	83	748	655	2	227575														
22	सामान्य प्रशासन	27	29	0	1	1	0	1480														
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	1389	1328	45	160	150	8	17455														
24	गृह	16916	16874	124	883	874	90	134945									18				13	37

25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	509	486		5	68	65	0	21628												
26	आवास	2541	2469		0	202	119	0	21435												
27	उद्योग	3026	2134		0	272	254	0	71802												
28	सूचना प्रौद्योगिकी	13	13		0	0	0	0	140												
29	सूचना	250	250		0	32	32	0	8159												
30	सिंचाई	1397	961		11	188	151	4	28677												
31	न्याय	100	100		0	5	5	0	1619												
32	श्रम एवं सेवायोजन	491	491		0	87	87	0	9680												
33	चिकित्सा शिक्षा	1266	1219		2	130	130	0	22247												
34	लघु सिंचाई	176	165		0	25	24	0	4226												
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	865	643		1	47	45	1	26274												
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	8	8		0	2	1	1	150												
37	कार्मिक	2475	2449		1	191	188	3	48003												
38	नियोजन	57	56		0	3	3	0	1468												
39	प्रोटोकाल	0	0		0	0	0	0	0												
40	लोक निर्माण विभाग	3238	1787		0	334	212	0	89627												
41	धर्मस्व	130	130		0	18	18	0	5986												
42	राजस्व	16084	13924		39	1689	1312	85	148993												
43	ग्राम्य विकास	436	436		3	114	111	7	3188												
44	सचिवालय प्रशासन	217	217		0	13	13	0	8672												
45	समाज कल्याण	1765	1574		11	85	79	0	24934												
46	खेल	34	34		0	0	0	0	470												
47	राज्य पुनर्गठन	0	0		0	0	0	0	0												
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	229	316		0	10	20	0	2318												
49	पर्यटन	109	103		0	28	25	0	340												
50	परिवहन	3314	3251		1	223	205	0	38095												
51	शहरी विकास	1832	1407		0	47	24	1	5874												
52	सतर्कता	56	56		16	3	3	0	310						16						
53	जलागम प्रबंधन	212	212		0	32	31	0	2844												
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	15	15		0	0	0	0	1616												
55	युवा कल्या.. एवं प्रांतीय स्क्षक दल	166	161		2	5	5	0	4062												
56	राजभवन	197	183		0	11	10	0	3453												
57	विधान सभा	100	100		0	9	9	0	3137												
58	उच्च न्यायालय	399	391		6	51	42	33	4571									3	1		
59	विज्ञान प्रौद्योगिकी	65	65		0	4	4	0	4634												
60	अन्य	15	15		0	2	2	0	2789												
	कुल योग	96140	87730		453	8769	7832	270	1424911		0	0	1	0	3	0	0	35	0	1	37

वर्ष : 2019 - 20

लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र				प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें											
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या	धारा 8 (1)								धारा 9	धारा 11	धारा 24			
								(क)		(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)				(ज)	(झ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	2008	1709	4	193	164	2	34853													
2	पशुपालन एवं मत्स्य	229	229	0	23	23	1	4648													
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	643	643	0	30	30	0	8320													
4	नागरिक उड्डयन	19	19	0	0	0	0	90													
5	गोपन	25	25	3	5	5	3	678													
6	सहकारिता	349	337	2	54	53	0	5232													
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	110	110	0	11	11	0	1274													
8	डेयरी विकास	199	181	0	20	18	2	6118													
9	आपदा प्रबंधन	16	16	0	0	0	0	110													
10	पेयजल	1266	1236	0	143	151	0	19145													
11	उच्च शिक्षा	3378	3052	0	114	95	36	60950													
12	विद्यालयी शिक्षा	7721	7637	0	1228	1214	1	98435													
13	प्राविधिक शिक्षा	770	770	0	86	86	5	24639													
14	निर्वाचन	868	856	1	22	22	0	14872													
15	ऊर्जा	1415	1176	2	110	99	0	27243					4					3			
16	राज्य सम्पत्ति	82	81	0	8	5	3	1682													
17	सैनिक कल्याण	169	169	0	10	10	0	1414													
18	आबकारी	229	229	0	18	18	0	4719													
19	वित्त	3627	3555	0	324	322	0	84558													
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	861	861	0	111	111	0	7150													
21	वन	7999	6757	15	449	347	1	207645													
22	सामान्य प्रशासन	235	181	54	20	20	0	2834													
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	2821	2780	42	335	297	40	36641										1			
24	गृह	14746	14628	82	1361	1338	42	166023								25	1	4		9	54
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	245	199	0	15	14	0	7382													

[illegible]

**लोक प्राधिकारियों के स्तर पर
धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत
स्वः प्रकटन की स्थिति**

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके।

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

- (i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।
- (ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
- (iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना।
- (iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।
- (v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण।
- (vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।
- (vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

- (viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)।
- (ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
- (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति।
- (xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विवरण की सूचना सहित)।
- (xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
- (xiii) रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण।
- (xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम।
- (xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे।
- (xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण।
- (xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है। परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है। शासन स्तर से इन समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में

निर्देश जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वेबसाइट /पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त मैनुअलों को तैयार करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय-समय पर लोक प्राधिकारियों को निर्गत निर्देशों के

फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को तैयार कर लिया गया है। प्रदेश के जिन लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने तैयार मैनुअल्स को डिजिटल कर लिया गया है, उनकी सूची इस अध्याय में दी जा रही है।



सूचना का
अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति (वर्ष 2018-19 एवं 2019-20)

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों की सूची जिनके द्वारा
अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैन्युअलों को डिजिटलाईज कर लिया गया है

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग	
1	कृषि विभाग	
	1.1	कृषि निदेशालय
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद
	1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
	1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
	1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
	1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
	1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
	1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
	1.3.6	निर्माण खण्ड, मण्डी परिषद
2	पशुपालन विभाग	
	2.1	पशुपालन निदेशालय
	2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
	2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
	2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
	2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
	2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
	2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
	2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग
	2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
	2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
	2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
	2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
	2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
	2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
	2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार
	2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
	2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड
	2.2	मतस्य निदेशालय
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड

3	मुख्य मंत्री कार्यालय	
4	नागरिक उड्डयन	
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय
5	गोपन	
6	सहकारिता	
	6.1	सहकारिता निदेशालय
7	संस्कृति	
	7.1	संस्कृति निदेशालय
8	डेयरी विकास	
	8.1	दुग्ध आयुक्त
9	आपदा प्रबंधन	
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय
10	पेयजल	
	10.1	स्वजल परियोजना
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
	10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी
11	उच्च शिक्षा	
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय
	11.2	दून विश्वविद्यालय
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय
	11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
	11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
	11.3.3	डिग्री कालेज, गरुड़, जनपद बागेश्वर
	11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय
	11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
12	विद्यालयी शिक्षा	
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय
	12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
	12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
	12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़
	12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़
	12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली
	12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली
	12.1.7	डायट, रुड़की, जनपद हरिद्वार
	12.1.8	डायट, अल्मोड़ा
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान
	12.3	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

13	प्राविधिक शिक्षा	
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
	13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
	13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
	13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
	13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
	13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद
14	निर्वाचन	
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग
15	ऊर्जा	
	15.1	उरेडा
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
	15.3	पिटकुल
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
	15.4.1	अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
	15.5	मुख्यालय, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि.
16	राज्य सम्पत्ति	
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग
17	सैनिक कल्याण	
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय
	17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
18	आबकारी विभाग	
	18.1	आबकारी आयुक्त
	18.1.1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी
19	वित्त विभाग	
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स
	19.2.1	पिथौरागढ़
	19.2.2	चम्पावत
	19.2.3	टिहरी
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय
	19.4	मनोरंजन कर विभाग
	19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग

		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति		
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग	
21	वन		
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड	
		21.1.1	प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें
		21.1.2	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म
		21.1.3	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट
		21.1.4	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ
		21.1.5	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, हल्द्वानी
		21.1.6	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.7	वन संरक्षक दक्षिणी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.8	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून
		21.1.9	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती
		21.1.10	वन संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फेयर रिज़र्व, गोपेश्वर
		21.1.11	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी
		21.1.12	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
		21.1.13	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर
		21.1.14	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत
		21.1.15	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा
		21.1.16	प्रभागीय वन अधिकारी, टौंस
		21.1.17	प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय, हल्द्वानी
		21.1.18	प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल
		21.1.19	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण, उत्तरकाशी
		21.1.20	प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी
		21.1.21	उप वन संरक्षक, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	
	21.3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व	
	21.4	वन विकास निगम	
22	सामान्य प्रशासन विभाग		
23	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण		
	23.1		
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी
		23.1.2	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
		23.1.3	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल
			23.1.3.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलकाण्डा
			23.1.3.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल

			23.1.3.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैलपड़ाव
			23.1.3.4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी
			23.1.3.5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटाबाग
			23.1.3.6	बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी
		23.1.4	मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली	
		23.1.5	मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत	
		23.1.6	मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	
		23.1.7	मुख्य चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर	
		23.1.8		
			23.1.8.1	वि.मो.जो. जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा		
24	गृह			
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस		
		24.1.1	जनपद बागेश्वर	
		24.1.2	जनपद टिहरी	
		24.1.3	जनपद रुद्रप्रयाग	
		24.1.4	जनपद देहरादून	
		24.1.5	जनपद हरिद्वार	
		24.1.6	जनपद चम्पावत	
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा	
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़	
		24.1.9	जनपद पौड़ी	
		24.1.10	जनपद रुद्रप्रयाग	
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर	
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		
	24.3	होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय		
	24.4	अभियोजन निदेशालय		
25	उद्यान एवं रेशम			
	25.1	उद्यान निदेशालय		
		25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी	
		25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली	
		25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून	
		25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी	
		25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार	
	25.2	रेशम निदेशालय		
	25.3	भेषज विकास इकाई		
	25.4			

26	आवास	
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास
	26.4	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
27	उद्योग	
	27.1	उद्योग निदेशालय
	27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
	27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
28	सूचना प्रौद्योगिकी	
	28.1	आई.टी.डी.ए.
	28.1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
29	सूचना एवं लोक संपर्क	
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय
30	सिंचाई	
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
	30.1.1	अधिशाली अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2	पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना
31	न्याय	
	31.1	न्याय विभाग
	31.2	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
	31.3	महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड
32	श्रम एवं सेवायोजन	
	32.1	श्रम आयुक्त
	32.2	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
	32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
33	चिकित्सा शिक्षा	
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय
	33.1.1	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
	33.1.2	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	33.2	
	33.2.1	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
	33.2.2	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
	33.2.3	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
	33.2.4	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मसी, हरिद्वार

34	लघु सिंचाई		
	34.1	लघु सिंचाई विभागाध्यक्ष कार्यालय	
		34.1.1	अधीक्षण अभियंता, बागेश्वर
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण		
	35.1	पंचायती राज निदेशालय	
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बागेश्वर
36	विधायी		
	36.1	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग	
37	कार्मिक		
	37.1	कार्मिक विभाग	
	37.2	लोक सेवा अधिकरण	
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	
38	नियोजन		
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण	
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय	
39	प्रोटोकॉल		
	39.1	प्रोटोकॉल	
40	लोक निर्माण विभाग		
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर	
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)	
		40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर
		40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर
		40.2.3	अस्थायी खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी
		40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी
		40.2.5	अस्थायी खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी
		40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून
41	धर्मस्व		
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति	
42	राजस्व		
	42.1	राजस्व पुलिस	
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **	
		42.2.1	आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल
		42.2.2	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
		42.2.3	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली
		42.2.11	जिलाधिकारी, हरिद्वार
		42.2.12	जिलाधिकारी, बागेश्वर
		42.2.13	जिलाधिकारी, चम्पावत
		42.2.14	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर
		42.2.15	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार
43	ग्राम्य विकास		
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **	
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़
			43.1.2.1 खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट
			43.1.2.2 खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर
			43.1.3.1 खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट
		43.1.4	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.1 खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.2 खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5	खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैंण
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान	
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी	
44	सचिवालय प्रशासन		
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग	
45	समाज कल्याण		
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय	
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग	
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग	
	45.4	उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड	
46	खेल		
	46.1	खेल निदेशालय	
		46.1.1	जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधम सिंह नगर

47	पुनर्गठन	
48	गन्ना एवं चीनी	
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी
49	पर्यटन	
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान
50	परिवहन	
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम
51	शहरी विकास	
	51.1	शहरी विकास निदेशालय
	50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी
	50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
	50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा
	50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
	50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा
	50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
	50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर
	50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
	50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
	50.1.10	नगर पालिका परिषद, मंगलौर
	50.1.11	नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग
52	सतर्कता	
	52.1	सतर्कता ब्यूरो
53	जलागम	
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय
54	महिला एवं बाल विकास	
	54.1	राज्य महिला आयोग
55	युवा कल्याण	
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी
56	राजभवन	
	56.1	राजभवन
57	विधान सभा	
	57.1	विधान सभा

58	उच्च न्यायालय	
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड
	58.2	महाधिवक्ता कार्यालय
59	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा	
	59.1	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

** अभिलेखों को पुनः टंकित न करा, उन्हें मात्र स्कैन कर मैनुअल तैयार किये गये हैं.

आयोग की संस्तुतियां

आयोग की संस्तुतियां

आयोग द्वारा इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से निम्नलिखित संस्तुतियां राज्य सरकार के विचारार्थ प्रेषित की जा रही हैं :

संस्तुति : 1

शासन द्वारा प्रख्यापित सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में विद्यमान नियम 3(क), 5(क), 5(च), 6(ग)(1), 7(क), 8(क), 8(घ), 9(क), 9(घ), 9(ड)(1) तथा 11(च) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त नवीन प्रस्ताव में दिये गये संशोधनों के अनुसार सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में नियमों को संशोधित कर नवीन संशोधित नियमावली को प्रख्यापित करने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

संस्तुति : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले आवेदन शुल्क/अतिरिक्त शुल्क को वर्तमान में पोस्टल ऑर्डर अथवा नगद जमा कराये जाने की वर्तमान व्यवस्था के कारण होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में जनसामान्य से कई पत्र/अनुरोध आयोग में प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान समय में जनसामान्य द्वारा ऑनलाईन भुगतान के माध्यम को एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

आयोग की संस्तुति है कि जनसामान्य को होने वाली कठिनाई के निराकरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले आवेदन शुल्क/अतिरिक्त शुल्क को ऑनलाईन भुगतान प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

**आयोग द्वारा
द्वितीय अपीलों / शिकायतों में
आरोपित शास्तियां**

अपील एवं शिकायतों में दिये गये शास्ति/क्षतिपूर्ति/विभागीय कार्यवाही का विवरण

वर्ष	अपील/ शिकायतों की संख्या जिनमें आर्थिक दण्ड दिया गया	कुल धनराशि	वसूल की गई धनराशि	अपील/शिकायतों की संख्या जिनमें विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई	विभागीय क्षतिपूर्ति की धनराशि	मा10 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन
2005-2006	0	000	0	0	0	0
2006-2007	13	55000	55000	3	0	0
2007-2008	12	115000	37000	6	0	3
2008-2009	66	249500	127000	3	290000	8
2009-2010	76	115000	995	16	150995	1
2010-2011	153	593100	166000	11	505900	43
2011-2012	175	1088500	86000	3	287500	41
2012-2013	126	927250	18750	4	32500	14
2013-2014	116	1439750	118750	3	21000	6
2014-2015	225	2863636	601000	0	53500	12
2015-2016	151	2613572	720500	0	0	29
2016-2017	221	4890250	564000	0	0	41
2017-2018	186	3994250	774000	0	0	25
2018-2019	96	1684000	481500	03	5000	9
2019-2020	220	2947875	12000	15	75528	7
2006 To 2020 Total	1836	23576683	3762495	67	1421923	239

वर्ष 2018-19

क. सं.	शिकायत / अपील संख्या	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या तथा दिनांक	शास्ति/वसूली/कटौती सम्बन्धी
1	A-25249	13.04.2018	श्री प्रदीप दत्ता, 11 चन्द्र रोड, डालनवाला, जिला देहरादून-248001/ जिला आबकारी अधिकारी, जिला देहरादून/ जिलाधिकारी, जिला देहरादून	जिला आबकारी अधिकारी, जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
2	A-24755	05.04.2018	श्री जी0 पी0 जिज्ञासु, कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मल्ला मैसकोट, विकास खण्ड मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़/ खण्ड विकास अधिकारी, मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़	ग्राम प्रधान श्रीमती नन्दी देवी, ग्राम पंचायत मल्ला मैसकोट, विकास खण्ड मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			WP No.1939/2018	
3	A-24579	26.04.2018	श्री विनोद कुमार जैन, सदस्य आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड(रजि0), एल-79, ऋषिलोक कालोनी उप ऋषिकेश, जिला देहरादून/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 /1, अन्सारी मार्ग, देहरादून/ निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5 /1, अन्सारी मार्ग, देहरादून/ श्री किशन चन्द है। उप वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अन्सारी मार्ग देहरादून	श्री किशन चन्द तत्कालीन वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1, अन्सारी मार्ग देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				

4	A-19214	25.04.2018	श्री रमेश चन्द्र शर्मा प्रबंधक, टस्ट्री, धर्मशाला, माई गिंदा कुंवर बरेली ट्रस्ट सुभाष घाट देहरादून पर 25000 रुपये की हरिद्वार/नायब तहसीलदार तहसील डोईवाला, जिला देहरादून/तहसीलदार तहसील डोईवाला देहरादून/कार्यालय जिलाधिकारी, जिला देहरादून	माई कार्यालय जिलाधिकारी, जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					
5	A-25427	26.04.2018	श्री जयदीप अन्धवाल पुत्र श्री धनीराम अन्धवाल, ग्राम अन्धवाल गांव, पोस्ट औठ-कठूड़, अन्धवाल पट्टी हिन्दाव, विकास खण्ड भिलंगना, घनशाली, जिला टिहरी गढ़वाल/ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत तहसील विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अन्धवाल गांव, खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी पोस्ट औठ-कठूड़, पट्टी हिन्दाव, तहसील गढ़वाल पर 25000 रुपये की घनशाली, विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी शक्ति आरोपित की गयी है। गढ़वाल/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत गांव, पोस्ट औठ-कठूड़, अन्धवाल गांव, पट्टी हिन्दाव, औठ-कठूड़, पट्टी हिन्दाव, विकास तहसील घनशाली, विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					
6	A-24655	25.04.2018	श्री बालेश गुप्ता, सम्यदक सुनहरा दर्पण समाचारपत्र, कार्यालय-11/10, एजेंडा बिजनैस सेंटर, राजपुर रोड, देहरादून/कर अधीक्षक, भूमि, नगर निगम, देहरादून/सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/श्री राजेन्द्र उनियाल पटवारी नगर देहरादून	श्री राजेन्द्र उनियाल पटवारी नगर देहरादून पर 6500 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					
7	A-22293	27.04.2018	श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम प्वाहार खान, उर्फ झीवर हेड़ी पोस्ट औठ सुल्तानपुर कुन्हारी जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार/जिला विकास अधिकारी, की शक्ति आरोपित की गयी है। हरिद्वार/सहायक खण्ड विकास अधिकारी, वर्तमान है। लक्सर जिला हरिद्वार	श्री ईश्वर सिंह भण्डारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, वर्तमान लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					

8	C-11513	25.04.2018	श्री अमर सिंह कश्यप पुत्र श्री बलवन्त सिंह कश्यप, निवासी ईदगाह मौहल्ला, सहसपुर जिला देहरादून/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक देहरादून/जिला पंचायत राज अधिकारी, कलेक्ट्रेट हरिद्वार देहरादून/पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत सेन्ट्रल हौप जिलाधिकारी देहरादून पर टाउन, विकास खण्ड सहसपुर जिला 25000 रुपये की शास्ति देहरादून/श्री अजय कुमार गोयल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट हरिद्वार जिलाधिकारी देहरादून	श्री अजय कुमार गोयल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट हरिद्वार जिला 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				WP No. 2250/2018 मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश दिनांक 1.08.2018 के अनुपालन में याची द्वारा 25000 हजार की धनराशि चालान संख्या-23 दिनांक 6.08.2018 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
9	A-22528	27.04.2018	श्री संजय ध्यानी, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलनकारी, निकट नगर पालिका स्कूल नम्बर-04, अपर कालाबड़, कोटद्वार-246149, जिला पौड़ी गढ़वाल/अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल/उप जिलाधिकारी, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्रीमती अमरजीत कौर, अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बडकोट जिला उत्तरकाशी पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
10	A-20770	26.04.2018	श्री देवेन्द्र चमोली, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, ग्राम टेमना पोस्ट चोपड़ा, हाल निवास वेलनी रुद्रप्रयाग/अधिकासी अधिकारी नगर पालिका रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग, /उप जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग	तत्काली लोक सूचना अधिकारी, श्री एम0एल0 शाह अधिकासी अधिकारी नगर पालिका रुद्रप्रयाग, पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
11	A-25269	16.04.2018	श्री अमर सिंह कश्यप पुत्र श्री बलवन्त सिंह कश्यप, निवासी ग्राम ईदगाह मौहल्ला, पोस्ट अधिकारी, ग्राम पंचायत औ0-ईदगाह मौहल्ला, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास सहसपुर, जिला देहरादून पर 16000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शंकरपुर, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून पर 16000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	16000.00				

12	C-12287	26/03/2019	श्री मनीष कुमार पाण्डेय, मंडोरी फार्म, छड़यल नयाबाद, गैस गोदाम रोड, पोस्ट ओ-हरिपुर नायक हल्दानी, जिला नैनीताल-263139/अनु सचिव, गृह अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री ज्योतिर्मय त्रिपाठी अनु सचिव, गृह अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
13	A-24273	26.04.2018	श्री मौसम सिंह पुत्र श्री होशराम, ग्राम करणपुर, पोस्ट दाबकी कला, विकास खण्ड खानपुर, जिला तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार/प्रधान / ग्राम हरिद्वार पर 25000 रुपये की पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार	प्रधान ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
14	A-24615	02.04.2018	श्री सलीम अहमद बी-306, रॉकवैली अपार्टमेंट, सेवलाकला, देहरादून/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भगवन्तपुर, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी, सहसपुर, जिला देहरादून	ग्राम प्रधान, श्री रितेश जोशी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भगवन्तपुर, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
15	A-25176	12.04.2018	श्री गिरवर सिंह, ग्राम उप प्रधान, ग्राम फेरूपुर, रामखेड़ा, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फेरूपुर बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत फेरूपुर बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				

16	A-25227	17.04.2018	श्री विकास सैनी पुत्र श्री अनिल सैनी, ग्राम अहमदपुर ग्रंट, पोस्ट औ0-बहादुरबाद, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम अहमदपुर ग्रंट, विकास खण्ड बहादुरबाद, जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अहमदपुर ग्रंट, विकास खण्ड बहादुरबाद, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					
17	A-25482	10.04.2018	श्री हीरा सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम टुण्डा चौड़ा, पोस्ट औ0-कण्डासछीना, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम टुण्डा चौड़ा, विकास खण्ड गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टुण्डा चौड़ा, विकास खण्ड गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00				पत्रांक संख्या-141/33 दिनांक 24 अप्रैल 2019 चालान संख्या-9 दिनांक 18/4/2019 के माध्यम से जाम कर दिया है।	
18	A-21310	17.04.2018	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक, ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर बेरी ट्रस्ट सुभाषघाट हरिद्वार निगम उत्तराखण्ड/सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार/मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार उत्तराखण्ड	सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					
19	A-20967	13.04.2018	श्री कृष्ण सिंह बोरा, निवासी ग्राम भागपुर, पोस्ट बढियौवाला, तहसील व थाना जसपुर जिला सिंह नगर उत्तराखण्ड/ग्रामाधिकारी, जसपुर नगर उत्तराखण्ड/प्रमारी निरीक्षक, जसपुर नगर उत्तराखण्ड पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	श्री निरीक्षक, जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					

20	A-22774	12.04.2018	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, एच-255, नेहरू कालोनी, देहरादून/ खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून /खाद्यायुक्त कार्यालय, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				ट्रेजरी चालान संख्या 02/दिनांक 05 जुलाई 2018 के द्वारा जमा किया जा चुका है।
21	A-24738	19.04.2018	श्री हरी दत्त तिवारी, अ0न0/टंकक, तहसील परिसर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल/तहसीलदार, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				पत्रांक संख्या 2783/ज0सू0आ0 दिनांक 26/8/2019 द्वारा वाउचर संख्या-ए24010013 दिनांक 30/7/2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
22	A-22347	26.04.2018	श्री हरिशंकर पाण्डेय, कार्यालय, कृषि एवं भूमि मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून संरक्षण अधिकारी, सहस्रपुर, जिला देहरादून/मुख्य पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
23	A-25100	04.05.2018	कुमारी रीना पुत्री श्री वीरेन्द्र सिंह, ग्राम नारसम कलां, पोस्ट औ0-नारसम कलां, जिला हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा), जिला हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला हरिद्वार	जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा), जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				

24	A-25355	07.05.2018	श्री अनिल कुमार उर्फ काला पुत्र श्री श्यामा, निवासी ग्राम नन्हेड़ा, अनन्तपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / रुड़की, जिला हरिद्वार पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नन्हेड़ा अन्तपुर, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की, जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत नन्हेड़ा अन्तपुर, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शान्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					
25	A-25571	09.05.2018	श्री रफल सिंह पुत्र श्री नगीना सिंह, ग्राम माजरी, ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर, पोस्ट औठ-गोवर्धनपुर, जिला विकास खण्ड खानपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार	ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शान्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					
26	A-23742/23738/23741/23736/23735	09.05.2018	सुश्री मीना मट्ट पुत्री श्री बी0 डी0 मट्ट, मकान नम्बर-345 ए, वार्ड नम्बर-2, ग्राम जवाहरनगर, पोस्ट औठ नगला, पतनगर, जिला ऊधम सिंह प्रौद्योगिक नगर /संयुक्त निदेशक शोध, अनुसंधान निदेशालय, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पतनगर-263145, जिला ऊधम सिंह नगर	लोक प्राधिकारी, कुलपति गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पतनगर-263145, जिला ऊधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शान्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					चालान संख्या 53 दिनांक 3 अगस्त 2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
27	A-22302	10.05.2018	श्री हरीशंकर पाण्डेय, कार्यालय, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर, जिला देहरादून/कार्यालय प्रभारी, न्याय पंचायत आमणी, पोस्ट आमणी, विकास खण्ड देवप्रयाग, जिला हिन्डोलाखाल, जिला टिहरी गढ़वाल/मुख्य कृषि अधिकारी, जिला टिहरी गढ़वाल	कार्यालय प्रभारी, न्याय पंचायत आमणी, पोस्ट आमणी, विकास खण्ड देवप्रयाग, हिन्डोलाखाल, जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शान्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					वाउचर संख्या ए24010011 दिनांक 31/12/2018 के द्वारा वसूल कर लिया गया है।

28	A-25479	11.05.2018	श्री भरत सिंह पुत्र स्व0 श्री सोमदत्त, निवासी ग्राम नियामतपुर, मार्फत श्री संजय कुमार कश्यप, एडवोकेट, चैम्बर-नम्बर-158, तहसील परिसर, सिविल लाईन रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भौरी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भौरी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					चालान संख्या 218 दिनांक 4 दिसम्बर 2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
29	A-25192	14.05.2018	श्री रोहित सचदेवा, लाईव टुडे न्यूज चैनल, जीवनगढ़ रोड, पुलिस चौकी डाकपथर के पीछे, विकासनगर, जिला देहरादून-248125/अधिसासी 25000 रुपये की शांति अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, सैक्टर 2जी0/13बी0, विधि विहार, नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल	अधिसासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					
30	A-25405	15.05.2018	श्री रफल सिंह पुत्र श्री नगीना सिंह, ग्राम माजरी, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, खानपुर, जिला हरिद्वार	ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					
31	A-25396	15.05.2018	श्री बरेश पाल पुत्र स्व0 श्री रूल्हा सिंह, ग्राम कानेवाली रायसिंह, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कानेवाली रायसिंह, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड खानपुर, जिला हरिद्वार	ग्राम पंचायत कानेवाली रायसिंह, जिला हरिद्वार पर 20250 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	20250.00					
32	A-25434	18.05.2018	श्री नवीन राणा, सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्य पोस्ट औ0-स्वर्गश्रम वाया ऋषिकेश-249304, जिला पौड़ी गढ़वाल/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला पौड़ी गढ़वाल/जिलाधिकारी, पौड़ी, जिला गढ़वाल/कार्यालय जिलाधिकारी, पौड़ी, जिला गढ़वाल/कार्यालय जिलाधिकारी, पौड़ी, जिला गढ़वाल/जिलाधिकारी, जिला पौड़ी गढ़वाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पौड़ी, जिला गढ़वाल पर 20250 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	20250.00					पत्रांक संख्या 2603 दिनांक 5 सितम्बर 2018 के द्वारा माई मई 2018 के वेतन से कटौती कर दी गयी है।

33	A-25350	10.05.2018	श्री जोग सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, निवासी ग्राम छोया, पोस्ट देवीखाल, तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा/जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्मोड़ा/मुख्य विकास अधिकारी, जिला अल्मोड़ा	श्री जोग सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, निवासी ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाल, पट्टी व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भैंसवाल, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार	प्रधान ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर भैंसवाल, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00			WP No.1760/2018	
34	A-25501	28.05.2018	श्री राव दानिश अली पुत्र श्री राव नवाब, निवासी ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाल, पट्टी व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भैंसवाल, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार	प्रधान ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर भैंसवाल, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					
35	A-25688	31.05.2018	श्री महावीर सिंह चौहान पुत्र श्री सबल सिंह चौहान, कालेज रोड, नियर सत्संग भवन चम्बा, जिला-टिहरी गढ़वाल/परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, ब्लॉक रोड, चम्बा, जिला टिहरी गढ़वाल/महाप्रबंधक(गढ़वाल), निर्माण विग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, 403/1, इन्दिरा नगर, देहरादून	परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, ब्लॉक रोड, चम्बा, जिला टिहरी गढ़वाल पर 13500 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	13500.00					पत्रांक 275/819/20 दिनांक 13/09/018 चालान संख्या-57 दिनांक 13/07/2018 के माध्यम से जमा कर लिया गया है।
36	A-18938	02.05.2018	श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, सिलिल कोर्ट परिसर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुलड़िया, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंहनगर	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गुलड़िया, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00					

37	A-18578	25.04.2018	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर बोरेली ट्रस्ट सुभाष घाट हरिद्वार निगम उत्तराखण्ड/कलेक्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखण्ड/अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जिला हरिद्वार/मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है तथा 2500 की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	2500	पत्रांक संख्या 1474/रा070/2019 दिनांक 11 जुलाई 2019 के माध्यम से जमा कर लिया गया है चैक संख्या 089561 दिनांक 16/7/2019 के द्वारा क्षतिपूर्ति भी उपलब्ध करा दी गयी है।
38	A-19794	01.05.2018	श्री जगमोहन सेठी, पत्रकार, 10 डिसेप्सरी रोड देहरादून उत्तराखण्ड/प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय डेईवाला, जिला देहरादून/निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय डेईवाला, जिला देहरादून पर 15000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	15000.00		चालान संख्या 150 दिनांक 2 अगस्त 2018 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
39	C-12253	23.04.2018	श्री रणजीत सिंह पुत्र स्व0 कस्तार सिंह, सम्पादक उत्तरांचल पंजाबी समाचार पत्र 2-धामावाला बाजार, देहरादून/प्रधानाचार्य, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल सोसायटी चुकखूवाला, देहरादून/सचिव, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल सोसायटी चुकखूवाला, देहरादून	प्रधानाचार्य, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल सोसायटी चुकखूवाला, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00		
40	C-12082	27.04.2018	श्री आशीष कुमार पिपनिया पुत्र श्री डा0 बी0 प्रकाश, मकान नम्बर- 8 / 320, अस्पताल मार्ग, विकासनगर, जिला देहरादून/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, नवाबगढ़, विकास खण्ड देहरादून	प्रधान नवाबगढ़, विकास खण्ड विकासनगर, जिला देहरादून पर 12500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	12500.00		

41	A-25169	16.04.2018	श्री अमर सिंह कश्यप पुत्र श्री बलवन्त सिंह प्रधान / ग्राम पंचायत विकास कश्यप, निवासी ग्राम ईदगाह मोहल्ला, पोस्ट अधिकारी, ग्राम पंचायत औ0-ईदगाह मोहल्ला, विकास खण्ड सहसपुर, शंकरपुर, विकास खण्ड जिला देहरादून/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास सहसपुर, जिला देहरादून पर अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास खण्ड 16000 रुपये की शास्ति सहसपुर, जिला देहरादून/खण्ड विकास आरोपित की गयी है। अधिकारी, सहसपुर, जिला देहरादून	16000.00				पत्र संख्या 573/लेखा/2018-19 दिनांक 15 जुलाई 2018 के द्वारा 5000 हजार की क्षतिपूर्ति भारतीय स्टेट बैंक के चालान द्वारा जमा कर दिया गया है।
42	C-12916	05.06.2018	श्री हरजिन्दर सिंह, 278, खुडबुड़ा देहरादून/अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहरानपुर रोड देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00				
43	C-12880	04.06.2018	श्री शीष पाल सिंह, गांधी नगर, पोस्ट मालधनचौड़ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वाया काशीपुर जिला नैनीताल/अधिशासी वितरण खण्ड गोपेश्वर जिला अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर जिला चमोली पर 25000 रुपये की चमोली/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल शास्ति आरोपित की गयी है। श्रीनगर गढ़वाल	25000.00				
44	A-25780	19.09.2018	श्री राम किशोर पुत्र श्री लाला राम, निवासी ग्राम प्रधान/ ग्राम पंचायत फिरोजपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह फिरोजपुर विकास खण्ड पर नगर /ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास 25000 रुपये की शास्ति अधिकारी, ग्राम पंचायत फिरोजपुर विकास खण्ड आरोपित की गयी है। काशीपुर जिला उधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	25000.00				
45	A-23019	25.09.2018	श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार ज्वाहर खान, उर्फ झीवर हेड़ी पोस्ट औ0 ग्राम पंचायत जवाहरखान उर्फ सुल्तानपुर कुन्हारी जिला हरिद्वार/ग्राम झीवरहेड़ी विकास खण्ड प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम लक्सर जिला हरिद्वार पर पंचायत जवाहरखान उर्फ झीवरहेड़ी विकास खण्ड 10000 रुपये की शास्ति लक्सर जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, आरोपित की गयी है। विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार	10000.00				

46	A-25802	10.10.2018	श्री रकम सिंह पुत्र स्व0 श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम पीरपुरा, पोस्ट मंगलौर, तहसील रुड़की विकास खण्ड हरिद्वार/ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पीरपुरा, विकास खण्ड हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, नारसन जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधानग्राम पंचायत पीरपुरा, विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार पर 1000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	1000.00					पत्रांक संख्या-328/2019-20 दिनांक 31/5/2019 के माध्यम से जमा कर लिया गया है।
47	A-25865	09.10.2018	श्री अंशुल कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार बाल्मीकी मंदिर के पास नई बस्ती, भीमगोडा जिला हरिद्वार/सहायक नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार/अपर नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार पर 8000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	8000.00					चालान संख्या-22 दिनांक 07 जून 2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
48	A-26380	30.10.2018	श्री अमर सिंह कश्यप पुत्र श्री बलवन्त सिंह कश्यप, निवासी ईदगाह मौहल्ला सहसपुर जिला देहरादून/अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत देहरादून/उप जिलाधिकारी, विकास नगर जिला देहरादून	अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00					चालान संख्या-27 दिनांक 4 फरवरी 2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
49	A-26109	01.11.2018	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री सेवा राम, ग्राम व पोस्ट नयागांव, शिमला बाईपास रोड देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी, प्र0शि0 जिला देहरादून/मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला देहरादून	जिला शिक्षा अधिकारी, प्र0शि0 जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					चालान संख्या-8081 दिनांक 4 जुलाई 2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
50	A-26121	01.11.2018	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, एच-25, नेहरू कालोनी देहरादून/जिला आबकारी अधिकारी, जिला देहरादून	जिला आबकारी अधिकारी, जिला देहरादून पर 17250 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	17250.00					चालान संख्या-8081 दिनांक 4 जुलाई 2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।

51	A-26020	22/11/2018	श्री हीरा राम आर्य, रोडेज वर्क शॉप, नियर पी0 डब्लु. डी. कालोनी के समीप चनौली-रैलापाली, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा/जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी, जिला देहरादून/मुख्य विकास अधिकारी, जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/ जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला देहरादून पर 2750 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	2750.00				चालान संख्या-21 दिनांक 20/2/2019 के द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।
52	A-26023	26/11/2018	श्री शुभम पवार पुत्र श्री भजन सिंह पवार, /ग्राम पोस्ट औ0-उत्तरौ, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी जिला उत्तरकाशी	लोक सूचना अधिकारी/जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय स्तरक दल अधिकारी उत्तरकाशी पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	25000.00				
53	A-26029	28/11/2018	श्री राम नारायण मार्फत श्री दिनेश राम, हाई कैम्पस रैनथान, कमरा नम्बर-6एफएफ, मल्लीताल, नैनीताल/प्रधानाचार्य, सी0आर0एस0टी0इ0का0, नैनीताल/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड भीमताल, जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, सी0आर0एस0टी0इ0का0, नैनीताल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	25000.00				
54	A-26071	28/11/2018	श्री आसिम अजहर, आर0टी0 आई कार्यकर्ता, सम्पादक क्राइम का शिकंजा, ग्राम मिस्सरवाला, पोस्ट औ0-कुण्डा, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर /नायब तहसीलदार, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर/ तहसीलदार, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
55	A-26625	07/12/2018	श्री बी.डी. जोशी, मकान नम्बर-165, लेन नम्बर-3, स्ट्रीट नम्बर-4, विवेकानन्द ग्राम, फेस-2, देहरादून-248005/जिला विकास अधिकारी, देहरादून/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	5000.00				

56	A-26605	12/01/2018	श्री सुधीर कुमार पुत्र स्व० श्री बेनी प्रसाद अस्पताल मार्ग, विकासनगर, जिला देहरादून/उप निबंधक, विकासनगर द्वितीय, जिला देहरादून/अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व), निबंधन विभाग, देहरादून है।	लोक सूचना अधिकारी/उप निबंधक, विकासनगर द्वितीय, जिला देहरादून पर 5000 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।	5000.00				
57	A-26309	30/12/2018	श्री अमर एस. धुन्ना, महासचिव, आर० टी० आई० क्लब, उत्तराखण्ड, 827/1, सिरमौर मार्ग, कालागढ़ रोड, देहरादून/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फागपुर, पोस्ट औ०-चंदनी, जिला चम्पावत/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्पावत, जिला चम्पावत	लोक सूचना अधिकारी/प्रधान श्रीमती गीता देवी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फागपुर, पोस्ट औ०-चंदनी, जिला चम्पावत पर 10000 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।	10000.00				
58	A-26614	12/10/2018	श्री लव कम्बोज, वीरपुर खुर्द, पोस्ट औ०-पशुलोक, जिला देहरादून/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत वीरपुर खुर्द, विकास खण्ड डोईवाला, जिला देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी डोईवाला, जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता देवी ग्राम पंचायत वीरपुर खुर्द, विकास खण्ड डोईवाला, जिला देहरादून पर 5000 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।	5000.00				
59	A-26085	17/12/2018	श्री संजय जैन, जी०आई०सी० रोड, अपर बाजार, श्रीनगर गढ़वाल/प्रधानाध्यापिका मॉडन जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर विकास खण्ड खिर्सू, जिला पौड़ी गढ़वाल/उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड खिर्सू, जिला पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाध्यापिका जिला मॉडन जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर विकास खण्ड खिर्सू, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 15500 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।	15500.00				

60	A-26084	17/12/2018	श्री संजय जैन, जी0आई0सी0 रोड,अपर बाजार, श्रीनगर गढ़वाल/प्रधानाध्यापिका मॉडन जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर विकास खण्ड खिर्सू, जिला मॉडन जूनियर हाईस्कूल पौड़ी गढ़वाल/उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड खिर्सू, जिला पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाध्यापिका	25000.00					सूचना अधिकारी/प्रधानाध्यापिका मॉडन जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर विकास खण्ड खिर्सू, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 की शक्ति आरोपित की जाती है।			चालान संख्या-32 दिनांक 15/11/2019 एवं चालान संख्या-32 15/11/2019 चालान संख्या-02 दिनांक 9/12/2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
61	A-26309	30/11/2018	श्री अमर एस. धुत्ता, महासचिव,आर0 टी0 आई0 वलब, उत्तराखण्ड, 827/1, सिसौर मार्ग, कालागढ़ रोड, देहरादून/ प्रधान / ग्राम पंचायत पंचायत फागपुर, पोस्ट विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फागपुर, पोस्ट औ0-चंदनी, जिला चम्पावत विकास पर 10000 रुपये की शक्ति अधिकारी, विकास खण्ड चम्पावत, जिला चम्पावत	लोक सूचना अधिकारी/प्रधान	10000.00					लोक सूचना अधिकारी/प्रधान वलब, / श्रीमती गीता देवी ग्राम पंचायत फागपुर, पोस्ट विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फागपुर, पोस्ट औ0-चंदनी, जिला चम्पावत विकास पर 10000 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।			
62	A-26545	07/01/2019	श्री एस0 के0 जोशी, सहायक अध्यापक, प0इ0का0 पन्तनगर, जिला ऊधम सिंह नगर / प्रधानाचार्य, पन्तनगर इण्टर कालेज पन्तनगर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, पन्तनगर इण्टर कालेज पन्तनगर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	25000.00					सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, पन्तनगर इण्टर कालेज पन्तनगर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।			चालान संख्या-99 दिनांक 7/8/2019 एवं चालान संख्या 15/11/2019 चालान संख्या-02 दिनांक 9/12/2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
63	C-12976	13/12/2018	श्री आसिम अजहर, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, सम्यादक काइम का शिकंजा, ग्राम मिस्सरवाला, पोस्ट कुण्डा, तहसील काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /जिला विकास अधिकारी, जिला ऊधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, डा0 निर्मला जोशी, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 5000 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।	5000.00					सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, डा0 निर्मला जोशी, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 5000 रुपये की शक्ति आरोपित की जाती है।			

64	C-12989	22/11/2018	श्री उधम सिंह चौहान पुत्र श्री चन्दर सिंह, निवासी लोक सूचना अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, श्री विनोद सिंह भैंसा पट्टी रैका, पोस्ट औ- ओखाल-खाल, तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल/उप विकास खण्ड प्रतापनगर, शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड टिहरी गढ़वाल पर टिहरी गढ़वाल/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रशिक्षण), विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति दी है	5000.00	DA		चालान संख्या-63 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
65	A-26050	03-01-2019	श्री धर्मवीर सैनी, हजारीबाग, कनखल, जिला हरिद्वार, सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, (लेखा अनुभाग) नगर निगम हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
66	A-23763	25-09-2018	श्री विनय कुमार सैनी पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार ज्वाहरखान उर्फ झीवरहेड़ी, पोस्ट औ-सुल्तानपुर / ग्राम झीवरहेड़ी, विकास खण्ड कुन्हारी, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम झीवरहेड़ी, विकास खण्ड पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत ज्वाहरखान उर्फ लक्सर, जिला हरिद्वार पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			
67	A-23018	25-09-2018	ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सैनी पुत्र श्री चमनलाल, ग्राम ज्वाहरखान, उर्फ झीवरहेड़ी, पोस्ट सैनी पुत्र श्री चमनलाल, ग्राम सुल्तानपुर, कुन्हारी, लक्सर जिला हरिद्वार /ग्राम ज्वाहरखान, उर्फ झीवरहेड़ी, पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पोस्ट सुल्तानपुर, कुन्हारी, ज्वाहरखान उर्फ झीवरहेड़ी विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			पत्रांक संख्या-283 दिनांक 18 जून 2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है।

68	A-26743	12/11/2018	श्री प्रेम कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री शिवदत्त शर्मा, मकान नम्बर-142, मोहल्ला लोधा मंडी प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड ज्वालापुर -249407, जिला हरिद्वार/सामान्य सहकारी डेरी फेडरेशन लि० प्रबंधक, प्रशासन, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी हल्द्वानी, जिला नैनीताल के फेडरेशन लि०, हल्द्वानी, जिला नैनीताल /प्रबंध खिलाफ सेवा नियमों के अधीन निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि० अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।		DA		
69	A-25906	05/02/2019	श्री घनश्याम त्रिपाठी 35 राजपुर रोड, देहरादून/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन देहरादून/उप सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	श्री दुर्गा सिंह रावत, अनुभाग शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 23250 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	23250.00		
70	A-26708	06/02/2019	श्री जितेन्द्र सिंह मार्फत श्री लेखराज सिंह, एस-142, फेस-4, शिवालिक नगर, भेल रानीपुर, जिला हरिद्वार/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा० शिक्षा, लक्सर, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा० शिक्षा, हरिद्वार	उप शिक्षा अधिकारी, प्रा० शिक्षा, लक्सर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00		
71	A-26014	08/02/2019	श्री नरेश कुमार चोपड़ा, सहायक अध्यापक, चिल्ड्रेन्स सीनियर एकेडमी, जूहोहा0स्कूल, मंगलौर, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा० शिक्षा, जिला हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला हरिद्वार	श्री धर्मपाल, प्रशासनिक अधिकारी/पटल सहायक शिक्षा कार्यालय जिला प्र० शिक्षा, जिला हरिद्वार पर 24000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	24000.00		

72	A-26515	11/02/2019	श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री समय श्री मनोज कुमार सैनी, सिंह,बी-99/12 सुभाष नगर रुड़की, जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य, के0एल0डी0ए0वी कॉलेज रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री मनोज कुमार सैनी, प्रधानाचार्य, के0एल0डी0ए0वी इण्टर कॉलेज रुड़की, जिला हरिद्वार पर 3000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	3000.00				
73	A-26756	11/02/2019	श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री समय सिंह,बी-99/12 सुभाष नगर रुड़की, जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य, के0एल0डी0ए0वी कॉलेज रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री मनोज कुमार सैनी, प्रधानाचार्य, के0एल0डी0ए0वी इण्टर कॉलेज रुड़की, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
74	A-22264	11/02/2019	श्री अवधेश नौटियाल, गोवर्धन निवास, आई-107, नेहरू कालोनी, देहरादून/1. कुल सचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुदोवाला, औ0-चंदनबाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून / 2. परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुदोवाला, पोस्ट औ0-चंदनबाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून/कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुदोवाला, पोस्ट औ0-चंदनबाड़ी, प्रेमनगर,	तत्कालीन /समस्तुल्य लोक सूचना अधिकारी, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुदोवाला, पोस्ट औ0-चंदनबाड़ी, प्रेमनगर, पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				

75	A-26194	13/02/2019	श्री ज्ञानदेव त्रिपाठी, मकान नम्बर-30, आजाद लोक सूचना अधिकारी, उप नगर कालोनी, बहराइच रोड, गोण्डा उत्तर राजस्व निरीक्षक क्षेत्र देहरादून प्रदेश/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र देहरादून पर 12750 रुपये की शास्ति /राजस्व निरीक्षक, देहराबास, केन्द्रीय दूत एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने संस्तुति की है।	12750.00	DA		
76	A-25989	20/02/2019	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक-ट्रस्टी माई गिदा श्री संजय कुमार, लोक सूचना कुंवर धर्मशाला, सुभाष घाट, हरिद्वार/कर एवं अधिकारी, कर एवं राजस्व राजस्व अधीक्षक, नगर निगम हरिद्वार/सहायक अधिकारी पर 5000 रुपये की नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
77	A-26537	18/12/2019	श्री बी0डी0 जोशी, मकान नम्बर-165, लेन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई नम्बर-3, स्ट्रीट नम्बर-4, विवेकानन्द ग्राम खण्ड 17 सुभाष रोड देहरादून फेस-2, देहरादून-248005/अधिशासी अभियन्ता, 2500 रुपये की शास्ति सिंचाई खण्ड 17 सुभाष रोड देहरादून/अधीक्षण आरोपित की गयी है। अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल महारानी बाग, उज्जवल भवन के सामने जी0एम0एस0 रोड देहरादून-248001	2500.00			रसीद संख्या-749067 दिनांक 25.2.2019 द्वारा जमा कर दी गयी है।
78	A-25532	26/02/2019	श्री सुतीश गुप्ता, फ्लेट नम्बर-5, प्रथम तल, गायत्री सदन, फेस 2, हनुमन्तपुरम, गली नम्बर-8, गंगा नगर, ऋषिकेश, जिला देहरादून/वरिष्ठ विधि अधिकारी, उपाकालि विक्टोरिया कास गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून/मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), उपाकालि विक्टोरिया कास गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून	5000.00			पत्रांक संख्या 377/उपकालि/दिनांक 14/5/2019 चैक नम्बर-375374 द्वारा जमा कर दिया गया है।

79	A-25542	26/02/2019	श्री सुतीश गुप्ता, फ्लेट नम्बर-5, प्रथम तल, गायत्री सदन, फेस 2, हनुमन्तपुरम, गली नम्बर-8, गंगा नगर, ऋषिकेश, जिला देहरादून/वरिष्ठ विधि अधिकारी, उपाकालि विक्टोरिया कास गबर सिंह ऊर्जा भवन, कावली रोड, देहरादून/मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), उपाकालि विक्टोरिया कास गबर सिंह ऊर्जा भवन, कावली रोड, देहरादून	वरिष्ठ विधि अधिकारी, उपाकालि विक्टोरिया कास गबर सिंह ऊर्जा भवन, कावली रोड, देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00					पत्रांक संख्या-4099 दिनांक 24 मई 2019 चालान संख्या-00002 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
80	A-22767	08/03/2019	श्री धमेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम शिबूनगर, रतनपुर रोड, पोस्ट औ- कोटद्वार -246149/उप शिक्षा अधिकारी, दुगड़डा, जिला पौड़ी गढ़वाल/श्रीमती देहरादून पर 1250/- रुपये मोनिका बम, उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर जिला की शास्ति आरोपित की गयी देहरादून /जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), पौड़ी है। गढ़वाल	श्रीमती मोनिका बम, उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर जिला देहरादून पर 1250/- रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	1250.00					
81	A-26709	01/03/2019	श्री जितेन्द्र सिंह मार्फत श्री लेखराज सिंह, एस-142, फेस-4, शिवालिक नगर, भेल रानीपुर, जिला हरिद्वार/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0, लक्सर जिला हरिद्वार /जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0, जिला हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0, लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					
82	A-27421	01/03/2019	श्री कीर्ति बल्लभ उपाध्याय पुत्र स्व0 श्री दयाकृष्ण उपाध्याय, लिक रोड, पिथौरागढ़/जिलाधिकारी कार्यालय, जिला पिथौरागढ़/जिलाधिकारी, जिला पिथौरागढ़	श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, प्रशासनिक अधिकारी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिलाधिकारी/सुश्री देवकी कसन्धाल प्रशासनिक अधिकारी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी /श्री धर्मानन्द पाठक, वरिष्ठ सहायक आंगल अभिलेखागार/श्री ओम प्रकाश तत्कालीन वरिष्ठ सहायक स्टाम्प /श्री धर्मसिंह नपलव्याल तत्कालीन कनिष्ठ सहायक आंगल अभिलेखागार जिला पिथौरागढ़/ कार्यालय, जिला पिथौरागढ़ प्रत्येक पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					

83	C-13081	07/03/2019	गांधीवादी श्री गोविन्द गोपाल कौशिक, सामाजिक आर.टी.आई. कार्यकर्ता, न्यू आदर्श नगर रुड़की जिला हरिद्वार जिला हरिद्वार	लाके सूचना अधिकारी/ नगर निगम रुड़की जिला हरिद्वार पर 8000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	8000.00					
84	C-13132	28/02/2019	श्री तेजराज बेलवाल पुत्र स्व0 श्री शिव प्रसाद बेलवाल, निवासी दूधपानी पोस्ट गुमानीवाला, ऋषिकेश जिला देहरादून/उप शिक्षा अधिकारी, जिला देहरादून/मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून	उप शिक्षा अधिकारी, जिला देहरादून पर 17000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	17000.00					
85	A-27182	27/02/2019	श्री बी.डी.जोशी,मकान संख्या-165, लेन नम्बर-03, स्ट्रीट नम्बर-4, विवेकानन्द ग्राम, फेस-2, देहरादून-248005 /अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, देहरादून	अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून पर 2500 रु0 की शास्ति आरोपित की जाती है।	2500.00					
86	A-26084	15/03/2019	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश लाल,द्वारा पुष्पा देवी पत्नी श्री अनिल कुमार, पी.डब्लू.डी. ऑफिस 5वां वृत्त, हल्द्वानी, जिला नैनीताल/ प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 कुण्ड, जसपुर, ऊधम सिंह नगर /खण्ड शिक्षा अधिकारी, जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 कुण्ड, जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					
87	A-25452	14/03/2019	श्री एम0 सी0 शर्मा,सिताबपुर देवी रोड, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल-246149/प्रधानाचार्य, जनता इण्टर कालेज सिमड़ी खाटली,पोस्ट औ0-कण्डुली, विकास खण्ड बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बीरोंखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधानाचार्य, जनता इण्टर कालेज सिमड़ी खाटली,पोस्ट औ0-कण्डुली, विकास खण्ड बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00					चालान संख्या 7 दिनांक 11.07.2019 के द्वारा जमा कर लिया गया है

88	A-25723/25740	14/03/2019	श्री हरीश सिंह चिराल पुत्र श्री ईश्वर सिंह, ग्राम पोस्ट औ0 मोना, तहसील मुनस्यारी, जिला अशोक, प्रो0 सतपाल सिंह पिथौरागढ़/(परीक्षा) कुमाऊँ विश्वविद्यालय, बिट (परीक्षा) कुमाऊँ नैनीताल /कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, प्रो0 सतपाल सिंह (परीक्षा) कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00				
89	A-15632	13/03/2019	श्री दलीप सिंह रावत, वरिष्ठ नागरिक ग्राम कोटी, कटलसू, पोस्ट जामनाखाल, पौड़ी ढामकेश्वर कटलसू, गढ़वाल/प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज पौड़ी गढ़वाल कटलसू, पोस्ट चमराड़ा जिला पौड़ी 25000 रुपये की शांति गढ़वाल/प्रबंधक इण्टर कालेज ढामकेश्वर आरोपित की जाती है। कटलसू, पोस्ट चमराड़ा जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज ढामकेश्वर कटलसू, पोस्ट चमराड़ा जिला पौड़ी गढ़वाल पौड़ी 25000 रुपये की शांति आरोपित की जाती है।	25000.00			WP No. 1698/2019 As an interim order measure it is directed that oration and effect of the impugned order dated 13.03.2019 shall remain stayed till the next date of listing.	
90	A-22040	19/03/2019	मु0 तालिब खान, गली नम्बर-5, रामपुर बुंगी, ग्रीन पार्क कालोनी, रुड़की, जिला हरिद्वार-247667/जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान हरिद्वार, उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी रोशनबाद, जिला हरिद्वार	जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान हरिद्वार, उत्तराखण्ड री ब्रह्मपाल सिं अभियान हरिद्वार, उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा सैनी पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00				

91	A-24790	27/03/2019	श्री के0 जी0 गुप्ता,एडवोकेट, सी-925, आईडीपी0एल0 टाउनशिप, डाकघर, वीरभद्र, जिला ऋषिकेश, जिला देहरादून श्री निकट ऋषिकेश, जिला देहरादून-249202/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र ऋषिकेश द्वारा तहसीलदार ऋषिकेश, जिला देहरादून पर 25000 रुपये देहरादून/राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र आरोंपित की गयी है। तहसीलदार ऋषिकेश, जिला देहरादून	राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र ऋषिकेश द्वारा तहसीलदार ऋषिकेश, जिला देहरादून श्री निकट ऋषिकेश, जिला देहरादून-249202/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र ऋषिकेश द्वारा तहसीलदार ऋषिकेश, जिला देहरादून पर 25000 रुपये देहरादून/राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र आरोंपित की गयी है। तहसीलदार ऋषिकेश, जिला देहरादून	25000.00				
92	A-26022	29/03/2019	श्री राजेश कुमार शर्मा,142, बिजौला निवास, विद्या विहार मैरों मन्दिर रोड, कनखल, जिला हरिद्वार-249408/जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला हरिद्वार	जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला हरिद्वार श्री आर०एस०ए० जनपद हरिद्वार पर 9500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	9500.00				
93	A-26311	29/03/2019	श्री सुनील कुमार भटनागर,निवासी मकान नम्बर-54, आवास विकास कालोनी, रुड़की, जिला हरिद्वार/बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी स्थान रुड़की, जिला हरिद्वार/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), जिला हरिद्वार	श्री दीवान सिंह नेनी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी स्थान रुड़की, जिला हरिद्वार पर 7250 की शास्ति आरोपित की गयी है।	7250.00				
94	C-12964/12965	02/04/2019	श्री अजय कुमार पाण्डेय,एडवोकेट, निवासी एम-ए-2, सूर्य नगर कालोनी, लेन नम्बर-03, गिलट वारणसी-221002, उत्तर प्रदेश/सहायक कुल उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय तीनपानी, बाईपास ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप, पोस्ट औ0-इण्डस्ट्रियल हल्द्वानी, जिला नैनीताल	1/122, ईन्ड लोक सूचना अधिकारी बाजार परीक्षक नियंत्रक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय तीनपानी, बाईपास रोड रोड ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप, एरिया, पोस्ट औ0-इण्डस्ट्रियल एरिया, हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	पिटेशन			

वर्ष 2019-20

क. सं.	शिकायत / अपील संख्या	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट
1	C-13194	01/04/2019	श्रीमती किशन कुमारी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, रा0इ0का0 ब्रनभूलपुरा, हल्द्वानी जिला नैनीताल/खण्ड शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी जिला नैनीताल/जिला शिक्षा अधिकारी, पर 25000 रुपये की शास्ति मा0शि0जिला नैनीताल/श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी जिला नैनीताल	श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी जिला नैनीताल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
2	A-25951	03/04/2019	आरक्षी-2507 श्री नरेन्द्र सिंह राणा, उत्तराखण्ड पुलिस डी-दल, आई0आर0बी0, प्रथम बैल पड़ाव, कालाढुगी नैनीताल-263139/उप शिक्षा अधिकारी खटीमा, जिला उधम सिंह नगर /जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0) उधम सिंह नगर	श्री सोनी मेहरा उप शिक्षा अधिकारी खटीमा, जिला उधम सिंह नगर को कठोर चेतावनी निर्गत करते हुए उनके सेवा पुस्तिका पर चसपा जाने के निर्देश दिये गये हैं।	0.00	0	DA	
3	A-26030	05/04/2019	श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री जागन सिंह नि0 मो0 दिल्ली सिंह, जसपुर, जिला उधम सिंह नगर/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर /तहसीलदार, तहसील काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर	श्री जर्नादन प्रसाद गाड़ प्रभारी तहसीलदार गदरपुर जिला उधम सिंह नगर, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 4250 की शास्ति आरोपित की गयी है।	4250.00			
4	A-26509	10/04/2019	श्री अभिषेक रावत, 96 / 1, चुक्खूवाला, देहरादून/कार्यालय तहसीलदार, तहसील सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा/तहसीलदार, तहसील सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा	श्री विवेक कुमार, मुहरिर् /जनाधार प्रभारी तहसील सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

5	A-26938	10/04/2019	श्री राजवीर सिंह, राजस्व सहायक, हरिद्वार/कलक्ट्रेट, हरिद्वार	श्री जितेन्द्र कुमार सीनीय निकाश सहायक/सामान्य सहायक कलेक्ट्रेट हरिद्वार पर 5250 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5250.00			
6	A-26098	16/04/2019	श्रीमती सुनीता ठाकुर, द्वारा सोशल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट फाउंडेशन, ढाकोवाली, चंदनवाड़ी ईस्टेट, लोअर कंडोली, पोस्ट औ0-प्रेम नगर, जिला देहरादून-248007 /अपर पुलिस अधीक्षक, जिला उधम सिंह नगर	श्री देवेन्द्र पीचा अपर पुलिस अधीक्षक, जिला उधम सिंह नगर पर 3250 रु0 की शास्ति आरोपित की जाती है।	3250.00			
7	A-26543	18/04/2019	श्री जयप्रकाश चौहान, डी-8, श्रीरामनगर, गोल गुरुद्वारा, जिला हरिद्वार/राजस्व उप निरीक्षक, फेरूपुर, रामखेड़ा द्वारा तहसीलदार, हरिद्वार/राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र फेरूपुर द्वारा तहसीलदार हरिद्वार	श्री सुधीर सिंह तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, फेरूपुर, रामखेड़ा द्वारा तहसीलदार, हरिद्वार पर 2000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	2000.00			
8	A-26904	04/04/2019	श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम व पोस्ट निम्बूचौड़ा, तहसील लैसडौन, जिला गढ़वाल-246149/राजस्व उप निरीक्षक, तल्ला बदलपुर-3 द्वारा तहसीलदार लैसडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल/राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र तल्ला बदलपुर-3 द्वारा तहसीलदार लैसडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री राजपाल सिंह रावत, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 3750 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	3750.00			
9	A-25951	03/04/2019	आरक्षी-2507 श्री नरेन्द्र सिंह राणा, उत्तराखण्ड पुलिस, डी-दल, आई0आर0बी0, प्रथम बैल पड़ाव, कालाढुगी, जिला नैनीताल-263139/उप शिक्षा अधिकारी खटीमा, जिला उधम सिंह नगर/जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रो0शि0) उधम सिंह नगर	गुसाई जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि0 खटीमा, जिला पथौरागढ़ पर 3750 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	3750.00			

10	C-13191	10/04/2019	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक, ट्रस्टी माई गिदा कुंवर धर्मशाला, सुभाष घाट हरिद्वार/प्र० श्री श्याम मोहन शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार	प्र० श्री श्याम मोहन शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार पर 10000 रु० की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			
11	C-13324	05/05/2019	श्री बी०के० विश्वकर्मा, सम्पादक नेशनल गाइड एवं आर०टी०आई० कार्यकर्ता, 40/2 भुईया राजा, मोथरोवाला रोड अजबपुर कला देहरादून/कार्यालय महाप्रबंक ब्रिडकुल निकट मण्डी निरंजनपुर जिला देहरादून/श्री एश्वर्य शर्मा इकाई कार्यालय निरंजनपुर जिला देहरादून/श्री एश्वर्य शर्मा इकाई कार्यालय निरंजनपुर जिला देहरादून/श्री एश्वर्य शर्मा इकाई कार्यालय निरंजनपुर जिला देहरादून/श्री एश्वर्य शर्मा इकाई कार्यालय निरंजनपुर जिला देहरादून	श्री एश्वर्य शर्मा इकाई कार्यालय महाप्रबंक ब्रिडकुल निकट मण्डी निरंजनपुर जिला देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
12	A-27396	22/04/2019	श्री अजय नारायण शर्मा, सचिव, सोशल एक्शन रिसर्च एण्ड डवलपमेंट फाउंडेशन, ढाकोवाली, चन्दनबाड़ी इस्टेट, कंडोली, पोस्ट औ०-प्रेमनगर, देहरादून/प्रमारी निरीक्षक, थाना कोतवाली खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर /पुलिस क्षेत्राधिकारी, खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री संजय पाठक, प्रमारी निरीक्षक, थाना कोतवाली खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर पर 9250 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	9250.00			
13	A-26961	15/04/2019	श्री अख्तर हसनैन रिजवी, एडवोकेट, वारसी गली नम्बर-5, ज्यारत शाह बुलाकी चक्कर की मिलक, सिविल लाईन्स, मुरादाबाद-244001/जिला शिक्षा अधिकारी, प्र० शि०, जिला देहरादून/मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून	जिला शिक्षा अधिकारी, प्र० शि०, जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

14	A-26944	10/04/2019	श्री ललित कुमार, ग्राम ज्वाहरखान उर्फ श्रीवरहेड़ी, पोस्ट औ0-सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद हरिद्वार/उप जिलाधिकारी, लक्सर, जिला हरिद्वार / कलेक्ट्रेट, जिला हरिद्वार/अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, जिला हरिद्वार	श्री राजकुमार गिरी, शिकायत सहायक कलेक्ट्रेट हरिद्वार पर 24000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	24000.00			
15	C-13118	22/04/2019	श्री तोशीन पुत्र हाशिम, 162 बैल रोड, मोहब्बेवाला देहरादून/राजस्व उप निरीक्षक, माजरा हाल तहसीलदार सदर जिला देहरादून/तहसीलदार तहसील देहरादून/जिलाधिकारी, देहरादून/उप जिलाधिकारी, सदर जिला देहरादून	राजस्व उप निरीक्षक, माजरा हाल जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
16	C-2941/12948/12946	04/02/2019	श्री सौरभ पाण्डेय, एस-1/122 ए-2, सूर्य नगर कालोनी लेन नम्बर-3, मिलिटि बजार वाराणसी, उत्तर प्रदेश/सहायक कुल सचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय जिला नैनीताल/परीक्षक नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय जिला नैनीताल	परीक्षक नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय जिला नैनीताल पर 9250 रू० की शास्ति आरोपित की गयी है।	9250.00			
17	A-27793	22/04/2019	श्री मोती चन्द, निवासी ग्राम अम्बेडकरनगर फिरोजपुर, पोस्ट बरा जनपद, ऊधम सिंह नगर -263148/उप शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर /जिला अधिकारी(प्रा0शि०), जिला ऊधम सिंह नगर	उप शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर को निवेष्ट दिये है कि अनुरोध कर्ता द्वारा मागी गयी बिन्दु संख्या 4.6, एवं 7 की सूचना अद्यतन अपीलार्थी के द्वारा मागे गये स्वरूप में उपलब्ध करा कर उसकी सूचना एवं पंजीकृत डाक की रसीद आयोग को उपलब्ध करायें।			निर्देश	

18	A-27812	24/04/2019	श्री अमीर चन्द्र पुत्र श्री बूला राम, ग्राम रजपुरा नमबर-2, पोस्ट झगड़पुरी, तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/कार्यालय तहसीलदार गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/तहसीलदार गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री यूसुफ अली रजिस्ट्रार कानूनगो तहसीलदार गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर के घर लापवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।			DA	
19	C-13348	25/04/2019	श्री आशीष कुमार पिपनिया, 8/320, अस्पताल मार्ग, विकास नगर, देहरादून /उप जिलाधिकारी विकास नगर देहरादून	जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिया है कि उपजिलाधिकारी के उक्त पत्र संख्या 340 दिनांक 22/04/2019 के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही कर आयोग को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।			निर्देश	
20	C-13293	29/04/2019	श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, 107/2, मिलाप नगर डण्डेरा, रुड़की जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत डण्डेरा, रुड़की जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार	श्रीमती कविता रानी, ग्राम प्रधान पंचायत डण्डेरा रुड़की जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
21	C-13269	05/07/2019	श्री आकाश कुमार सैनी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, पोस्ट धनौरी रुड़की जिला हरिद्वार/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धनपुरा, जिला हरिद्वार/पोस्ट ऑफिस धनपुरा जिला हरिद्वार/श्री मोल्हड़ रुड़की सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत फेरूपुर, पोस्ट और	श्री मोल्हड़ सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत फेरूपुर, पोस्ट और धनपुरा, जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

22	A-24619	25/04/2019	श्री मोहन लाल अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल, मौ0 मानक चौक, मंगलौर जिला हरिद्वार/कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार/श्री ब्रह्मपाल सिंह सैनी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है। हरिद्वार	श्री ब्रह्मपाल सिंह सैनी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
23	A-27126	02/05/2019	श्रीमती रामलली पत्नी स्व0 श्री शंकर, निवासी ग्राम फौजी मटकोटा, पोस्ट व थाना रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /थानाध्यक्ष, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /पुलिस क्षेत्राधिकारी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	प्रमारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
24	A-27896	03/05/2019	श्री तरसेब सिंह तोमर, एनफील्ड टी स्टेट, निकट सतोषीमाता मन्दिर, विकासनगर, जिला देहरादून-248198/मुख्य उद्यान अधिकारी, सर्वे चौक, विकास भवन, देहरादून/मुख्य विकास अधिकारी, जिला देहरादून	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव मुख्य उद्यान अधिकारी, सर्वे चौक, विकास भवन, देहरादून पर 2500 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	2500.00			
25	A-27912	06/05/2019	श्री पी0 एल0 शर्मा, निवासी धिसरपड़ी, खता रोड, पोस्ट औ0-डोईवाला, जिला देहरादून/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून पर 2500 सौ रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	2500.00			
26	A-26617	07/05/2019	श्री लेखराज गौतम, निवासी ग्राम व पोस्ट औ0-प्रतापपुर, तहसील काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र शिवलालपुर धनौरी पट्टी व पैगा, द्वारा तहसीलदार तहसीलदार काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/राजस्व निरीक्षक, काशीपुर व पैगा, द्वारा तहसीलदार काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री पूरण सिंह वर्तमान राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र शिवलालपुर धनौरी पट्टी व पैगा, द्वारा तहसीलदार काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

27	A-27940	07/05/2019	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राम सिंह, ग्राम मानकपुर, आदमपुर, पोस्ट खास, जनपद हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मानकपुर आदमपुर, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्रीमती नीलम ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मानकपुर आदमपुर, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 2500 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	2500.00			
28	A-27900	09/05/2019	श्री नथू सिंह, आर-170, शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0, रानीपुर, जिला हरिद्वार-249403/ग्राम प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम झिड़ियाग्रन्ट, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री इकबाल ग्राम प्रधान, ग्राम झिड़ियाग्रन्ट, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 2500 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	2500.00			
29	A-27923	09/05/2019	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री सचिन त्यागी, ग्राम ताशीपुर, थाना कोतवाली मंगलौर, ब्लॉक रुड़की, जिला हरिद्वार-247667/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तौसीपुर, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार	श्रीमती सरिता ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत तौसीपुर, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 2500 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	2500.00			
30	A-26737	25/01/2019	श्री एन.के.अग्रवाल, एस-3, शिवालिक लकड़ी अपार्टमेंट, 1 कर्जन रोड, देहरादून/अधिकासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तरखण्ड पेयजल निगम, स्ट्रीट नम्बर-11, राजेन्द्र नगर देहरादून, उत्तरखण्ड/अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तरखण्ड पेयजल निगम, स्ट्रीट नम्बर-11, राजेन्द्र देहरादून, उत्तरखण्ड	श्री इमरान अहमद, अधिकासी अभियन्ता, अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तरखण्ड पेयजल निगम, प्रधान कार्यालय 11 मोहिनी रोड देहरादून पर 2500 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	2500.00			

31	A-26867	22/03/2019	श्री अखिलेश कुमार बड़ोनी, मार्फत श्री यू0डी0 बड़ोनी , ई-20 / 3, नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल/प्रधानाध्यापक अध्यापक, जनता जूनियर हाई स्कूल बोल्याधार, हिन्दाव, जिला टिहरी गढ़वाल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं	प्रधानाध्यापक अध्यापक, जनता जूनियर हाई स्कूल बोल्याधार, हिन्दाव, जिला टिहरी गढ़वाल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं			DA	
32	A-26721	11/02/2019	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री मित्रानन्द भट्ट, ग्राम कबिल्ला, पोस्ट औ0-कालीमठ, वाया गुप्तकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड-246439/उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, जिला हरिद्वार	श्रीमती विमला देवी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार वर्तमान में प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज मुण्डाखेड़ा कलां हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0		
33	A-27399	14/02/2019	ठाकुर मनोज कुमार, मनोजानन्द, सम्पादक, स्वदेश सुखद सन्देश सा0, कार्यालय ब्रह्म आत्म भवन, श्रवण नाथ नगर, हरिद्वार-249401/जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार/मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार	श्री राकेश लखेड़ा, वरिष्ठ सहायक /डिस्पेंचर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।	0.00	0	DA	
34	A-26759	15/02/2019	श्री आशीष कुमार पिपानिया पुत्र डा0 बी0 प्रकाश, निवासी 8/320, अस्पताल मार्ग, विकासनगर, जिला देहरादून/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार विकासनगर, जिला देहरादून/तहसीलदार, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून	श्री इन्द्र देव जुयाल तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक, क्षेत्र विकासनगर जिला देहरादून के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।	0.00	0	DA	

35	A-27570	22/03/2019	श्री अमय कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल मोहल्ला नई लाईन रामनगर, जिला नैनीताल-244715/परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल/कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, गोपन अनुभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।	0.00	0	DA	
36	A-27722	20/06/2019	श्री विजय सिंह, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/प्रधानाचार्य, पतनगर इ0क00 पतनगर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री प्रदीप कंमार प्रधानाचार्य, पतनगर इ0क00 पतनगर, जिला ऊधम सिंह नगर पर रू0 22750 की शास्ति आरोपित की गयी है।	22750.00	0		
37	A-26641	18/06/2019	श्री बोधिराम, सहायक अध्यापक, मार्फत श्री पंकज राय, विचित्रा भवन, शक्ति फार्म, जिला ऊधम सिंह नगर /जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, ऊधम सिंह नगर /मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री राजेन्द्र रावैर, वरिष्ठ प्रशानिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला उधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0		
38	A-26862	18/06/2019	ई अनिल कुमार जैन, मार्फत लाल इमली धारीवाल इम्पौरियम, नयी सब्जी मण्डी के सामने निरंजनपुर, जिला देहरादून/उप जिलाधिकारी, विकासनगर, जिला देहरादून/जिलाधिकारी, जिला देहरादून	श्री भोला सिंह राजस्व उप निरीक्षक, झाझरा जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

39	A-26254	18/06/2019	श्री संजय गोस्वामी, हाउस नम्बर-155, राजीव जुगल मार्ग, ब्राह्मणवाला, माजरा, जिला देहरादून-248171/कार्यालय सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार/सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	श्री संजय कुमार, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
40	C-13336	19/06/2019	श्री हरजिन्दर सिंह, 278, खुडबुड़ा देहरादून/अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहायनपुर रोड देहरादून	अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहायनपुर रोड देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
41	A-26430	07/06/2019	श्री रविन्दर सिंह सैनी पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी ग्राम नरखड़ा, पोस्ट औ-बाजपुर, जिला रुधम सिंह नगर/कार्यालय, जिलाधिकारी, नैनीताल/अपर जिलाधिकारी, नैनीताल/लोक सूचना अधिकारी जिलाधिकारी, कार्यालय उधम सिंह नगर /श्री पी0सी0 प्रोहित लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट उधम सिंह नगर	श्री पी0सी0 प्रोहित लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट उधम सिंह नगर पर रु 12500 की शास्ति आरोपित किया गया है। डीमड लोक सूचना अधिकारी, श्रीमती मोहिनी जोशी, आर.के. कलेक्ट्रेट उधम सिंह नगर पर 12500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	12500+12500	0		
42	A-28252	11/06/2019	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, ग्राम धारीवाला बाणगंगा, पोस्ट शाहापुर शीतला खड़ा, जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, बाणगंगा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान श्री नवीन ग्राम पंचवत बाणगंगा, जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

43	A-27644	11/06/2019	श्री जितेन्द्र सिंह मार्फत श्री लेखराज सिंह, एस-142, फेस-4, शिवालिक नगर, बेल रानीपुर, जिला हरिद्वार-249403/उप शिक्षा अधिकारी(ग्रा0शि0) लक्ष्मण, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी(ग्रा0 शि0), जिला हरिद्वार	उप शिक्षा अधिकारी(ग्रा0शि0) लक्ष्मण, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
44	A-25056	12/06/2019	श्री रमेश चन्द्र अतमलपुर, बौंगला, पोस्ट बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार/श्री डी0सी0 धीमान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट हरिद्वार	श्री डी0सी0 धीमान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
45	A-27614	12/06/2019	श्री राव मोमिन पुत्र श्री राव अकबर अली, निवासी ग्राम पनियाला, चन्दापुर, परगना भगवानपुर, रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पनियाला चन्दापुर, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की, जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान, श्रीमती यासमीन, ग्राम पंचायत पनियाला चन्दापुर, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
46	A-27652	17/06/2019	श्री तफज्जुल हुसैन, मुतवल्ली वक्फ, 13 ए, नैनीताल, हाल निवासी 17 आजाद नगर, मकान संख्या-15/199 हल्द्वानी, जिला नैनीताल/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला रुड़की/उप निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, देहरादून	श्री यशवंत सिंह, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला रुड़की/उप निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, देहरादून	1500.00			

47	A-28045	20/06/2019	सरदार वलविन्दर सिंह पुत्र स्व0 सरदार बाबा सिंह, निवासी 190 गुरु रोड देहरादून/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, सदर, देहरादून/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला देहरादून	श्री ग्यारू दत्त जोशी रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसीलदार, सदर, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
48	A-26219	21/06/2019	श्री प्रवीण शर्मा पीनी पुत्र श्री योगेश शर्मा, जिला मिडिया प्रमारी, जन संघर्ष मोर्चा, जीवनगढ़, पोस्ट औ0-अम्बाड़ी, जिला देहरादून/अनु सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	श्री राजेन्द्र कुमार भट्ट वर्तमान में उप सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
49	A-26929	21/06/2019	श्री हरक सिंह मेहरा, ग्राम ज्वालोपोखरी, पोस्ट औ0-दोलतपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल/प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 हल्द्वौड़, जिला नैनीताल/खण्ड शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	श्री हेमन्त सिंह खोलिया प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 हल्द्वौड़, जिला नैनीताल पर 25000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
50	A-27814	26/06/2019	श्री राजेन्द्र सिंह, फ़ेडस कालोनी, बरेली रोड, तल्ली हल्द्वानी, जिला नैनीताल/खण्ड शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल/जिला शिक्षा अधिकारी, (मा0शि0), नैनीताल	श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल पर 25000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

51	A-27011	27/06/2019	श्री ज्ञान चन्द्र कम्बोज पुत्र श्री अर्जुन रामग्राम सिसईछेड़ा, पोस्ट औ-घुसरी, कोतवाली सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर /कलेक्ट्रेट, जिला उधम सिंह नगर/ श्री संजीव चौहान, 25000 रूपये की शास्ति आरोपित जिलाधिकारी, जिला उधम सिंह नगर/ श्री संजीव चौहान, 25000 रूपये की शास्ति आरोपित डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, न्याय सहायक	श्री संजीव चौहान, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, न्याय सहायक कलेक्ट्रेट उधम सिंह नगर पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
52	A-28322	28/06/2019	श्री अनिल सेनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, ग्राम पंचायत दौलतपुर हजरतपुर उर्फ, बुधवाशहीद मजरा बनवाला, जिला सुन्दरपुर, पोस्ट टांको बुधवाशहीद विकास खण्ड हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हजरतपुर उर्फ, बुधवाशहीद द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री मुन्ना ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत दौलतपुर हजरतपुर उर्फ, बुधवाशहीद विकास खण्ड हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हजरतपुर उर्फ, बुधवाशहीद द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	10000.00			
53	A-27806	28/06/2019	श्री गौरव कुमार पुत्र श्री राजकुमार, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर जट, गुरुकुल नारसन, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार/जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), जिला अधिकारी कार्यालय रोशनबाद, जिला हरिद्वार	श्री अशोक मिश्र, लोक सूचना अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार पर 9000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	9000.00			
54	C-13354	27/06/2019	श्री राम बहादुर पाण्डेय, ग्राम खरदहा, नीलकण्ठ, पोस्ट भनौली पाण्डेय, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश/सचिव भोटिया जनजाति सेवा समिति गूलरभोज, जिला उधम सिंह नगर	श्री रामधनी प्रसाद, सचिव भोटिया जनजाति सेवा समिति गूलरभोज, जिला उधम सिंह नगर पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

55	C-13143	20/06/2019	श्री डी.के. पाण्डेय, निवासी मकान संख्या 6-95/2 नवाबी रोड, हल्द्वानी जिला नैनीताल/कलेक्ट्रेट नैनीताल/श्री रूप सेवानिवृत्त तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री अम्बिका प्रसाद पुरोहित, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री पून चन्द पटल सहायक/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय	श्री पून चन्द पटल सहायक/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
56	A-26926	27/06/2019	श्री गुलाब सिंह पुत्र स्व0 श्री तोताराम,ग्राम चांदपुर, पोस्ट आर0टी0सी0 हेमपुर गौशाला, तहसील काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोपीपुरा, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री धर्मवीर चौधरी, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गोपीपुरा, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
57	A-27881	27/06/2019	श्री अवशीष कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,ग्राम गोपीपुरा, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर-244713/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोपीपुरा, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री धर्मवीर चौधरी ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत गोपीपुरा, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 27/06/2019 को 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
58	A-27882	27/06/2019	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री टीकाराम,ग्राम गोपीपुरा, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर-244713/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोपीपुरा, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री धर्मवीर चौधरी ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत गोपीपुरा, विकास खण्ड काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 27/06/2019 को 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

59	A-25634	28/06/2019	अजय नारायण शर्मा, सचिव, सोशल एक्शन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन, डाकोवाली, पोस्ट औ-चन्दनबाड़ी, कंडोली, विकासनगर मार्ग, प्रेमनगर, देहरादून-248007/प्रमारी निरीक्षक, खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर / पुलिस क्षेत्राधिकारी, खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री कैलाश चन्द्र भट्ट प्रमारी निरीक्षक, खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर पर 7500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	7500.00			
60	A-26974	01/07/2019	श्री सलीम पुत्र श्री सगीर, सिद्धदोष बन्दी, जिला कारागार, पौड़ी, जिला कारागार, पौड़ी, जिला गढ़वाल/अधीक्षक, जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल	कारपाला जिला कारागार पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
61	A-27192	02/07/2019	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री जगमोहन सिंह, सिद्धदोष बन्दी, जिला कारागार, हरिद्वार/जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल/जेल अधीक्षक, जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल	कारपाला जिला कारागार पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
62	A-27936	02/07/2019	श्री जगदीश गुप्ता, उपभोक्ता एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता, 42-53, श्वेत गृह, निम्बू घर, मोती बाजार, हरिद्वार/कार्यालय, सहायक नगर आयुक्त, नगर हरिद्वार/सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	श्री संजय कुमार तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान में सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			

63	A-27964	17/05/2019	श्री पुनीत सैनी पुत्र श्री राजपाल, निवासी सालियर सालहापुर, ब्लाक व तहसील रुड़की जिला हरिद्वार/ग्राम पधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सालियर, सालहापुर, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार	श्रीमती मोनिका ग्राम पधान ग्राम सालियर, सालहापुर, पंचायत विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
64	A-27788	17/05/2019	श्री राजकुमार कश्यप पुत्र श्री लाला सिंह, निवासी मोहम्मपुर कुन्हारी, ब्लाक बहादुराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार/ग्राम विकास प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, मोहम्मपुर कुन्हारी, ब्लाक बहादुराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	श्रीमती बलदेयी ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी, मोहम्मपुर कुन्हारी, ब्लाक बहादुराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
65	A-27258	17/05/2019	श्री बी.डी.जोशी, मकान संख्या-165, लेन नम्बर-03, स्ट्रीट नम्बर-4, विवेकानन्द ग्राम, फेस-2, देहरादून-248005 / कर अधीक्षक, नगर निगम, देहरादून/सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून	श्रीमती आशारानी लिपिक कर अधीक्षक, नगर निगम, देहरादून पर 7500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	7500.00			
66	A-26711	17/05/2019	श्री आई० पी० पाण्डेय, 5-कास रोड, देहरादून-248001/प्राचार्य, डी०ए०वी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून/डा० के०एस० रंधावा, डी०ए०वी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून	श्री पवन कुमार, तत्कालीन सहायक लेखाकार डी०ए०वी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

67	A-28006	27/05/2019	श्री दीपक कुमार, एडवोकेट, निवासी ग्राम तालाबपुर, पोस्ट आफिस जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर / ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी, राजपुर, विकास खण्ड जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	श्रीमती सुनीता देवी, ग्राम प्रधान राजपुर, विकास खण्ड जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 5000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	5000.00			
68	A-26192	04/07/2019	श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री विज्ञान प्रकाश, /निवासी जी-37, रेसार्स, जिला देहरादून/अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून/संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सुश्री गीता शर्मा, अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00			
69	A-26879	08/07/2019	श्रीमती शकुन्तला रानी पत्नी स्व० श्री नेबराज, 552 रामनगर, रुड़की, जिला हरिद्वार/क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्र रामपुर द्वारा तहसीलदार रुड़की, जिला हरिद्वार/राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र रामपुर द्वारा तहसीलदार रुड़की, जिला हरिद्वार	क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्र रामपुर द्वारा तहसीलदार रुड़की, जिला हरिद्वार/राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र रामपुर द्वारा तहसीलदार रुड़की, जिला हरिद्वार की संस्तुति कर दी गयी है।	0.00	0DA		
70	C-13287	09/07/2019	श्री करुणेश धीमान पुत्र श्री जयप्रकाश, निवासी आदर्श कालोनी नगर पालिका लक्सर जिला हरिद्वार/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र लक्सर द्वारा तहसीलदार लक्सर जिला हरिद्वार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, जिला हरिद्वार	राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र लक्सर द्वारा तहसीलदार लक्सर जिला हरिद्वार पर 12000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	12000.00			

71	A-26974	01/07/2019	श्री सलीम पुत्र श्री सगीर, सिद्धदोष बन्दी, जिला कारागार, हरिद्वार/कारापाल जिला कारागार पौड़ी, जिला गढ़वाल/अधीक्षक, जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल	कालापाल जिला कारागार पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
72	A-27192	02/07/2019	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री जगमोहन सिंह, सिद्धदोष बन्दी, जिला कारागार, हरिद्वार/जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल/जेल अधीक्षक, जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल	कालापाल जिला कारागार पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
73	A-28058	09/07/2019	श्री मोहन लाल पुत्र श्री मिठूलाल, ग्राम पश्चिमी झण्डीचौड़, पट्टी सुखरों, पोस्ट झण्डीचौड़, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल/तहसीलदार, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल	इन्द्र सिंह नायब नाजिर कार्यालय तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
74	A-28327	16/07/2019	मौ० उस्मान पुत्र श्री मौ० अफजाल, निवासी ग्राम खडंजा कुतुबपुर, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खडंजा कुतुबपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत खडंजा कुतुबपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार पर 2500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	2500.00			

75	A-26161	16/07/2019	श्री संजय कुमार द्विवेदी, अग्रसेन कालोनी, गली नम्बर-1, मकान नम्बर-2, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /कार्यालय, तहसीलदार, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /तहसीलदार, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	कार्यालय, तहसीलदार, तहसील रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
76	A-26498	16/07/2019	श्री महावीर सिंह बिष्ट, अलकनन्दा कालोनी, जौनपुर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल-246149 / प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज मोटाढाक, विकास खण्ड दुगड़डा, जिला पौड़ी गढ़वाल /खण्ड शिक्षा अधिकारी, दुगड़डा, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री जर्नादन बूड़ाकोटी प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज मोटाढाक, विकास खण्ड दुगड़डा, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
77	A-26790	17/07/2019	श्री एस0के0 गुप्ता, एडोकेट, सी0जे0एम0 कोर्ट कम्युण्ड, देहरादून / सहायक अभिलेख अधिकारी / सर्वे नायब तहसीलदार, देहरादून / जिलाधिकारी, जिला देहरादून	श्री घनश्याम बिहारी पुरी डीम्ड लोक सूचना अधिकारी / सर्वे नायब तहसीलदार, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00				
78	A-22938	18/07/2019	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, एच-255 नेहरू कालोनी देहरादून / राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून / अनु सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून / श्री देवेन्द्र प्रसाद, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	तत्काली लोक सूचना अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर रु 23250 की शास्ति आरोपित की गयी है।	23250.00				

79	A-28106	19/07/2019	श्री बृजमोहन बन्धानी पुत्र स्व0 श्री ब्रह्मानन्द बन्धानी, मकान नम्बर-बी-324, आवास विकास रूद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर / बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल/जिला कार्यक्रम अधिकारी(बाल विकास), जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री जितेन्द्र कुमार बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास खण्ड दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
80	C-12997	17/07/2019	श्री धीरज बाजपेयी, 12 खदरी मोहल्ला, नियर जनता बेकरी, सहायनपुर चौक, देहरादून/प्रमारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट, हरिद्वार/ श्री पंकज कुमार राजपूत खनन सहायक कलेक्ट्रेट हरिद्वार/श्री प्रमोद कुमार चौहान तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी कल खनन सहायक कलेक्ट्रेट हरिद्वार	श्री प्रमोद कुमार चौहान तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी खनन सहायक कलेक्ट्रेट हरिद्वार पर 2750 की शास्ति आरोपित की गयी है।	2750.00			
81	A-28129	30/07/2019	श्री भोजपाल पुत्र श्री रतन लाल सराफा बाजार, मंगलौर, जिला हरिद्वार/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, जिला हरिद्वार	श्री बृजपाल सिंह राठौर, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
82	A-28130	30/07/2019	श्री प्रकाश चन्द्र धीमान पुत्र स्व0 श्री परमानन्द धीमान, 391 श्यामनगर, रुड़की, जिला हरिद्वार/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, जिला हरिद्वार	श्री बृजपाल सिंह राठौर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

83	A-26379	30/07/2019	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, ग्राम व पोस्ट-नारसन कलां, जिला हरिद्वार / प्रधानाचार्य, राजा मेहेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय, इण्टर कालेज, गुरुकुल नारसन, जिला हरिद्वार/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री महावीर सिंह, प्रधानाचार्य, राजा मेहेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय, इण्टर कालेज, गुरुकुल नारसन, जिला हरिद्वार 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
84	A-28146	30/07/2019	कुमारी पुष्पा चौहान पुत्री श्री ओमप्रकाश, निवासी मौ0 पट्टी चौहान निकट लम्बी मिना, जसपुर, तहसील जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/तहसीलदार, तहसील जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /उपजिलाधिकारी जसपुर, जिला ऊधम सिंह नगर /राजस्व लेखाकार, श्री अरुण कुमार ढौंडियाल, तहसील जसपुर जिला ऊधम सिंह नगर	राजस्व लेखाकार, श्री अरुण कुमार ढौंडियाल, तहसील जसपुर जिला ऊधम सिंह नगर 25000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
85	C-13411	30/07/2019	मौ0 वसीम पुत्र श्री अय्यूब, निवासी ग्राम ढण्डेरा, ब्लाक नारसन तहसील रुड़की जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ढण्डेरा, / खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार/	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्रीमती कविता रानी, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ढण्डेरा, विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
86	A-28498	31/07/2019	श्रीमती अमल वर्मा, मार्फत श्री अतर सिंह वर्मा, 47-सी, डी0एल.रोड देहरादून/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहसपुर, जिला देहरादून/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहसपुर, जिला देहरादून/श्रीमती नुसरत देहरादून लोक सूचना अधिकारी/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सहसपुर जिला देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी, जिला देहरादून	श्रीमती नुसरत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सहसपुर जिला देहरादून पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			

87	C-13456	25/07/2019	श्री मनीष तिवारी पुत्र स्व0 श्री नंदा बल्लभ तिवारी, मै0 विद्या डा0 दीपक, महाप्रबंधक, जिला डिजिटल, एल0 आर0 साह रोड, अल्मोड़ा/डा0 दीपक, उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा पर 5000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	डा0 दीपक, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा पर 5000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	5000.00			
88	A-28497	31/07/2019	श्री अमर सिंह कश्यप पुत्र श्री बलवन्त सिंह कश्यप, निवासी ईदगाह, मोहल्ला, सहसपुर, देहरादून -248197/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहसपुर, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, जिला देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी, सहसपुर, देहरादून	श्रीमती नुसरत ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सहसपुर, तथा श्री कृपा राम जोशी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहसपुर पर क्रमशः 5000-5000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	10000.00			
89	A-28498	31/07/2019	श्रीमती अमल वर्मा, मार्फत श्री अतर सिंह वर्मा, 47-सी, डी. एल. रोड, देहरादून/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहसपुर, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी सहसपुर, जिला देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी, सहसपुर, देहरादून	श्रीमती नुसरत ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सहसपुर, तथा श्री कृपा राम जोशी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहसपुर पर क्रमशः 5000-5000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	10000.00			
90	A-28343	31/07/2019	श्री आशीष कुमार पिपानिया, 8 / 320, अस्पताल मार्ग, विकासनगर, जिला देहरादून/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकासनगर, जिला देहरादून/मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला देहरादून	डा0 के0के0 शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकासनगर, जिला देहरादून पर 5000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	5000.00			

91	A-26868	02/08/2019	श्री अखिलेश कुमार बड़ोनी, माफत श्री यूडीओ बड़ोनी, ई-20 / 3, नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल/जिला शिक्षा, टिहरी गढ़वाल/मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेंद्र नगर	श्री सुदर्शन सिंह बिष्ट जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 शिक्षा, टिहरी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00		
92	A-27825	26/04/2019	श्री वी0 के0 शर्मा, एडवोकेट, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी, 335 / 7, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल-263139/कार्यालय तहसीलदार, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल/कार्यालय तहसीलदार, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	श्री नृपेन्द्र सिंह, सहायक नलोक सूचना अधिकारी/वासिल वाकी नवीस, तहसील रामनगर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति दी गयी है।		DA	
93	A-27519	29/05/2019	सरदार पाल सिंह रस्थावा पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी मेन बाजार हरिद्वार रोड लक्सर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार/उप जिलाधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार / उप निरीक्षक, लक्सर जिला राजस्व निरीक्षक, लक्सर द्वारा तहसीलदार लक्सर, जिला हरिद्वार/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), जिला हरिद्वार	श्री मंगू सिंह तत्काली लोका सूचना अधिकारी, उप राजस्व निरीक्षक, लक्सर वर्तमान में राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र झंझर, तहसील विकास नगर के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की संस्तुति की है।		DA	
94	A-28123	11/07/2019	श्री विनोद कुमार जैन, एल-79, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश-249201 / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, हरिद्वार/तहसीलदार, तहसील हरिद्वार	श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला नायब नाजिर तहसील कार्यालय हरिद्वार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।		DA	

95	A-25853	08/02/2019	हवलादर लिपिक, जशोधर प्रसाद बहुगुणा, पूर्व सैनिक श्री राकेश कुमार गुसाई, लो.सू. सेनाध्यक्ष, द्वारा सी.ओ.ए.एस. कमण्डेशन के सम्मान से अधि./प्रमारी निरीक्षक, कोतवाली सम्मानित, ग्राम व पोस्ट हरवाला नकरोंदा रोड डोईवाला जिला देहरादून पर देहरादून/प्रमारी निरीक्षक, कोतवाली डोईवाला जिला 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
96	A-26158	08/05/2019	श्रीमती कमला पाण्डेय, कौशल कालोनी पश्चिम, मल्ली बमोरी सुश्री चम्पा भौर्याल उप शिक्षा हल्द्वानी, जिला नैनीताल-263139/खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला नैनीताल हल्द्वानी, जिला नैनीताल/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नैनीताल	25000.00			
97	A-27742	08/05/2019	श्री विजय सिंह, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/प्रधानाचार्य, पंतनगर 50का0 पंतनगर, जिला ऊधम सिंह नगर/खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	25000.00			
98	A-28064	05/08/2019	श्री जितेन्द्र सिंह माफत श्री लेखराज सिंह, एस-142, फेस-4, शिवालिक नगर, भेल, रानीपुर, जिला हरिद्वार/उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0, जिला हरिद्वार	25000.00			

99	A-26064	01/08/2019	डॉ० राजेन्द्र कुमार भारती पुत्र श्री भोले लाल, एम 11/12, री जर्नादन गौड़, नायब त्राजिट कैम्प, नियर पुलिस चौकी, रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह नगर / नायब तहसीलदार, तहसील काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर / तहसीलदार, तहसील काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर	री जर्नादन गौड़, नायब तहसीलदार, तहसील काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 24250 की शास्ति आरोपित की गयी है।	24250.00			
100	A-25853	01/08/2019	हवलदार लिपिक, जशोधर प्रसाद बहुगुणा पूर्व सैनिक, सेनाध्यक्ष, द्वारा सीओओएस0 कमण्डेशन के सम्मान से सम्मानित, ग्राम व पोस्ट हरवाला नकरोंदा रोड देहरादून/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जोईवाला जिला देहरादून/पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर जिला देहरादून	श्री राकेश कुमार गुसाई, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जोईवाला जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
101	A-28521	06/08/2019	श्री शेरपाल चौहान पुत्र श्री तिलकराम चौहान, निवासी फेरूपुर कटिया थाना पथरी, तहसील व जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भोवापुर चमरावल द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री रणतेज सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत भोवापुर चमरावल, जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
102	A-27980	06/08/2019	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद, ग्राम पदार्था उर्फ मुस्तफाबाद, पोस्ट धनपुरा, तहसील व जिला हरिद्वार/ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत महतोली, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार-249402/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार	श्री साधू राम, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत महतोली विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार-249402 पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

103	A-28531	06/08/2019	श्री कमल भट्ट पुत्र श्री आनन्द बल्लभ, निवासी कैनाल कालोनी नम्बर-2, पोस्ट कैनाल कालोनी नम्बर-2, बागा बाजपुर जिला ऊधम सिंह नगर/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोषा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री योगेश चन्द्र उपाध्याय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोषा विकास खण्ड गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
104	A-27944	07/08/2019	श्री हरजिन्दर सिंह, 278, खुड़बुड़ा, देहरादून/विशेष कार्याधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून	सुश्री अनुजा सिंह, अनु सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
105	C-13453	07/08/2019	श्री मोहन लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल, ग्राम व पोस्ट चिन्यालीसौड़ पीपलमण्डी, तहसील व विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी-249196/अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी	अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
106	A-28511	27/08/2019	श्री वी0 के0 विश्वकर्मा, सम्पादक नैशनल गाइड एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, 40 / 2, भुईया राजा, मोथरोवाला रोड, अजबपुर कलां, देहरादून /कार्यालय, अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	ए0के0 केसवानी प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			

107	A-28724	28/08/2019	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, 175 / 10, सिविल लाईन्स, रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मेहवड़ कलां विकास खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री पाल सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मेहवड़ कलां विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पनर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
108	A-27002	28/08/2019	श्री अवतार सिंह पुत्र श्री चूड़ सिंह, निवासी ग्राम भवानीपुर, गोविन्दपुर, पोस्ट शिवराजपुर बाया काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर / प्रमारी निरीक्षक, थाना कुण्डा, जिला ऊधम सिंह नगर / पुलिस क्षेत्राधिकारी, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर	एच0सी0पी0 डिप्टी सिंह प्रमारी निरीक्षक, थाना कुण्डा, जिला ऊधम सिंह नगर पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			
109	A-27770	30/08/2019	श्री राज किशोर वर्मा, काँटेवाले गली, भगवानपुर, जिला हरिद्वार-247661/खण्ड शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	श्री भीकम सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
110	A-27666	30/08/2019	श्री नीरज गुप्ता, मकान नम्बर-20, न्यूरामनगर कालोनी, जिला ज्वालापुर, जिला हरिद्वार-249404/उप शिक्षा अधिकारी(प्र0शि0) बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी(प्र0शि0) हरिद्वार, जिला हरिद्वार	उप शिक्षा अधिकारी(प्र0शि0) बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
111	A-27038	30/08/2019	श्री कुंवर पाल, मकान संख्या-262, गली नम्बर-2, अम्बेडकर नगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला हरिद्वारी पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

112	A-27263	02/09/2019	श्री तोशीन पुत्र श्री हासिम, 162, बैल रोड मोहब्बेवाला, देहरादून-248002/राजस्व उप निरीक्षक, माजरा द्वारा तहसीलदार सदर, जिला देहरादून/तहसीलदार, तहसील सदर, जिला देहरादून	श्री कुंवर पाल सिंह सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक, सेवलाकलां द्वारा तहसीलदार सदर, जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
113	A-28620	30/08/2019	श्री रिजवान पुत्र श्री निजामुद्दीन, ग्राम रहमतपुर, पोस्ट पिरान कलियर, रुड़की, जिला हरिद्वार/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), रुड़की, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), जिला हरिद्वार	सुश्री रीना उप शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), रुड़की, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
114	A-26472	29/08/2019	श्री राजेन्द्र प्रसाद कपरूवाण (पंकज शास्त्री), पुरोहित श्री केदरानगर, निवासी ग्राम व पोस्ट दिवली भणीग्राम, जनपद रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग/नायब तहसीलदार, तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग/तहसीलदार, तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग	श्री इनायत हुसैन तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
115	C-26472	07/08/2019	श्री मोहन लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल, ग्राम व पोस्ट चिन्यालीसौड़ पीपलमण्डी, तहसील व विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी-249196, वनाम लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका उत्तरकाशी	लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

116	A-27265	06/09/2019	श्री जय चन्द्र पुत्र स्व० श्री दूली चन्द, निवासी कोटडा, सन्तौर, जिला देहरादून/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विकासनगर, जिला देहरादून/उप जिलाधिकारी, विकासनगर, जिला देहरादून	श्री राजेन्द्र कुमार राजस्व उप निरीक्षक, को समतुल्य लोक सूचना अधिकारी मानते हुए 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
117	A-28787	11/09/2019	श्री मदन मोहन पंत, सैनिक कलानी, मधुर विद्या मंदिर रोड, काशीपुर-244713, जिला ऊधम सिंह नगर/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल/अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	श्री जे.पी.0 विश्वकर्मा अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
118	A-27654	11/09/2019	श्रीमती कमला आहूजा पत्नी श्री हरकेश आहूजा, निवासी 8/4, ओल्ड नेहरू कालोनी, धर्मपुर, जिला देहरादून/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, देहरादून/जिलाधिकारी, जिला देहरादून	श्री पीताम्बर सिंह राठौर, राजस्व निरीक्षक केन्द्र, तहसील सदर जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
119	A-28803	11/09/2019	श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री सतनाम सिंह, ग्राम रघुलिया, पोस्ट एवं तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर /खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड खटीमा, ऊधम सिंह नगर/ जिला विकास अधिकारी, जिला ऊधम सिंह नगर	तत्काली लोक सूचना अधिकारी, श्रीमती स्वर्ण कौर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रघुलिया विकास खण्ड खटीमा, ऊधम सिंह नगर पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
120	A-28636	12/09/2019	श्री आशीष कुमार पिपानिया, 8 / 320, अस्पताल मार्ग, विकासनगर, जिला देहरादून /राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र शीशमबाड़ा द्वारा तहसीलदार विकासनगर, जिला देहरादून/राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र झाझरा द्वारा तहसीलदार विकासनगर, जिला देहरादून	श्री राजेन्द्र कुमार हाल लोक सूचना अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र झाझरा द्वारा तहसीलदार विकासनगर, जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

121	C-13414	09/11/2019	श्री नथू सिंह, आर-170, शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार-249403/ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत झिड़ियानग्रन्ट, विकास भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री इकबाल ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत झिड़ियानग्रन्ट, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
122	C-13122	30/11/2018	श्री अजय नारायण शर्मा, सचिव, सोशल एक्शन रिसर्च एंड डवलपमेंट फाउंडेशन, ढाकोवाला, कण्डोली, पोस्ट चन्दनवाड़ी देहरादून/पुलिस क्षेत्राधिकारी, खटीमा जिला उधम सिंह नगर	श्री लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।				
123	A-28847	19/09/2019	श्री जोगा सिंह, ग्राम छोया, पोस्ट देवीखाल, तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा /उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप उप खण्ड मौलेखाल, जिला अल्मोड़ा/अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा/तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड मौलेखाल जिला अल्मोड़ा श्री सुनिल कुमार सहायक अभियन्ता, राजस्व विद्युत वितरण खण्ड दक्षिण देहरादून पर 5000 रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी उप उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड मौलेखाल जिला अल्मोड़ा/अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा/तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड मौलेखाल जिला अल्मोड़ा श्री सुनिल कुमार सहायक अभियन्ता, राजस्व विद्युत वितरण खण्ड दक्षिण देहरादून पर 5000 रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	0.00	5000		
124	A-28354	18/09/2019	श्री सुलप सिंह रावत,ग्राम रांगतेली, पोस्ट औ0- लस्यारी, जिला चमोली/प्रधानाचार्य, फरस्वाँण, फाट जनता इण्टर कालेज हरमनी, दशौली, जिला चमोली/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दशौली, जिला चमोली	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री हीर सिंह फरस्वाण प्रधानाचार्य, फरस्वाँण, फाट जनता इण्टर कालेज हरमनी, दशौली, जिला चमोली पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	250000.00	0		

125	A-28159	25/07/2019	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व० श्री केशर सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट घंघरेटी, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल/उप शिक्षा अधिकारी, बेतालघाट, जिला नैनीताल पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	श्री भूपिन्द्र कुमार उप शिक्षा अधिकारी, बेतालघाट, जिला नैनीताल पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
126	A-28368	18/09/2019	श्री किशन सिंह सर्गवान, संगलाकोटी बाजार, पोस्ट संगलाकोटी, पौड़ी-246172/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड एकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री लल्लन प्रसाद यादव खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड एकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
127	A-27758	26/09/2019	श्री आशीष कुमार पिपानिया, 8 / 320, अस्पताल मार्ग, विकासनगर, जिला देहरादून/उप जिलाधिकारी, विकासनगर, जिला देहरादून / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, देहरादून/जिलाधिकारी, जिला देहरादून	श्री जितेंद्र कुमार उप जिलाधिकारी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, विकासनगर, जिला देहरादून पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
128	A-28914	25/09/2019	श्री शेरपाल चौहान पुत्र श्री तिलकराम चौहान, निवासी फेरूपुर कठिया, थाना पथरी, पोस्ट धनपुरा, जिला एवं तहसील हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बादशाहपुर, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	श्री अमित कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बादशाहपुर जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।				

129	A-23155	26/09/2019	श्री चन्द्रशेखर करौती, द्वारा कल्याणीका जनरल स्टोर, सेंट लोक प्राधिकारी, सर्तकता विभाग, लौरेंस स्कूल के पास, डहरिया, पोस्ट औ0- मानपुर पश्चिम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को हस्तानी, जिला नैनीताल/अनु सचिव, सर्तकता विभाग, 10000 रुपये की क्षतिपूर्ति उत्तराखण्ड शासन, देहरादून/संयुक्त सचिव, सर्तकता विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	0.00	10000		
130	A-26553	03/10/2019	श्री सोहन लाल, सेवानिवृत्त, संग्रह अमीन, निवासी लिब्ररहेड़ी, प्रगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार हरिद्वार/तहसीलदार, तहसील हरिद्वार	25000.00	0		
131	A-28389	04/10/2019	डा0 नवीत परमार, सहायक मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी प्रधानाचार्य, डा0 हरि राम इण्टर कालेज ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, प्रबंधक ज्वालापुर इण्टर कालेज ज्वालापुर, जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य, डा0 हरि राम इण्टर कालेज मायापुर, जिला हरिद्वार/खण्ड शिक्षा अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	25000.00	0		
132	A-29046	04/10/2019	श्री भागचन्द सिंह, ग्राम नाग (कोठा), पोस्ट पूर्वियाणा, वाया जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नाग, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, जखोली, जिला रुद्रप्रयाग/खण्ड विकास अधिकारी, जखोली, जिला रुद्रप्रयाग	10000.00	0		

133	A-28910	10/10/2019	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री भज्जड सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट छरबा, जिला देहरादून-248197 /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी, छरबा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून/	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखवीर सिंह, निवासी ग्राम हर्दीपुर, पोस्ट सोहलपुर, तहसील व जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर बेगुन उर्फ टकाभरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्रीमती सरविद्या सैनी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बंजारावाला ग्रन्ट खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सहसपुर, जिला देहरादून पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.000		
134	A-28974	10/10/2019	श्री समुज सैनी पुत्र श्री सुखवीर सिंह, निवासी ग्राम हर्दीपुर, पोस्ट सोहलपुर, तहसील व जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर बेगुन उर्फ टकाभरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	श्रीमती उमा दिवी, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर बेगुन उर्फ टकाभरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.000			
135	A-29140	09/10/2019	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री हरसाग सिंह निवासी किलावली, जमसपुर, जिला उधम सिंह नगर/, उप शिक्षा अधिकारी, जमसपुर, जिला उधम सिंह नगर /जिला शिक्षा अधिकारी, ग्रा0 शि0, जिला उधम सिंह नगर	श्री आशा राम उप शिक्षा अधिकारी, जमसपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.000			
136	C-13486	03/10/2019	श्री नत्थू सिंह, आर0-170, शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार-249403/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत झिड़ियानग्रन्ट द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत झिड़ियानग्रन्ट द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.000			

137	C-13433	30/09/2019	श्री अजय नारायण शर्मा, सचिव, सोशल एक्शन रिसर्च एंड डवलपमेंट फाउंडेशन, डाकोवाली, चंदनवाड़ी इस्टेट, लोअर अधीक्षक, जिला ऊधम सिंह नगर कण्डोली, पोस्ट औ0-प्रेमनगर, देहरादून-248007/अपर पुलिस अधीक्षक, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री देवेन्द्र सिंह पौंचा अपर पुलिस अधीक्षक, जिला ऊधम सिंह नगर पर 1000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	1000.000			
138	C-13456	25/07/2019	श्री मनीष तिवारी पुत्र स्व0 श्री नंदा बल्लभ तिवारी, मै0 विद्या डा0 दीपक महाप्रबंधक जिला डिजिटल, एल0 आर0 साह रोड, अल्मोड़ा/जिला उद्योग पर 5000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	श्री मनीष तिवारी पुत्र स्व0 श्री नंदा बल्लभ तिवारी, मै0 विद्या डा0 दीपक महाप्रबंधक जिला डिजिटल, एल0 आर0 साह रोड, अल्मोड़ा/जिला उद्योग पर 5000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
139	A-29234	16/10/2019	मौ0 कामिल पुत्र श्री मौ0 हनीफ, निवासी ग्राम एवं पोस्ट श्रीमती जमीला पत्नी श्री इस्लाम शेरपुर खेलमऊ, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार-247665/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास खण्ड नारसन, जिला पंचायत शेरपुर खेलमऊ द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	मौ0 कामिल पुत्र श्री मौ0 हनीफ, निवासी ग्राम एवं पोस्ट श्रीमती जमीला पत्नी श्री इस्लाम शेरपुर खेलमऊ, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार-247665/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास खण्ड नारसन, जिला पंचायत शेरपुर खेलमऊ द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.000			
140	A-26921	16/09/2019	श्री विकास भटनगर पुत्र श्री विशेषर प्रसाद भटनगर, 51 काननगोयान, निकट पकड़िया नाथ मंदिर, मो0 भू, थानाध्यक्ष, पुलभट्टा, जिला ऊधम बरेली-243003/थानाध्यक्ष, पुलभट्टा, जिला ऊधम सिंह नगर पर 7000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	श्री विकास भटनगर पुत्र श्री विशेषर प्रसाद भटनगर, 51 काननगोयान, निकट पकड़िया नाथ मंदिर, मो0 भू, थानाध्यक्ष, पुलभट्टा, जिला ऊधम बरेली-243003/थानाध्यक्ष, पुलभट्टा, जिला ऊधम सिंह नगर पर 7000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	7000.000			

141	A-27120	22/10/2019	श्री मनजीत पुत्र श्री मनीराम, निवासी ग्राम व पोस्ट श्री सरदार सिंह चौहान, तत्कालीन विकास खण्ड सहसपुर, तहसील विकासनगर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून / राजस्व निरीक्षक, छरबा द्वारा तहसीलदार विकासनगर, जिला देहरादून	श्री सरदार सिंह चौहान, तत्कालीन राल निरीक्षक, छरबा वर्तमान राजस्व निरीक्षक पौधा प्रेमनगर देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0		
142	A-28961	03/10/2019	श्री पंकज उनियाल पुत्र श्री दाताराम उनियाल, ग्राम अपर नथनपुर, पोस्ट नेहरू ग्राम, गंगोत्री विहार, लेन नम्बर-1, मकान नम्बर-11, बाईपास रोड, जिला देहरादून/1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / 2. रजिस्ट्रार कानूनगो, कार्यालय तहसीलदार कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल/तहसीलदार, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री आनन्द कुमार रतूड़ी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	4000.00			
143	A-28126	22/10/2019	श्री लोकेश कुमार पुत्र स्व० श्री श्याम सिंह, ग्राम नमाला ऐमाद, पोस्ट औ०-मंगलौर, जिला हरिद्वार/कलेक्ट्रेट, हरिद्वार/अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन), जिला हरिद्वार	सुश्री संगीता कन्नौजिया तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट हरिद्वार एवं श्री दीपक राजपूत आबकारी /समाधान सहायक, कलेक्ट्रेट हरिद्वार पर समान रूप से 12500-12500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0		
144	A-28726	22/10/2019	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, 175 / 10, सिविल लाईन्स, रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मेहवड कलां द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास रुड़की, जिला हरिद्वार	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री पाल सिंह, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत मेहवड कलां द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0		

145	A-28723	22/10/2019	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, 175 / 10, सिविल लाईन्स, रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मेहवड कलां द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री पाल सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत मेहवड कलां द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0		
146	A-27576	23/10/2019	श्री राजकुमार उर्फ टीटू आरटी0आई0 कार्यकर्ता, ग्राम शेरपुर, पोस्ट दहडी, खाजागीपुर, जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य, के0एल0डी0वी0 इण्टर कालेज, रुड़की, जिला हरिद्वार/अधिकारी, रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री मनोज कुमार सैनी, प्रधानाचार्य, के0एल0डी0वी0 इण्टर कालेज, रुड़की, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0		
147	A-29095	24/10/2019	श्री शाहनवाज खान पुत्र श्री इलियास खान, निवासी मौ0 मैदानियान, फकीरो वाली गली, ज्वालामपुर तहसील व जिला हरिद्वार-249407/सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार/अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	श्री लोक प्राधिकारी नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार पर 1528/- की क्षतिपूर्ति अपीलकर्ता को दिये जाने हेतु आदेशित की गयी है।	0.00	1528		
148	A-28438	30/10/2019	श्री दौलत राम पुत्र स्व0 श्री गुरियाराम, ग्राम खैराना, पोस्ट औ0-विडौरा मझोला, तहसील सितारगंज, जिला रुड़की/नगर /तहसीलदार सितारगंज / नायब तहसीलदार नानकमल्ला, जिला रुड़की/उप जिलाधिकारी, सितारगंज, जिला रुड़की	श्री योगेश वर्मा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार नानकमल्ला, जिला रुड़की/उप जिलाधिकारी, सितारगंज, जिला रुड़की पर 15750/- की शास्ति आरोपित की गयी है।	15750.00	0		

149	C-13495	29/10/2019	श्री रोशन लाल पुत्र स्व० श्री ताराचन्द, सेवानिवृत्त व वरिष्ठ नागरिक, 242-आर्य नगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार-249407/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बहादुराबाद द्वारा तहसीलदार हरिद्वार, जिला हरिद्वार/	श्री मोती लाल लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बहादुराबाद पर 8500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	8500.000			
150	C-13552	25/10/2019	श्री शीश पाल सिंह, ग्राम व पोस्ट मालधन चौड़(वाया काशीपुर), जिला नैनीताल-244713/जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी, जिला गढ़वाल/	लोक सूचना अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी, जिला गढ़वाल श्रीमती सुनीता अरोरा पर 25000/- रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.000			
151	C-13481	17/10/2019	श्री अमर एस. धुन्ना, महासचिव, आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड, 827/1, सिरमौर मार्ग, कौलागढ़ रोड, देहरादून/उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड द्वितीय(दो), बसंत विहार, देहरादून	श्री सुनील कुमार पोखरियाल सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षण उप खण्ड भगवानपुर रुड़की पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.000			
152	C-13398	22/10/2019	श्री तरसेब सिंह तोमर, एनफील्ड टी स्टेट, निकट संतोषीमाता मन्दिर, विकासनगर, जिला देहरादून-248198/ ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लांघा, विकास खण्ड विकासनगर, जिला देहरादून/प्रभारी विकास अधिकारी, विकासनगर, जिला देहरादून	श्री केदार सिंह तोमर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लांघा, विकास खण्ड विकासनगर, जिला देहरादून पर 25000/- रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.000			

153	C-13482	17/10/2019	श्री अमर एस0 धुन्ता, 827/1, सिसमौर मार्ग, कौलागढ़ रोड, देहरादून-248001/ अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड(सेन्ट्रल), 18 ई0सी0रोड, देहरादून	श्री मुनीश चन्द्रा अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड(सेन्ट्रल), 18 ई0सी0रोड, देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
154	A-25875	11/05/2019	श्रीमती इन्दू गुप्ता पत्नी श्री जगदीश गुप्ता, निवासी निबू घेर, मोती बाजार हरिद्वार/प्रमारी निरीक्षक, कोतवाली नगर जनपद हरिद्वार/क्षेत्राधिकारी, नगर प्रथम, देहरादून	श्री चन्द्रशान सिंह प्रमारी निरीक्षक, कोतवाली नगर जनपद हरिद्वार 22250 की शास्ति आरोपित की गयी है।	22250.00			
155	A-28943	22/10/2019	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक-ट्रस्टी, माई गिदा कुंवर धर्मशाला, सुभाष घाट, हरिद्वार/सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार/अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	श्री संजय कुमार तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार वर्तमान में सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार पर 7500 की शास्ति एवं 5000 की क्षतिपूर्ति दिये जाने के निर्देश हुए हैं।	7500.00	5000		
156	A-28588	11/08/2019	मौ0 साजिद हुसैन, ग्राम फतेहपुर माफी, पोस्ट पलौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244222/प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज, रुद्रप्रयाग/खण्ड शिक्षा अधिकारी, अगस्तमुनि, जिला रुद्रप्रयाग	निदेश कुमार वाजपेयी प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज, रुद्रप्रयाग पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

157	A-25928	11/11/2019	श्रीमती शशी सैनी पत्नी श्री विक्रम सिंह सैनी, ग्राम झड़खेरी, पोस्ट कौना, शमली मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश/अनुसूचित, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून/संयुक्त सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	श्री धीरज कुमार अनुभाग अधिकारी, गृह अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
158	A-28670	23/11/2019	डॉ० रेखा खरे 2 / 4, आर्शिवाद इन्कलेव, बल्लूपुर, देहरादून/प्रधानाचार्य, ए०के०पी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून/प्रधानाचार्य, ए०के०पी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कचहरी परिसर, देहरादून/	डॉ० सुनीता कुमार सेवानिवृत्त तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य एम०के०पी० पी०जी० कालेज, देहरादून पर 7000 रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	0.00 7000			
159	A-29264	22/11/2019	श्री श्रीराम गुप्ता, प्रधान सम्पादक, कान्ति गाथा, भरत विहार, ऋषिकेश, जिला देहरादून/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	श्री अरुण कंमार केसरवानी सहायक प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।	25000.00 0	DA		
160	A-29277	24/11/2019	श्री इफ्जान पुत्र श्री मुस्तफा, निवासी ग्राम पाडली गेंदा, ब्लाक रुड़की, हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पाडली गेंदा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री वाजिद अली ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत पाडली गेंदा विकास खण्ड रुड़की, जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00 0			

161	A-29235	24/11/2019	श्री इफ्जान पुत्र श्री मुस्तफा, निवासी ग्राम पाडली गेंदा, ब्लांक रुड़की, हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पाडली गेंदा द्वारा खण्ड विकास रुड़की, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री अनुज शर्मा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पंचायत पाडली गेंदा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास रुड़की, जिला हरिद्वार पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
162	A-26743	12/11/2018	श्री प्रेम कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त शर्मा, मकान नम्बर-142, मोहल्ला लोधा मंडी ज्वालापुर -249407, जिला हरिद्वार/सामान्य प्रबंधक, प्रशासन, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी, जिला नैनीताल /प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0 हल्द्वानी, जिला नैनीताल	विभागीय अपीलिय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन तथा लापरवाही बरतने पर सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।	0.00	DA		
163	A-27481	18/11/2019	श्री धर्मवीर सैनी, निवासी हजारीबाग, कनखल, जिला हरिद्वार/कलेक्ट्रेट, हरिद्वार/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), जिला हरिद्वार	श्री प्रमोद चौहान खनन सहायक एवं श्रीमती संगीता कनौजिया तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट, हरिद्वार वर्तमान अपर नगर मजिस्ट्रेट देहरादून पर क्रमशः 12500-12500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
164	A-29016	14/11/2019	श्री श्रीराम गुप्ता, प्रधान सम्पादक, कान्ति गाथा, भरत विहार, ऋषिकेश, जिला देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, रुद्रप्रयाग/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री प्रेम सिंह पवार पर अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्या पुर्नवाश मण्डल ऋषिकेश जिला हरिद्वार पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

165	A-28711	22/11/2019	श्री हरिदास गर्ग, 40 / 2, भुईयाराजा, मौथरोवाला रोड, अजबपुरकलां, देहरादून/कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/	श्री अरुण कुमार केसरवानी कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
166	C-13590	19/11/2019	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह राणा, ड़िल आपरेटर प्रमारी डी.डी.-13, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई क्षेत्रीय कार्यालय तिवारी सदन छोटी मुखानी हल्लानी जिला नैनीताल/सहायक रसायनज्ञ, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय थानों रोड इकाई, उद्योग निदेशालय थानों रोड भोपालपानी जिला देहरादून खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय थानों रोड भोपालपानी जिला देहरादून	श्री रामपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी कृते प्रमारी अधिकारी स्थापना, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय थानों रोड भोपालपानी जिला देहरादून पर 10000 रु की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			
167	C-13546	22/11/2019	श्री अमर एस. धुन्ता, 827/1, सिरसौर मार्ग, कौलागढ़ रोड, देहरादून/नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, मुख्यालय, शिविर कार्यालय, अरण्य विकास भवन, 73- नेहरू रोड, देहरादून/	श्री त्रिलोक चन्द्र लोक सूचना अधिकारी नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, मुख्यालय, शिविर कार्यालय, अरण्य विकास भवन, 73- नेहरू रोड, देहरादून पर 3000 रु की शास्ति आरोपित की गयी है।	3000.00			
168	C-13519	06/11/2019	श्री प्रमूदयाल शर्मा, निवासी 448/5, लेन नम्बर-07, हनुमन्त पुरम, गंगा नगर, ऋषिकेश, जिला देहरादून-249201/प्रधानाचार्य, हरिश्चन्द्र गुप्ता इण्टर कालेज ऋषिकेश, जिला देहरादून	शुश्री पूनम रानी शर्मा, प्रधानाचार्य, हरिश्चन्द्र गुप्ता इण्टर कालेज ऋषिकेश, जिला देहरादून पर 25000 रु की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

169	A-29627	04/12/2019	डा0 दिनेश चन्द्र पाठक, त्रिपाठी भवन क्वान्टम के पीछे विवेकानन्द कालोनी, जी.आई.सी. रोड पिथौरागढ़/श्री नन्द किशोर सहायक सम्भागीय अधिकारी, उप सम्भागीय अधिकारी, कार्यलय पिथौरागढ़ /कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़/श्री नवीन कुमार सिंह कर अधिकारी प्रथम प्रारो सहायक परिवहन कार्यलय पिथौरागढ़/सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यलय नैनीताल	श्री नवीन कुमार सिंह कर अधिकारी प्रथम प्रारो सहायक परिवहन कार्यलय पिथौरागढ़ पर 10,000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			
170	A-27550	04/12/2019	श्री भास्कर चन्द्र बृजवासी, निवासी -6 / 130, तल्ली वमोरी, नवाबी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल/कार्यालय जिलाधिकारी, जिला नैनीताल/जिलाधिकारी, जिला नैनीताल	जिला स्थानीय विकास प्राधिकरण नैनीताल एवं उप जिलाधिकारी कार्यलय हल्द्वानी जिला नैनीताल पर क्रमशः 12500-12500 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
171	A-28823	28/11/2019	श्री विनोद कुमार जैन, एल-79 ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला देहरादून-249201/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यलय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार/कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार/श्री प्रदीप उनियाल उप वन रेंजर यूनित प्रभारी, रसियाबागढ़ यूनित हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार	श्री प्रदीप उनियाल उप वन रेंजर यूनित प्रभारी, रसियाबागढ़ यूनित हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
172	A-29364	27/11/2019	श्री संदीप कुमार राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख भ्रष्टाचार निवारक समिति कैम्प कार्यलय तेलपुरा पोस्ट बिहारी गढड़ जिला हरिद्वार/कार्यालय तहसीलदार, तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार/श्री रमेश चन्द्र, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र भगवानपुर वर्तमान तदर्थ नायब तहसीलदार तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार	श्री रमेश चन्द्र, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र भगवानपुर वर्तमान तदर्थ नायब तहसीलदार तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार पर 2500 रु0 की शक्ति आरोपित की गयी है।	2500.00			

173	A-29457	25/11/2019	श्री हरेन्द्र सिंह रावत रावत आटो गैराज, सखावत गंज नैनीताल रोड तिकोनिया हल्द्वानी जिला नैनीताल / श्री अजय अधिकारी, उधम सिंह नगर / श्री अजय अधिकारी, उधम सिंह नगर / कार्यालय जिला विकास अधिकारी, उधम सिंह नगर	श्री अजय सिंह जिला विकास अधिकारी, उधम सिंह नगर पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
174	C-12350	26/09/2019	श्री चन्द्र शेखर करगेती द्वारा कल्यानिका जनरल स्टोर डहरीया, सेंट लॉरेंस स्कूल के पास पोस्ट ऑफ मानपुर पश्चिम हल्द्वानी जिला नैनीताल/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय प्रमुख सचिव, सुराज भ्रष्टाचार उनमूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून/अनु सचिव, कार्यालय प्रमुख सचिव सुराज भ्रष्टाचार उनमूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, लोक प्रधिकारी अपर मुख्य सचिव, सर्तकता उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक प्रधिकारी अपर मुख्य सचिव, सर्तकता उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 7000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	0.00	7000		
175	A-23558/23155	26/09/2019	श्री चन्द्र शेखर करगेती द्वारा कल्यानिका जनरल स्टोर डहरीया, सेंट लॉरेंस स्कूल के पास पोस्ट ऑफ मानपुर पश्चिम हल्द्वानी जिला नैनीताल/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय प्रमुख सचिव, सुराज भ्रष्टाचार उनमूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून/अनु सचिव, कार्यालय प्रमुख सचिव सुराज भ्रष्टाचार उनमूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून, लोक प्रधिकारी अपर मुख्य सचिव, सर्तकता उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक प्रधिकारी अपर मुख्य सचिव, सर्तकता उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	0.00	10000		

176	A-29108	09/12/2019	श्री राजबीर सिंह राजस्व सहायक कलेक्टर, हरिद्वार/कलेक्टर, हरिद्वार/अपर जिला हरिद्वार	रीमती संगीता कन्वैजिया डिप्टी कलेक्टर /वर्तमान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कलेक्टर देहरादून पर 13000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	13000.00			
177	A-28653	12/10/2019	श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री विज्ञान प्रकाश, टी स्टेट, ईस्टहोप टाउन, पंचायत ठाकुर पुर, प्रेमनगर, देहरादून/उप जिलाधिकारी, विकासनगर जिला देहरादून/जिलाधिकारी, जिला देहरादून	श्री मुकेश चन्द रमोला तहसीलदार सदर जिला देहरादून पर 8500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	8500.00			
178	A-28806	13/12/2019	श्री संजीव कुमार आकाश, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-99, सिविल कोर्ट परिसर, काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर-244713/जिला विकास अधिकारी / परियोजना प्रबंधक, स्वजल परियोजना, जिला ऊधम सिंह नगर /मुख्य विकास अधिकारी, जिला ऊधम सिंह नगर	श्री अजय सिंह जिला विकास अधिकारी, विकास भवन जिला ऊधम सिंह नगर पर 5000 रु० की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
179	C-13628	13/12/2019	श्री आसिम अजहर, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, सम्पादक, काईम का शिकंजा, ग्राम मिस्सरवाला, पोस्ट कुण्डा तहसील जिला काशीपुर/श्री आशा राम उपशिक्षा अधिकारी, जसपुर जिला उधम सिंह नगर	श्री आशा राम उपशिक्षा अधिकारी, जसपुर जिला उधम सिंह नगर पर 5250 रु० की शास्ति आरोपित की गयी है।	5250.00			

180	A-29303	17/12/2019	श्री विकास सिंह, ग्राम स्कूल, पोस्ट कुड़ियाल गांव, ब्लाक चम्बा पट्टी बमण्ड जिला टिहरी बगदवाल-249145/कार्यालय जिला प्रारंभण अधिकारी, नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल/कार्यालय जिला प्रारंभण अधिकारी, नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल	श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास टिहरी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
181	A-29611	18/12/2019	श्री विनोद कुमार थपलियाल, पूर्ति निरीक्षक, सेवानिवृत्त डबराल कालोनी, सितारगंज कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल/श्रीमती रश्मि चौहान, पूर्ति निरीक्षक, गढ़वाल जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/मुख्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/लेखाकार जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	श्रीमती रश्मि चौहान, जिला पूर्ति निरीक्षक, मुख्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
182	A-29166	19/12/2019	श्री पूरन सिंह पुत्र श्री गुरुदयाल सिंह, ग्राम गोठा गुरुनानक नगरी पोस्ट सितारगंज जिला उधम सिंह नगर/श्री सुखलाल सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोठा/श्री राजेश चौधरी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गोठा जिला उधम सिंह नगर/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड सितारगंज जिला उधम सिंह नगर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री बलराम यादव, ग्राम पंचायत गोठा पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			
183	A-28717	19/12/2019	श्री अमित त्यागी पुत्र स्व० श्री दिनेश त्यागी, ग्राम नगला इमरती, पोस्ट डण्डेरा मिलापनगर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नगला इमरती द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार	श्रीमती मुस्कान ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत नगला इमरती विकास खण्ड नारसन, जिला हरिद्वार पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00			

184	A-29078	19/12/2019	श्री अनुज कुमार पुत्र स्व0 श्री नवीन चन्द्र आर्य, तल्ला दन्या धारानौला, जिला अल्मोड़ा/जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय स्तक दल अधिकारी, अल्मोड़ा/मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	श्री हयात सिंह, सविनिवृत्त प्रमारी जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय स्तक दल अधिकारी, अल्मोड़ा पर 22500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	22500.00			
185	A-29570	23/12/2019	श्री बी.डी. जोशी, मकान नम्बर-165, लेन नम्बर-3, स्ट्रीट नम्बर-4, विवेकानन्द ग्राम, फेस-2, देहरादून-248005/अधिकासी अभियन्ता, मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण / प्र0 अधीक्षण अभियन्ता, मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून	श्री सुनील पराशर सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
186	A-29204	30/12/2019	श्रीमती कमला आहूजा पत्नी श्री हरकेश आहूजा, निवासी 8 / 4, ओल्ड नेहरू कालोनी, धर्मपुर, देहरादून/राजस्व उप निरीक्षक, अधोईवाला द्वारा तहसीलदार तहसील सदर, देहरादून/राजस्व निरीक्षक, परवादून द्वारा तहसीलदार तहसील सदर, देहरादून	श्री पिताम्बर सिंह गिंह राठौर राजस्व उप निरीक्षक, परवादून द्वारा तहसीलदार तहसील सदर, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
187	A-29415	24/12/2019	श्री राजेन्द्र प्रसाद मैदानी द्वारा श्रीमती वषा देवी, लेन नम्बर-14, एकता विहार सहस्रधारा रोड पोस्ट कण्डोली देहरादून/जिला आबकारी अधिकारी, जिला देहरादून/जिला अधिकासी देहरादून/जिला अधिकासी देहरादून/	श्री मनोज कुमार उपाध्याय, जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			

188	A-29666	31/12/2019	श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र निवासी ग्राम शहीदवाला ग्रन्ट, परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार/श्री पप्पू सैनी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत शहीदवाला, विकास खण्ड भगवानपुर जिला ग्रन्ट/श्री विशाल चौहान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शहीदवाला/श्री दीपक राणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शहीदवाला ग्रन्ट/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार	श्री पप्पू सैनी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत शहीदवाला, विकास खण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
189	A-29620	20/01/2020	श्री नन्द किशोर नौटियाल पुत्र श्री शिवानन्द नौटियाल, ग्राम व पोस्ट मातली, जिला उत्तरकाशी/सुश्री अनिता द्विवेदी, जिला उप शिक्षा अधिकारी, चिन्मालीसौड़ जिला उत्तरकाशी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 जिला उत्तरकाशी	सुश्री अनिता द्विवेदी, उप शिक्षा अधिकारी, चिन्मालीसौड़ जिला उत्तरकाशी पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
190	A-29877	20/01/2020	श्री विनोद कुमार जैन, एल-79, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश-249201/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
191	A-29750	22/01/2020	श्री ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी ग्राम गिन्नीखेड़ा, तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गिन्नीखेड़ा/श्री दीपक सागर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गिन्नीखेड़ा/सुश्री दीप्ति सागर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गिन्नीखेड़ा/खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	श्री दीपक सागर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गिन्नीखेड़ा/सुश्री दीप्ति सागर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गिन्नीखेड़ा पर क्रमशः 10000 हजार व 25000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	35000.00			

192	C-13727	06/12/2020	श्री हरजिन्दर सिंह, 278, खुड़बुड़ा देहरादून/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट देहरादून/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट देहरादून	श्री विनोद कुमार तत्कालीन समतुल्य लोक सूचना अधिकारी /वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को कठोर चेतवानी निर्गत करते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में चप्पा करने के निर्देश दिये गये हैं।	658500.00		DA	
193	A-29438	23/01/2020	श्री दिनेश कुमार, 1/4, तोबाहादुर रोड, देहरादून/कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड/कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून/श्री राजीव चौहान आबकारी अधिकारी नैनीताल/श्री प्रभाशंकर मिश्रा, उप आबकारी देहरादून/सचिव आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड शासन/	श्री प्रभाशंकर मिश्रा, उप आबकारी आयुक्त देहरादून पर 12500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	12500.00			
194	A-29860	27/01/2020	श्रीमती शालू पत्नी श्री संदीप निवासी ग्राम व पोस्ट सुल्तानपुर आदमपुर जिला हरिद्वार/जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार/मुख्य विकास अधिकारी, जिला हरिद्वार	श्री रणजीत सिंह बर्वाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार पर 12500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	12500.00			
195	A-29510	29/01/2020	श्री प्रविन्दर कुमार, मकान संख्या-115-ए, प्रदीप विहार, पोस्ट मिलापनगर, ढंडेरा, रुड़की, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला हरिद्वार द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	डा० आनन्द भारद्वाज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला हरिद्वार द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

196	A-29293	29/01/2020	श्री प्रविन्दर कुमार, मकान संख्या-115-ए, प्रदीप विहार, पोस्ट मिलापनगर, ढंढेरा, रुड़की, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला हरिद्वार द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार/मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार	पटल प्रमारी सुरेश वर्मा, लेखाकारराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला हरिद्वार द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
197	C-13607	30/01/2020	श्री मोहित कुमार अंतिवाल, ग्राम व पोस्ट सुद्धेवाला, देहरादून/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार विकास नगर जिला देहरादून/तहसीलदार विकास नगर जिला देहरादून/श्री भुवन राम, तत्काली लोके सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसील विकास नगर /श्री राजेन्द्र कुमार, डीन्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रमारी जनाधार, तहसील विकासनगर पर समान रूप से 12500-12500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	श्री भुवन राम, तत्काली लोके सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार विकास नगर /श्री राजेन्द्र कुमार, डीन्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रमारी जनाधार, तहसील विकासनगर पर समान रूप से 12500-12500 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
198	A-29490	04/02/2020	श्री नितिन तेश्वर पुत्र श्री सुरेन्द्र तेश्वरतेश्वर भवन, निकट पुलिस थाना कनखल, जिला हरिद्वार-249408 / श्री अरुण कुमार केसरवानी, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार/अधिकासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	श्री अरुण कुमार केसरवानी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

199	A-30162	01/02/2020	श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री मीर सिंह, निवासी ग्राम मिस्सरपुर, पोस्ट कनखल, जिला हरिद्वार/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, हरिद्वार/तहसीलदार, तहसील हरिद्वार	श्री गणपति सिंह चौहान तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, हरिद्वार को काठोर चेतवानी निगत की गयी है तथा श्री खुसवन्त सिंह तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी /मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील हरिद्वार को भी काठोर चेतवानी के साथ चेतवली सेवा पुस्तिका में चप्पा करने की निर्देश दिये गये हैं।	0.000	DA	
200	A-29932	13/02/2020	श्री शुभम कुमार पुत्र श्री विशेष कुमार, निवासी गोपाल बाई की बगड़ी, निम्बूघेर, हनुमान घाट, हरिद्वार/नगर निगम, हरिद्वार/नगर निगम, हरिद्वार	डा० कैलाश गुजियाल समतुल्य सूचना अधिकारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार पर 25000 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	25000.00		
201	A-29701	17/02/2020	श्री अमर एस० धुत्ता, 827 / 1, सिसौर मार्ग, कौलागढ़ रोड, देहरादून-248001/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला देहरादून पर 250 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला देहरादून पर 250 रुपये की शक्ति आरोपित की गयी है।	250.00		

202	A-30015	18/02/2020	श्री साबर सिंह रौथाण द्वारा श्री अनूप डौडियाल, रावत मोहल्ला, नियर न्यू ट्यूबवैल, ग्राम व पोस्ट हरवाला, जिला देहरादून/उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, निकट नन्दा चौकी, प्रेमनगर, जिला देहरादून/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड महिला आयोग, निकट नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, जिला देहरादून	श्री बी0एस0 रावत, डीम्ड लोके सूचना अधिकारी कार्यालय महिला आयोग देहरादून पर 4000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	4000.00			
203	A-30026	24/02/2020	श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, ग्राम जेखरियाणी, पोस्ट गुन्दियाट गांव, तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी/कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी/कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी	श्री सुभाष चन्द्र तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			
204	A-29044	27/02/2020	श्री मदन मोहन पंत, सैनिक कालोनी, मधुर विद्या मंदिर रोड, काशीपुर-244713, जिला उधम सिंह नगर /कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जिला उधम सिंह नगर/ कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जिला उधम सिंह नगर	श्री अजय सिंह, जिला विकास अधिकारी, जिला उधम सिंह नगर पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

205	A-30102	28/02/2020	डॉ. सम्राट शर्मा, 94 पूर्वावली, गणेशपुर रुड़की-247667, जिला हरिद्वार/कलेक्ट्रेट, हरिद्वार/अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, जिला हरिद्वार	री डी0एस0 धीमान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट, हरिद्वार पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00			
206	C-13626	31/01/2020	श्री दलीप सिंह रावत, ग्राम कोटी कटूलसू, पोस्ट जामनाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल/ प्रधानाचार्य, इ0का0 डामकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड खिसू, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री अरविन्द कुमार नेगी, प्रधानाचार्य, इ0का0 डामकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00			
207	C-13743	13/02/2020	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक-ट्रस्टी, धर्मशाला गंगा दर्शन माई गिदा कुंवर, सुभाषघाट, हरिद्वार/सहायक पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून / निदेशक (यातायात) उत्तराखण्ड, देहरादून/पुलिस महानिरीक्षक, (अप0/का0व्य0), उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, 12 सुभाष रोड, देहरादून	लोक प्राधिकारी उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, 12 सुभाष रोड, देहरादून पर 5000 की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	0.00	5000		
208	C-13608	18/02/2020	श्री नवराज, एडवोकेट द्वारा श्री आर0डी0जनियल, एडवोकेट, ओपन चैम्बर्स, जिला न्यायालय परिसर, देहरादून /सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहासनपुर रोड, देहरादून/अधीक्षक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहासनपुर रोड, देहरादून	श्री सुनील परासर, सहायक अभियन्ता, तत्काली लोक सूचना अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहासनपुर रोड, देहरादून पर 5000 रुपये की शांति आरोपित की गयी है।	25000.00			

209	A-30136	12/03/2020	श्री आदित्य शर्मा, गली नम्बर-ए-14, सुभाष नगर शिव मन्दिर के पास ईदगाह रोड ज्वालापुर जिला हरिद्वार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अंसारी मार्ग, देहरादून/कार्यालय निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, 5/1 अंसरी मार्ग, देहादून/	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
210	A-30020	23/01/2020	श्री दिलीप सिंह नेगी, हाल शान्ति विहार, फेज-2, अजबपुर कला, देहरादून/तहसीलदार, तहसील देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल/उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल	तहसीलदार, तहसील देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल पर 5000 रुपये क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	0.00	5000		
211	A-30186	05/02/2020	श्री रमन शर्मा, अधिवक्ता, 110, रेस कोर्स, देहरादून/विशेष कार्याधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून	विशेष कार्याधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून पर 5000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित किया गया है तथ श्री विक्रम सिंह तत्कालीन लिपिक, अवैध निर्माण सेक्टर-1 व 2 पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	15000.00	0		

212	A-30051	06/02/2020	श्रीमती जैनब जुहा, एडवोकेट, वारसी गली नम्बर-5, ज्यारत शाह बुलाकी की चक्कर की मिलक, सिविल लाईन्स, मुरादाबाद-244001/राजकीय इण्टर कालेज टनकपुर, जिला चम्पावत	श्री दीप्ति यादव, उप शिक्षा अधिकारी प्रा0 शि0 जिला हरिद्वार पर 10000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0	0.00	
213	A-30222	15/03/2020	श्री विलास गोदियाल,आवास संख्या-11, यमुना कालोनी, देहरादून/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री दीवाकर प्रसाद घस्माना सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0		
214	A-29716	13/03/2020	श्री मुनेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री पी. एस. रावत, 60, विद्या विहार फेस -1, कारगी रोड, देहरादून-248001/कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावाल, जिला गढ़वाल /कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावाल, जिला टिहरी गढ़वाल	कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावाल, जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0		
215	A-30235	17/03/2020	श्री चन्द्र किरण पुत्र श्री जयपाल सिंह,ग्राम धीरमजरा, पोस्ट हाल्लू मजरा-247661, जिला हरिद्वार/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हाल्लू मजरा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री योगेश कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हाल्लू मजरा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर 10000 हजार रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0		

216	A-26493	19/03/2020	श्री विवेक कुमार, ग्राम रोहाल्की दयालपुर, पोस्ट आँठ-भगवानपुर, जिला हरिद्वार/कार्यालय सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार	लोक प्राधिकारी कार्यालय नगर निगम, हरिद्वार पर 5000 रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			
217	A-28393	11/01/2019	श्री प्रदीप कुमार मार्फत श्री मनोज कुमार, दस्तावेज लेखक, चैम्बर-97, लक्सर, तहसील परिसर लक्सर, जिला हरिद्वार-247663/उप शिक्षा अधिकारी(प्रगोशित) हरिद्वार पर 25000 रुपये की लक्सर, जिला हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रगोशित), शास्ति आरोपित की गयी है। जिला हरिद्वार	श्री अम्बिका राम उप शिक्षा अधिकारी(प्रगोशित) लक्सर, जिला हरिद्वार पर 25000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00			WP No. 340 of 2020 Respondent no. 1 shall remain stayed
218	A-30467	28/05/2019	श्री केशव मिश्रा, गली नम्बर-3, मकान सख्या-306, कृष्णापुरम माजरी माफी, मोहकमपुर, देहरादून-248005/कोषाधिकारी, देहरादून/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून	कोषाधिकारी, देहरादून पर 5000 रुपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00			

**आयोग द्वारा आयोजित
जागरूकता एवं
प्रशिक्षण कार्यक्रम**

आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

सूचना का अधिकार अधिनियम के व्यापक एवं प्रभावी उपयोग के लिए तथा नागरिकों, लोक सूचना अधिकारियों एवं आयोग के मध्य इस अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के प्रयोग में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा जनसामान्य हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर स्पष्टता लाना है, जिसके होने पर एक ओर जहां जनसामान्य द्वारा अपने सूचना आवेदन पत्रों को स्पष्टता के साथ सही लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयान्तर्गत उचित कार्यवाही करते हुये सही एवं स्पष्ट सूचना आवेदनकर्ताओं को प्रेषित की जा सकेगी।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आलोच्य अवधि में निम्नलिखित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये : —

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य हेतु जागरूकता कार्यक्रम

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्लान योजना के अन्तर्गत देश के समस्त राज्य सूचना आयोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम की वर्षगांठ के दौरान आयोजित किये जाने वाले जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता से माह अक्टूबर 2018 में पर्वत बाल मंच एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रदेश के चार जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों के गांवों में सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रमों में श्री द्वारिका प्रसाद, श्री सुधीर भट्ट, श्री संदीप कुमार, श्री प्रीतम पंवार आदि द्वारा प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान की गई।

इस हेतु सरल संस्था द्वारा नैनीताल जनपद के भीमताल एवं धारी विकास खण्ड के 10 गांवों में: ग्राविस संस्था द्वारा पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला विकास खण्ड के 05 गांवों में: पर्वत बाल मंच द्वारा चमोली जनपद के घाट विकास खण्ड के 10 गांवों तथा देहरादून जनपद के विकासनगर विकास खण्ड के 05 गांवों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार कुल 30 गांवों में आयोजित इन कार्यशालाओं में 1,514 नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों से सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में उनकी जानकारी का इस्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया। प्रतिभागियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें सूचना के अधिकार के बारे में कितनी जानकारी है या उन्होंने कभी इस अधिकार का प्रयोग कर किसी विभाग से कोई जानकारी ली है इत्यादि। अधिकांश प्रतिभागियों द्वारा सूचना का अधिकार के नाम से तो भिज्ञ होना बताया लेकिन इसके बारे में और कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, तथा उनके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था।

विभिन्न चार्ट्स, पोस्टर आदि के प्रयोग से प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया गया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जन सामान्य की पहुँच अत्यन्त सरल रूप में संभव हो पाती है, एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है।

कार्यशाला में अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने, सूचना आवेदन पत्र में सही भाषा का प्रयोग करने, सूचना शुल्क, सूचना प्राप्ति की समयावधि, प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील एवं शिकायत के सम्बन्ध में भी प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी गयी।

कार्यशाला में चर्चा करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रतिभागियों की कितनी समझ विकसित हुई, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रतिभागियों के साथ कार्यशाला के अन्तिम सत्र में एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों से कुछ प्रश्न पूछे गये तथा प्रतिभागियों द्वारा चर्चा में भाग लेते हुए पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिया गया। इस दौरान पूछे गये प्रश्न से सम्बन्धित जानकारी को पुनः प्रतिभागियों के साथ साझा भी किया गया।

कार्यशाला के अन्त में प्रतिभागियों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सफल कहानियों को भी साझा किया गया। इनके माध्यम से प्रतिभागियों को यह बताने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार नागरिकों द्वारा उनको प्राप्त इस अधिकार का सदुपयोग करते हुये अपने गांव तथा स्वयं से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में सफलता पायी।

इन कार्यशालाओं में गांव में लोगों के पास खेती के कार्य की अत्यधिक व्यस्तता होने के बावजूद भी ग्रामवासियों द्वारा अपना अमूल्य समय देकर कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया गया तथा कार्यशालाओं के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग किया गया।

जन प्रतिनिधियों जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सरपंच, स्कूल की विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों में गठित माता समितियों के सदस्यों तथा समुदाय आधारित संगठन जैसे महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, किशोरी समूह, बाल संगठन इत्यादि सभी के द्वारा भी कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया गया तथा अपना सहयोग दिया गया।

**सूचना का अधिकार अधिनियम पर आयोजित
ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यशालाएं**

क्र०सं०	गांव का नाम	ब्लॉक एवं जनपद का नाम	कार्यशाला की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1	पसोली	विकासनगर, देहरादून	06 अक्टूबर 2018	120
2	खेड़ा पछुआ	विकासनगर, देहरादून	07 अक्टूबर 2018	84
3	बाड़वाला	विकासनगर, देहरादून	09 अक्टूबर 2018	46
4	केदारावाला	विकासनगर, देहरादून	14 अक्टूबर 2018	90
5	धोरे की डांडी	विकासनगर, देहरादून	16 अक्टूबर 2018	58
6	लवाणी	घाट, चमोली	07 अक्टूबर 2018	42
7	सैंतोली	घाट, चमोली	12 अक्टूबर 2018	25
8	कुण्डबगड़	घाट, चमोली	14 अक्टूबर 2018	40
9	चरबंग	घाट, चमोली	16 अक्टूबर 2018	56
10	लांखी	घाट, चमोली	17 अक्टूबर 2018	51
11	सुंग	घाट, चमोली	18 अक्टूबर 2018	38
12	सैंती	घाट, चमोली	19 अक्टूबर 2018	29
13	लुण्तरा	घाट, चमोली	21 अक्टूबर 2018	42
14	धरगांव	घाट, चमोली	28 अक्टूबर 2018	25
15	कुमजुग	घाट, चमोली	31 अक्टूबर 2018	64
16	भूमियाधार	भीमताल, नैनीताल	12 अक्टूबर 2018	43
17	मेहरागांव	भीमताल, नैनीताल	13 अक्टूबर 2018	30
18	मनोरा	भीमताल, नैनीताल	14 अक्टूबर 2018	40
19	सोनगांव	भीमताल, नैनीताल	19 अक्टूबर 2018	54
20	अल्चौना	भीमताल, नैनीताल	20 अक्टूबर 2018	53
21	धानाचूली	धारी, नैनीताल	17 अक्टूबर 2018	35
22	शशबनी	धारी, नैनीताल	28 अक्टूबर 2018	33
23	लदफोड़ा	धारी, नैनीताल	29 अक्टूबर 2018	29
24	मनाघेर	धारी, नैनीताल	30 अक्टूबर 2018	27
25	सरना	धारी, नैनीताल	31 अक्टूबर 2018	64
26	घाटीबगड़	धारचूला, पिथौरागढ़	12 अक्टूबर 2018	44
27	बलुवाकोट	धारचूला, पिथौरागढ़	14 अक्टूबर 2018	39
28	छारछुम	धारचूला, पिथौरागढ़	17 अक्टूबर 2018	81
29	नयाबस्ती	धारचूला, पिथौरागढ़	18 अक्टूबर 2018	56
30	गोठी	धारचूला, पिथौरागढ़	21 अक्टूबर 2018	76
			कुल प्रतिभागी	1514

लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों का प्राशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों में कुल 66 कार्यक्रम आयोजित किये गये। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं नगर निगम रुड़की के अनुरोध पर एक-एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कार्यालय में आयोजित किया गया। आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शासन में नामित लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु 4 कार्यक्रम आयोजित किये गये। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन हजार से अधिक लोगों लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

आयोग द्वारा आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्री त्रेपन सिंह बिष्ट, श्री बी०एम० ठक्कर, श्री कुँवर सिंह रावत एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार नियमावली तथा अधिनियम के संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डी०ओ०पी०टी०, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता, आयोग के विभागीय लेखाशीर्षक में प्राविधानित धनराशि एवं सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया गया।

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्रम	जनपद का नाम	कार्यक्रम स्थल	प्रशिक्षण का दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	पौड़ी	जिला मुख्यालय	29.04.2019	73
2	देहरादून	जिला मुख्यालय	29.04.2019	74
3	पौड़ी	श्रीनगर	30.04.2019	38
4	देहरादून	जिला मुख्यालय	30.04.2019	38
5	हरिद्वार	जिला मुख्यालय (रोशनाबाद)	01.05.2019	55
6	पौड़ी	ग्राम खण्डाह, (तहसील श्रीनगर)	01.05.2019	32
7	रूद्रप्रयाग	जिला मुख्यालय (रूद्रप्रयाग)	02.05.2019	51
8	देहरादून	सचिवालय	02.05.2019	19
9	देहरादून	सचिवालय	02.05.2019	17
10	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनी ब्लाक मुख्यालय	03.05.2019	46
11	देहरादून	सचिवालय	03.05.2019	16
12	देहरादून	सचिवालय	03.05.2019	15
13	रूद्रप्रयाग	रतूडा न्याय पंचायत (ब्लाक अगस्तमुनी)	04.05.2019	46
14	चमोली	कर्णप्रयाग	06.05.2019	37
15	चमोली	लंगासू न्याय पंचायत विकास खण्ड कर्णप्रयाग	07.05.2019	22
16	चमोली	जिला मुख्यालय (गोपेश्वर)	08.05.2019	49
17	टिहरी	जिला मुख्यालय (नई टिहरी)	10.05.2019	52
18	टिहरी	चम्बा तहसील	11.05.2019	50
19	टिहरी	डडूर न्याय पंचायत	12.05.2019	61
20	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़ (तहसील/ब्लाक मुख्यालय)	13.05.2019	55
21	उत्तरकाशी	नाकुरी न्याय पंचायत (ब्लॉक चिन्यालीसौड़)	14.05.2019	35
22	उत्तरकाशी	जिला मुख्यालय (उत्तरकाशी)	15.05.2019	56
23	पिथौरागढ़	बेरीनाग तहसील/ विकास खण्ड	23.06.2019	82
24	ऊधमसिंहनगर	कुंडेश्वरी ग्राम	04.07.2019	76
25	ऊधमसिंहनगर	विकास खण्ड खटीमा	13.12.2019	35

26	चम्पावत	जिला मुख्यालय	26.06.2019	59
27	चम्पावत	लोहाघाट तहसील/ विकास खण्ड	27.06.2019	47
28	नैनीताल	ए0टी0आई0, नैनीताल	28.06.2019	48
29	नैनीताल	ए0टी0आई0, नैनीताल	28.06.2019	39
30	नैनीताल	ग्राम गरमपानी, तहसील कोश्याकुटोल	29.06.2019	53
31	पिथौरागढ़	विकास खण्ड मूनाकोट	10.12.2019	53
32	अल्मोड़ा	विकास खण्ड हवालबाग	02.07.2019	67
33	अल्मोड़ा	ताड़ीखेत विकास खण्ड	03.07.2019	43
34	पिथौरागढ़	डीडीहाट तहसील/ विकास खण्ड	24.06.2019	108
35	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	21.09.2019	12
36	पिथौरागढ़	जिला मुख्यालय	25.06.2019	24
37	हरिद्वार	विकास खण्ड लक्सर	24.09.2019	50
38	पौड़ी	विकास खण्ड रिखडणीखाल	25.11.2019	37
39	पौड़ी	विकास खण्ड बीरोखाल	26.11.2019	60
40	पौड़ी	विकास खण्ड नैनीडाण्डा	27.11.2019	70
41	अल्मोड़ा	विकास खण्ड स्याल्दे	28.11.2019	26
42	टिहरी	विकास खण्ड प्रतापनगर	17.12.2019	30
43	चमोली	विकास खण्ड थराली	05.12.2019	39
44	पिथौरागढ़	विकास खण्ड धारचुला	07.12.2019	49
45	पिथौरागढ़	विकास खण्ड कनालीछीना	09.12.2019	41
46	टिहरी	विकास खण्ड थौलधार	28.01.2020	36
47	चम्पावत	विकास खण्ड बाराकोट	11.12.2019	33
48	हरिद्वार	विकास खण्ड भगवानपुर	23.09.2019	50
49	चम्पावत	विकास खण्ड पाटी	12.12.2019	36
50	टिहरी	विकास खण्ड जाखणीधार	16.12.2019	50
51	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	16.12.2019	13
52	नैनीताल	विकास खण्ड कोटाबाग	08.01.2020	58
53	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	17.12.2019	21

54	टिहरी	विकास खण्ड भिलंगना (घनसाली)	18.12.2019	93
55	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	18.12.2019	28
56	रूद्रप्रयाग	विकास खण्ड जखोली	19.12.2019	31
57	रूद्रप्रयाग	विकास खण्ड ऊखीमठ	20.12.2019	23
58	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	20.12.2019	35
59	चमोली	विकास खण्ड जोशीमठ	21.12.2019	26
60	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	26.12.2019	7
61	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	27.12.2019	8
62	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	30.12.2019	7
63	देहरादून	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	03.01.2020	16
64	ऊधमसिंहनगर	विकास खण्ड काशीपुर	06.01.2020	31
65	अल्मोड़ा	जिला मुख्यालय	01.07.2019	51
66	नैनीताल	विकास खण्ड रामनगर	07.01.2020	32
67	ऊधमसिंहनगर	विकास खण्ड जसपुर	10.01.2020	58
68	हरिद्वार	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	20.01.2020	68
69	हरिद्वार	नगर निगम, रूड़की	22.01.2020	90
70	अल्मोड़ा	विकास खण्ड चौखुटिया	29.11.2019	52
71	पौड़ी	विकास खण्ड खिर्सू	29.01.2020	29
72	पौड़ी	विकास खण्ड यमकेश्वर	30.01.2020	50

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यक्रमों का जनपदवार विवरण

क्रम	जनपद का नाम	कुल कार्यक्रम	कार्यक्रम स्थल							
			जिला मुख्यालय (रुद्रप्रयाग)	अगस्तमुनी ब्लाक मुख्यालय	रतूडा न्याय पंचायत (ब्लाक अगस्तमुनी)	विकास खण्ड जखोली	विकास खण्ड ऊखीमठ			
1	रुद्रप्रयाग	5								
2	ऊधमसिंहनगर	4	कुंडेश्वरी ग्राम	विकास खण्ड खटीमा	विकास खण्ड काशीपुर	विकास खण्ड जसपुर				
3	पिथौरागढ़	6	विकास खण्ड धारचुला	विकास खण्ड कनालीछीना	विकास खण्ड मूनाकोट	बेरीनाग तहसील / विकास खण्ड	डीडीहाट तहसील / विकास खण्ड	जिला मुख्यालय		
4	टिहरी	7	विकास खण्ड जाखणीधार	विकास खण्ड प्रतापनगर	विकास खण्ड भिलंगना (घनसाली)	विकास खण्ड थौलधार	जिला मुख्यालय (नई टिहरी)	चम्बा तहसील	उड्डूर न्याय पंचायत	
5	हरिद्वार	5	जिला मुख्यालय (रोशनाबाद)	विकास खण्ड भगवानपुर	विकास खण्ड लक्सर	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	नगर निगम, रुड़की			
6	पौड़ी	8	जिला मुख्यालय	श्रीनगर	ग्राम खण्डाह, (तहसील श्रीनगर)	विकास खण्ड रिखडीखाल	विकास खण्ड बीरोखाल	विकास खण्ड नैनीडाण्डा	विकास खण्ड खिर्सू	विकास खण्ड यमकेश्वर
7	उत्तरकाशी	3	चिन्थलीसौड़ (तहसील / ब्लाक मुख्यालय)	नाकुरी न्याय पंचायत (ब्लॉक चिन्थलीसौड़)	जिला मुख्यालय (उत्तरकाशी)					
8	देहरादून	15	जिला मुख्यालय	सचिवालय	उत्तराखण्ड सूचना आयोग					
9	चम्पावत	4	जिला मुख्यालय	लोहाघाट तहसील / विकास खण्ड	विकास खण्ड बाराकोट	विकास खण्ड पाटी				
10	चमोली	5	कर्णप्रयाग	लंगसू न्याय पंचायत	जिला मुख्यालय (गोपेश्वर)	विकास खण्ड थराली	विकास खण्ड जोशीमठ			
11	नैनीताल	5	ए0टी0आई0, नैनीताल	ग्राम गरमपानी	विकास खण्ड कोटाबाग	विकास खण्ड रामनगर				
12	अल्मोड़ा	5	जिला मुख्यालय	विकास खण्ड हवालबाग	ताड़ीखेत विकास खण्ड	विकास खण्ड स्याल्दे	विकास खण्ड चौखुटिया			

आयोग को प्राप्त बजट

संख्या- 66 / xxxi(15)G / 2019 / 25(बी0-3) 2013

प्रेषक,

कवीन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 7 फरवरी, 2019

विषय:- विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-75/xxx(15)G/2019/25(बी0-3)2013, दिनांक 05 फरवरी, 2019 के क्रम में पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹15.00 लाख (पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि संलग्नक अलोटमेंट आई डी-S1902060096 दिनांक 07 फरवरी, 2019 के अनुसार आहरण वितरण हेतु आपके निर्वतन पर रखी जा रही है।

2- स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन किया जाय।

3- उपर्युक्त पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /xxx(15)G/2019/25(बी0-3) 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2-वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
- 3-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
- 4-वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय ,23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
- 5-वित्त अनुभाग-1/5
- 6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(चन्द्र बहादुर)
अनु सचिव।

G.O DOBHAL

बजट आवंटन विवरण वर्ष - 20182019

Secretary, GAD (S017)

आवंटन का क्रमांक - XXXX(15)G/2018

आवंटन संख्या - 006

अलोटमेंट आई डी - S1804060278

आवंटन पत्र दिनांक - 18-Apr-2018

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

1: सेवा शीर्षक 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 00 -
800 - अन्य व्यय
13 - सूचना आयोग की स्थापना
00 - सूचना आयोग की स्थापना

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	10946000	10946000
02 - मजदूरी	0	600000	600000
03 - महंगाई भत्ता	0	2676000	2676000
04 - यात्रा व्यय	0	200000	200000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	100000	100000
06 - अन्य भत्ते	0	1287000	1287000
07 - मानदेय	0	100000	100000
08 - कार्यालय व्यय	0	1600000	1600000
09 - बहियत देय	0	800000	800000
10 - जलकर / जल परभार	0	50000	50000
11 - लेखन सामग्री और फाइलों क	0	500000	500000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	0	300000	300000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	600000	600000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और प	0	1600000	1600000
16 - व्यावसायिक तथा बशिय सेव	0	10000000	10000000
18 - प्रकाशन	0	300000	300000
19 - बजिआपन, बहिरा और बहिय	0	100000	100000
22 - आतथिय व्यय बथियक भत्त	0	200000	200000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	0	150000	150000
27 - चकितिसा व्यय पत्तपित्त	0	400000	400000
42 - अन्य व्यय	0	600000	600000
44 - प्रशक्षिण व्यय	0	1000	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	200000	200000
46 - कमप्युटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	0	200000	200000
47 - कमप्युटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	0	300000	300000
	0	33810000	33810000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

33810000

(Signature)

संख्या-388/xxx(13)G-02 (बजट)-2019

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।



सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून दिनांक 30 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

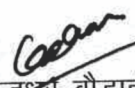
उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 3063/स्था0-13 दिनांक 10.04.2019 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29-03-2019 के क्रम में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 06 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 3,64,50,000/- (रु0 तीन करोड़ चौंसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्न अलोटमेंट आई0डी0 S19040060032 दिनांक 24.04.2019 के अनुसार आपके निर्वतन पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं पर नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा और किसी भी दशा में एक मद में आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में उपयोग नहीं की जायेगी।
2. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं जिन।
3. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
5. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का विशेष रूप में पालन एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-06, आयोजनेत्तर विभिन्न मदों की योजनाओं के लेखाशीर्षक 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800- अन्य व्यय, 00- सूचना आयोग की स्थापना, के अधीन संलग्नक में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29-03-2019 के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
संलग्नक - यथोपरि।

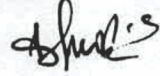
भवदीय,


(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कोलागढ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

Secretary-Secretary, GAD(S017)

HOD-Secretary State Information
Commission(4661)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-006

आवंटन आई डी-S19040060032
आवंटन पत्र दिनांक-24-APR-2019

लेखा शीर्षक

2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें
800-अन्य व्यय
00-सूचना आयोग की स्थापना

00--

13-सूचना आयोग की स्थापना

Voted

2	0	7	0	0	0	8	0	0	1	3	0	0
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग								
01-वेतन	0	12000000	0	12000000								
02-मजदूरी	0	700000	0	700000								
03-महंगाई भत्ता	0	1800000	0	1800000								
04-यात्रा व्यय	0	200000	0	200000								
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	50000	0	50000								
06-अन्य भत्ते	0	1400000	0	1400000								
07-मानदेय	0	100000	0	100000								
08-कार्यालय व्यय	0	1600000	0	1600000								
09-विद्युत देय	0	900000	0	900000								
10-जलकर / जल प्रभार	0	50000	0	50000								
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0	500000	0	500000								
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	300000	0	300000								
13-टेलीफोन पर व्यय	0	600000	0	600000								
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0	1600000	0	1600000								
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	12000000	0	12000000								
18-प्रकाशन	0	300000	0	300000								
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0	100000	0	100000								
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	0	200000	0	200000								
25-लघु निर्माण कार्य	0	200000	0	200000								
26-मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0	100000	0	100000								
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	100000	0	100000								
42-अन्य व्यय	0	700000	0	700000								
44-प्रशिक्षण व्यय	0	200000	0	200000								
45-अवकाश यात्रा व्यय	0	300000	0	300000								
46-कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय	0	150000	0	150000								
47-कंप्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0	300000	0	300000								
योग	0	36450000	0	36450000								

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,64,50,000.00 (Rupees Three Crores Sixty Four Lacs Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

[Signature]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची वर्ष 2018-19 एवं 2019-20

क्र.सं.	नाम	एवं पदनाम
1	श्री शत्रुघ्न सिंह	मुख्य सूचना आयुक्त (19/11/2016 से)
2	श्री जे.पी. ममगाई	राज्य सूचना आयुक्त (03/08/2018 से)
3	श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल	राज्य सूचना आयुक्त (03/08/2018 से)
4	श्री बी.एल. राणा	सचिव (26/08/2019 से)
5	सुश्री शालिनी नेगी	उपसचिव
6	श्री राजेश नैथानी	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
7	श्री एस.के. गुप्ता	विधि सलाहकार
8	श्री मनमोहन नैथानी	सहायक लेखाधिकारी
9	श्रीमती हीरा रावत	समीक्षा अधिकारी
10	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै	समीक्षा अधिकारी
11	श्री उमेश चन्द्र सिंह	सहायक समीक्षा अधिकारी
12	श्री सौरभ कुमार	सहायक समीक्षा अधिकारी
13	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	निजी सचिव
14	श्री नरेश चन्द्र बिजल्वाण	निजी सचिव
15	कु. रेशमा फर्स्वाण	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
16	श्री सुमन सिंह रावत	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
17	श्रीमती रजनी भण्डारी	कम्प्यूटर आपरेटर
18	श्री पंकज कुमार	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
19	श्रीमती चन्द्रा गुसाई	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
20	श्रीमती सुब्रोटिका जोशी	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
21	श्रीमती अनुराधा	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
22	श्रीमती रेखा रिक्कोटिया	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
23	श्री शैलेन्द्र हटवाल	व्यैक्तिक सहायक
24	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया	कम्प्यूटर आपरेटर
25	श्रीमती अमृता गुरुंग	व्यैक्तिक सहायक
26	श्री मनोज सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर
27	श्री पंकज कुमार	रिकॉर्ड कीपर/कम्प्यूटर ऑपरेटर

आयोग द्वारा आयोजित जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं के दृश्य





उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, सिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2662021, 2662180, ईमेल : secy-uic@gov.in वेबसाईट : <http://uic.gov.in>